क्रम-संख्या–98(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, रविवार, 30 जून, 2024
आषाढ़ 9, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 1537/छः-पु0-9–2024
लखनऊ, 30 जून, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0–23

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 173,179,64, 350, 394,462,153 तथा अन्य विभिन्न धाराओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में जारी अन्य समस्त पूर्ववर्ती नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करके, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी हैं या जिसके किये जाने का लोप किया गया है, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024

अध्याय–1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 01 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, –

(क) "इलेक्ट्रॉनिक संचार" का तात्पर्य किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक सूचना या वीडियो सामग्री का संचार जो किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से पारेषित या अंतरित किया जाता है (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे को या एक युक्ति से दूसरी युक्ति को या एक व्यक्ति से किसी युक्ति को या एक युक्ति से दूसरे व्यक्ति को) जिसमें टेलीफोन, मोबाइल फोन, या अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति, या कंप्यूटर, या ऑडियो–वीडियो प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप सम्मिलित है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, से है;

(ख) 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य' का तात्पर्य यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं जिसमें ई–साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन भी सम्मिलित है, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्रित, जनित, संगृहीत, प्रसारित या अन्यथा संसाधित कोई साक्ष्य, डेटा या सूचना जो किसी सुसंगत तथ्य या विवाद्यक तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने हेतु न्यायालय में एक साक्ष्य के रूप में सुसंगत एवं ग्राह्य होता है, से है;

(ग) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है;

(घ) ''संहिता'' का तात्पर्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता के अधीन उनके लिए क्रमशः समुदेशित हैं।

अध्याय– 2

'श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधन

'श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधन''

3–(1) श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों एवं संचार युक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया जा सकेगाः

(क) वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलेखन हेतु;

(ख) पहचान की प्रक्रियाओं का अभिलेखन करने हेतुः

(ग) तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य संकलन हेतुः

(घ) इलेक्ट्रॉनिक सूचना का पारेषण हेतु;

(ङ) गिरफ्तारी की सूचना हेतु;

(च) अपराध किये जाने से सम्बन्धित सूचना प्रसारित करने हेतु;

(छ) मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट हेतु;

(ज) अन्वेषण के दौरान साक्षियों को बयान अभिलिखित कराये जाने सम्बन्धी सूचना हेतु;

(झ) विवेचना अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम सूचना दी, अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना प्रदान करने हेतु;

(ञ) सम्पत्ति के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाले विवरण के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हेतु;

(ट) साक्षी संरक्षण आवेदन पर सभी सुनवाई हेतु;

(ठ) किसी महिला द्वारा यौन अपराधों के संबंध में की गयी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार करने हेतु;

(ड) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन्हे राज्य सरकार इस नियमावली के अधीन निर्गत विनियम अथवा आदेश के माध्यम से अधिसूचित करे।

(2) श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों एवं संचार युक्तियों में निम्नलिखित युक्तियां सम्मिलित हैं :–

(क) दूरभाष एवं मोबाईल फोन;

(ख) रिमोट संचालित मेमोरी आधारित ऑसरिंग फैक्स मशीन, हस्ताक्षरित फैक्स संदेश की सुविधाओं के साथ;

(ग) ई–मेल;

(घ) कोई भी दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप;

(ङ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकांफ्रेंसिंग इस प्रणाली के अधीन निम्नलिखित युक्तियां सम्मिलित होंगीः–

(एक) डेस्कटाप, लैपटाप, इन्टरनेट और प्रिन्टर सहित मोबाइल युक्तियां,

(दो) कैमरा;

(तीन) माइक्रोफोन और स्पीकर;

(चार) डिसप्ले यूनिट;

(पांच) डाक्यूमेंट विजुलाइजरय ऐसी अन्य युक्तियां, जिन्हें राज्य सरकार सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया जाय।

अध्याय–3

जिला एवं राज्य स्तरीय पुलिस नियंत्रण कक्ष

जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष

4–(1) प्रत्येक जिले में जिला पुलिस का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जो यथा स्थिति पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय परिसर में अथवा किसी अन्य जनपदीय पुलिस परिसर में स्थापित किया जाएगा। सम्प्रति जिला मुख्यालयों पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष को संहिता की धारा–37 के प्रयोजन के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष समझा जायेगा।

(2) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष समस्त प्रकार की कार्रवाइयों जैसे विधि व्यवस्था की स्थिति, त्यौहार/पर्व, अपराध की घटना, वीआईपी मूवमेंट की सतत निगरानी करेगा ताकि पुलिस थानों की सहायता करके किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

(3) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष, यातायात, ड्रोन उड़ानें और एंटी ड्रोन, बीमार और घायल व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार के लिए स्थानांतरित करने, किसी भी आगजनी की घटना में अग्निशमन दल/आपदा प्रबंधन टीम को सूचित करने और भेजने, यू0पी0112 हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता/मदद प्रदान करने और अन्य जिलों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष अनुभवी अधिकारियों और बल के साथ चौबीसों घंटे कार्य करेगा। जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनता से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अभिलिखित करेगा, तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों का समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिलों के अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। गम्भीर शिकायतों के प्रकरण को जनशिकायत शाखा में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(5) ई–मेल अनुभाग और रेडियो ट्रांसमिशन (आरटी) वायरलेस अनुभाग, संदेश प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग भी जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधीन ही कार्य करेंगे।

(6) जिला पुलिस का राजपत्रित अधिकारी जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष का पर्यवेक्षण अधिकारी होगा।

(7) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के सीयूजी नम्बर, टेलीफोन नंबर, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, जिनका सामान्य जनता के बीच समस्त संचार माध्यमों एवं जन–जागरूकता शिविरों एवं विभिन्न विभागों से समन्वय करते हुये व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(8) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में फैक्स आउट/फैक्स इन सुविधा भी स्थापित की जाएगी। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रकरणों में उन इकाइयों में जहां पर ई–मेल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां पर फैक्स आउट का कार्य साम्पादित किया जायेगा। फैक्स इन पर प्राप्त होने वाले फैक्स सन्देशों को सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को सम्प्रेषित किया जायेगा। इसके साथ ही अन्तर विभागीय सूचनाओं का सम्प्रेषण त्वरित गति से किया जायेगा।

(9) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में एस0एम0एस0/ई–मेल इन के माध्यम से अपराध एवं प्रशासनिक अनुदेश से सम्बन्धित सूचनाओं के प्राप्त होने पर उनका अंकन रजिस्टर में किया जायेगा और एसएमएस/ईमेल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को पारेषित किया जायेगा। इसी प्रकार ई–मेल आउट के माध्यम से अपराध एवं प्रशासनिक अनुदेश से सम्बन्धित सूचनाओं को ईमेल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को पारेषित किया जायेगा एवं उसका अंकन पुलिस महानिदेशक द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किये गये सम्बन्धित रजिस्टर में किया जायेगा।

(10) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में टी0वी0 मानीटर भी स्थापित किये जायेंगे, जिसमें प्रत्येक मानीटर पर समाचार चैनल प्रचलित रहेंगे। उक्त के माध्यम से संज्ञानित होने वाले अपराध, आकस्मिक दुर्घटनाओं की सूचना सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई जायेगी तथा उनसे प्राप्त अनुदेशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा

(11) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय के व्हाट्सएप्प ग्रुप तथा अन्य सोशल मीडिया ग्रुप से भी सम्बद्ध रहेंगे। महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था तथा अपराध से सम्बन्धित सूचनाओं को एस०एम०एस० तथा ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से समस्त सम्बन्धित विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।

(12) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिलों एवं मीडिया इन्टेलीजेन्स से प्राप्त होने वाली सूचनाओं, जिसमें गम्भीर अपराध के तत्व हों उनका कम्प्यूटर सेट अप तैयार किया जायेगा और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष

5–(1) उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (यू0पी0 112) की स्थापना पूरे राज्य में किसी भी समय सभी नागरिकों को सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए त्वरित एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए की गई है, यह प्रणाली राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष समझी जायेगी।

(2) इस प्रणाली के उच्चीकरण हेतु समस्त कार्यवाहियों, संविदाओं के निष्पादन तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों से करारों इत्यादि करने तथा उनकी निबंधन और शर्तें अवधारित करने की शक्ति एवं उत्तरदायित्व गृह विभाग पर होगा।

(3) इस प्रणाली के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रतिक्रिया समय के भीतर नागरिकों की सेवा करने के लिए अनुकूलित और कार्य करने के मानक को और उन्नत बनाने के निरंतर प्रयास किये जायेंगे।

(4) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में लखनऊ स्थित एक उच्च तकनीक वाला केंद्रीकृत संपर्क और प्रेषण केंद्र सम्मिलित होगा, जिसमें लखनऊ में डेटा सेंटर और कमांड सेंटर, प्रयागराज और गाजियाबाद में प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र (ओ.एस.सी.), 75 जिला नियंत्रण कक्ष, 8 जोन, 18 परिक्षेत्र, 8 कमिश्नरेट, अग्निशमन सेवा और राजकीय रेलवे पुलिस को जोड़ने के लिए समर्पित लीज लाइन की व्यवस्था करते हुये यथावश्यकता उक्त का उच्चीकरण एवं मानकीकरण निरंतर किया जायेगा। उक्त संख्या में परिवर्तन, परिवर्धन की शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में निहित होगी।

(5) नागरिकों की सेवा के लिए पूरे राज्य में इतनी संख्या में प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा, जितनी इस हेतु राज्य सरकार आवश्यक समझे।

(6) यूपी 112 मुख्यालय (केंद्रीकृत संपर्क केंद्र) के अत्याधुनिक सुविधा केन्द्र में उतनी संख्या में आउटसोर्स वृत्तिक महिला अधिकारी, केंद्रीकृत प्रेषण अधिकारी, पुलिस अधिकारी तैनात किये जायेंगे, जितनी इस हेतु राज्य सरकार आवश्यक समझे।

(7) उक्त केन्द्रीकृत सेवा में, उतनी संख्या में, जीपीएस–सक्षम मोबाइल डेटा टर्मिनल, रेडियो–ओवर– इंटरनेट–प्रोटोकॉल (आरओआईपी) वायरलेस सेट, मोबाइल फोन, डैशबोर्ड कैमरे और प्राथमिक चिकित्सा किट से सज्जित उतनी संख्या में आधुनिक पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (पी0आर0वी0) होंगे, जितनी राज्य सरकार उचित एवं आवश्यक समझे। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों की सेवा के लिए 24*7 और 365 दिन नियमित एवं अबाध सेवाएं प्रदान की जायेंगी।

(8) उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में भी ऐसे स्थान पर जैसा पुलिस महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाय, एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा, जिसमें यू0पी0–112 के नोड प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, जिस पर प्राप्त होने वाले अपराध, आकस्मिक दुर्घटनाओं की सूचना और आकस्मिक दुर्घटनाएं जो नियंत्रण कक्ष के संज्ञान में लायी जाती है, उनका सत्यापन कराया जायेगा।

(9) उक्त के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय पर अवस्थित नियंत्रण कक्ष द्वारा आर0टी0 सेट के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाओं का समन्वय किया जायेगा।

(10) इसके अतिरिक्त उक्त नियंत्रण कक्ष में समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपें गये अन्य कार्यों को भी निर्देशानुसार सम्पादित किया जायेगा तथा किसी भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना की मानीटरिंग हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर उनका समयान्तर्गत निदान सुनिश्चित कराया जायेगा।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते से सम्बन्धित सूचना

6–(1) प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष और प्रत्येक पुलिस थाना में एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न रैंक का हो, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पता के विषय में सूचना रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित सूचना, अपराध की प्रकृति जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, प्रत्येक पुलिस थाना और जिला नियंत्रण कक्ष पर प्रमुख रुप से जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड भी सम्मिलित है, प्रदर्शित किया जाएगा।

अध्याय– 4

अपराध की सूचना

संज्ञेय अपराध सूचना रजिस्टर

7–(1) जब कभी किसी संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित सूचना, उस क्षेत्र पर विचार किये बिना जहां अपराध किया गया हो, किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को प्राप्त हो, तो संहिता की धारा 173 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर इस नियमावली के परिशिष्ट–क में प्रपत्र संख्या 1 (आई0आई0एफ0–एक) में रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(2) यदि सूचना इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर थाने का प्रभारी अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी।

(3) किसी संज्ञेय अपराध की मौखिक, लिखित या इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम से प्राप्त सूचना का सार संज्ञेय अपराध सूचना रजिस्टर में, भौतिक रूप में अथवा एन०सी०आर०बी० के अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सी०सी०टी०एन० एस०) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रविष्ट की जायेगी ।

(4) संज्ञेय अपराध सूचना रजिस्टर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में सी०सी०टी०एन०एस० पर उपलब्ध होगा।

इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से दी गई सूचना

8–जब भी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से दी जाती है, तो सम्बन्धित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगाः–

(एक) इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से प्राप्त संदेश को डाउनलोड किया जाएगा और पुलिस थाना में निर्दिष्ट कंप्यूटर में रखा जाएगा;

(दो) थाने का प्रभारी अधिकारी, एन०सी०आर०बी० द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० पर उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तैयार किये गये ई–शिकायत रजिस्टर में निर्दिष्ट डेस्कटॉप में संग्रहीत संदेश के अनुरूप संदर्भ के साथ उक्त सूचना दर्ज करेगा;

(तीन) थाने का प्रभारी अधिकारी परिवादी को शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए संदेश भेजने के तीन दिनों के भीतर पुलिस थाना अथवा किसी अन्य स्थान में आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से सूचित करेगा ताकि विधि के अनुसार मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा सके;

यदि सूचना किसी अन्य पुलिस थाना से संबंधित है, तो थाने का प्रभारी अधिकारी परिवादी को उस पुलिस थाना में जाने की सलाह देगा। यदि परिवादी ऐसा करने के लिए सहमत होता है तो थाने का प्रभारी अधिकारी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से प्राप्त सूचना को संबंधित पुलिस थाना को भेज देगा;

यदि परिवादी को उस पुलिस थाना का दौरा करने में असुविधा होती है, जहां उसने इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से जानकारी भेजी है, तो उसे अपनी सुविधा के पुलिस थाना का दौरा करने की सलाह दी जाएगी। थाने का प्रभारी अधिकारी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से प्राप्त सूचना को संबंधित पुलिस थाना को अग्रेषित करेगा;

(चार) इस संबंध में एक सामान्य डायरी प्रविष्टि तदनुसार दर्ज की जायेगी।

(पांच) यदि परिवादी शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए पुलिस थाना अथवा अन्य स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो थाने का प्रभारी अधिकारी ई–शिकायत रजिस्टर और जनरल डायरी में तत्सम्बन्धी एक प्रविष्टि करेगा तथा वह इस संबंध में संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को भी अविलम्ब अवगत करायेगा, उपरोक्त परिस्थितियों में पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी स्वप्रेरणा से मामला दर्ज कर सकता है;

(छः) यदि परिवादी नियत अवधि तीन दिन के बाद उपस्थित होता है, तो थाने का प्रभारी अधिकारी, इसे पुलिस थाना द्वारा प्राप्त नई जानकारी के रूप में मानेगा और तदनुसार आगे बढ़ेगा। हालाँकि, वह विवेचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से प्राप्त पहले की जानकारी का उपयोग कर सकेगा और परिवादी के पुलिस थाना अथवा अन्य स्थान पर आने में विलम्ब कारणों को अभिलिखित करेगा;

(सात) पूर्ववर्ती नियमों में अन्यथा अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से प्राप्त सूचना किसी गंभीर अपराध को इंगित करती है, तो थाने का प्रभारी अधिकारी या तो स्वयं या पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी को सम्बन्धित अपराध स्थल पर तत्काल प्रस्थान और आवश्यक विधिपूर्ण कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेगा;

(आठ) इस प्रकार संग्रहीत संदेशों को एक वर्ष की अवधि तक रखा जाएगा। एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात, अधिकारिता वाले पुलिस उपाधीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें किसी विधिपूर्ण प्रयोजन या अन्यथा के लिए आवश्यक नहीं है, उक्त संदेशों को हटा दिया जाएगा।

जीरो एफ0आई0 आर0

9–अधिकारिता से बाहर संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा या तत्समय ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा सुसंगत धाराओं के अधीन शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (Zero F.I.R.) विहित परिशिष्ट–क के प्रारूप संख्या–2 में प्रविष्ट की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(1) यदि सूचना मौखिक रूप से दी गयी है, तो उसके द्वारा या उसके निदेश पर अभिलिखित की जायेगी और सूचना प्रदाता को पढ़कर सुनाई जायेगी और उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगे।

(2) यदि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से संसूचना दी गयी है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात अभिलिखित की जायेगी और उसका सार पूर्वोक्त परिशिष्ट–क के प्रारूप संख्या–2 में प्रविष्ट किया जायेगा।

(3) किसी महिला द्वारा यौन अपराधों के संबंध में दी गयी सूचना के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जायेगी।

(4) मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् या विवेचना या प्रारंभिक जांच के दौरान, यदि यह अवधारित किया जाता है कि अपराध किसी अन्य पुलिस थाना की अधिकारिता में हुआ है, तो यथा स्थिति एफ0आई0आर0 या प्रारंभिक जांच बिना किसी विलम्ब के संबंधित थाने को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

(5) मामले को यथास्थिति, उसी जिले या परिक्षेत्र या जोन के भीतर के किसी पुलिस थाना में स्थानांतरित करना हो, तो स्थानान्तरण की कार्रवाई जिला या परिक्षेत्र या जोनल पुलिस प्रमुख के माध्यम से की जायेगी।

(6) यदि संबंधित पुलिस थाना भिन्न पुलिस जोन में है, तो मामले को जोनल पुलिस प्रमुख के परामर्श से सम्बन्धित जोनल पुलिस प्रमुख के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।

(7) यदि संबंधित पुलिस थाना दूसरे पुलिस कमिश्नरेट में है, तो मामले को पुलिस आयुक्त के परामर्श से संबंधित जोनल पुलिस प्रमुख के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।

(8) दो पुलिस कमिश्नरेट के मध्य के मामलों को दोनों सम्बन्धित पुलिस आयुक्तों के आपसी परामर्श से स्थानांतरित किया जाएगा।

(9) यदि संबंधित पुलिस थाना दूसरे राज्य में है, तो मामले को पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।

(10) केस ट्रांसफर के मामलों में, थाने का प्रभारी अधिकारी जनरल डायरी में एक प्रविष्टि करेगा और संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर सुसंगत टिप्पणी अभिलिखित करेगा।

(11) स्थानांतरित मामले की प्राप्ति पर, संबंधित थाने का प्रभारी अधिकारी अपने पुलिस थाने का एक नया अपराध संख्या जनरेट करेगा और विधि के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(12) हस्तांतरित प्रारंभिक जांच की प्राप्ति पर, प्रारंभिक जांच को पूर्ण करने के लिए चौदह दिनों की अवधि, प्राप्तकर्ता पुलिस थाने में सूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रारम्भ होगी।

(13) मामले के स्थानान्तरण की प्रक्रिया पांच दिन के अंदर पूर्ण की जायेगी, किसी भी स्थिति में मामले की जांच में विलम्ब नहीं किया जायेगा तथा पीड़ित या सूचना देने वाले के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे।

(14) यदि पूर्वोक्त उपनियमों में उल्लिखित किसी स्थिति में जोनल एवं कमिश्नरेट के अधिकारियों में सहमति न होने पर अपवाद स्वरूप ही मामला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को संदर्भित किया जायेगा।

असंज्ञेय अपराध की सूचना

10–जब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना दी जाती है तब वह ऐसी सूचना का सार, एन०सी०आर०बी० द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० पर उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तैयार किये गये एन०सी०आर० रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, जो इस नियमावली में विहित परिशिष्ट–क के प्रपत्र संख्या–9 में थाने का प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जाएगी, उक्त रजिस्टर का सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा नियमित अवलोकन एवं परीक्षण किया जायेगा।

अध्याय–5

अपराध एवं आत्महत्या की सूचना पर कार्रवाई

संज्ञेय अपराध की सूचना

11–(1) किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी स्वयं घटना स्थल पर जायेगा अथवा थाने पर नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी को मौके पर जांच एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजेगा।

(2) अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जिला पुलिस प्रमुख किसी भी पुलिस उपाधीक्षक को मामले की जांच करने का निदेश दे सकता है।

12–जब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, या थाने पर नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव–जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना में मृत हुआ है, अथवा किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम तहसीलदार की पंक्ति से अनिम्न कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तत्काल उसकी सूचना देगा तथा उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में जॉच करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिह्न किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं। इस संबंध में भरे जाने वाले पंचनामें में निम्नलिखित प्रविष्टियां भी की जायेंगीः– आत्महत्या की सूचना

(एक)–मृतक का नाम

(दो)–मृतक का धर्म

(तीन)–मृत्यु का दिनांक एवं परिस्थितियां

(चार)–मृतक की उम्र (लगभग)

(पांच)–पंच सदस्य/परिजन का नाम एवं पता..

(छ)–अन्य सुसंगत विवरण–

(सात)–पंचनामा समिति का सुझाव एवं हस्ताक्षर

13–(1) जब– विवाहिता द्वारा आत्महत्या की सूचना

(एक) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है; या

(दो) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है; या

(तीन) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है; या

(चार) मृत्यु के कारण के विषय में कोई संदेह है; या

(पांच) किसी अन्य कारण हेतु पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है,

तब पीड़ित के निकटतम सम्बंधी को यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

(2) वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम चिकित्सा अधिकारी के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त अन्य चिकित्सक के पास भेजेगा।

14–(1) आपराधिक मामलों एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मृत शरीर के ससम्मान व परम्परागत रीति रिवाज के साथ अन्त्येष्टि संस्कार के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं के अधीन कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपराधिक मामलों एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मृत शरीर के सम्बन्ध में प्रक्रिया

(2) यदि अज्ञात व्यक्ति का मृत शरीर अथवा अस्वाभाविक मृत्यु की सूचना प्राप्त हो, तो तत्सम्बन्धी प्रविष्टि एन0सी0आर0बी0 द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0 पर उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तैयार किये गये अज्ञात व्यक्ति का मृत शरीर अथवा अस्वाभाविक मृत्यु के शीर्षक में प्रविष्ट की जायेगी।

(3) किसी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति (मृतक) के मामले में यदि कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मृतक के शव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं, तो इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित फोरेंसिक टीम को अन्तर्वलित करते हुए शव परीक्षण के समय ही इसके प्रयास किये जायेंगे । यदि फोरेंसिक टीम अनुपलब्ध है अथवा साक्ष्य संग्रह करने हेतु आवश्यक संसाधनों से रहित है तो विशेषज्ञ टीम के आने व साक्ष्य प्राप्त करने तक अथवा अधिकतम 3 दिन तक (जो भी पहले हो) शव को परिरक्षित रखा जायेगा। शवगृह के कर्मचारियों को मानक का पालन करना होगा और शवों को किसी भी तरह के क्षय या नुकसान से बचाने के लिए यथावश्यक डीप फ्रीजर अथवा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर ठंडे कक्षों में संग्रहित किया जाना होगा।

(4) यदि मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा शव के द्वितीय शव परीक्षण की मांग की जाती है तो इसके लिए उनसे लिखित अनुरोध प्राप्त कर लिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में शव का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा विहित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा अथवा तब तक शवगृह में सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि परिवार के सदस्य सम्बन्धित विवेचनाधिकारी अथवा न्यायालय से द्वितीय शव परीक्षण हेतु आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं कर देते हैं।

अध्याय–6

विवेचना

प्रारम्भिक जांचों का सघन पर्यवेक्षण

15–(1) ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर जिसमें 03 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किन्तु सात वर्ष से अधिक नहीं है, थाने का प्रभारी अधिकारी, ऐसे अपराध की प्रकृति और गम्भीरता पर विचार करते हुए पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से,

(एक) यह अभिनिश्चित/अवधारित करने के लिए कि क्या चौदह दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई हेतु प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान हैं, प्रारंभिक जांच संचालित कर सकता है; या

(दो) जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, अन्वेषण की कार्रवाई कर सकता है।

(2) जब किसी घटना या शिकायत या अभिकथन के बारे में सूचना थाने के प्रभारी अधिकारी को मिलती है, तो उसे उस सूचना का संक्षिप्त विवरण सामान्य डायरी में भौतिक तथ्यों को बदले बिना अभिलिखित करना होगा तथा प्रारम्भिक जांच की अनुज्ञा पर्यवेक्षणीय अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

(3) थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच के लिये अनुरोध प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या अस्वीकार की जायेगी। यदि विहित समय सीमा के भीतर अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है या अनुज्ञा पहुंचायी नहीं जाती है तो थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(4) प्रारम्भिक जांच की प्रतिदिन की रिपोर्ट पर्यवेक्षण अधिकारी एवं न्यूनतम अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(5) प्रत्येक प्रारम्भिक जॉच 14 दिनों के भीतर पूर्ण करनी होगी तथा ऐसा करने में निष्फल होने की दशा में सम्बन्धित विवेचक को कारण बताओं नोटिस निर्गत किया जायेगा तथा संतोषप्रद उत्तर प्राप्त न होने पर उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

(6) प्रारम्भिक जांच के संबंध में प्रत्येक थाने, सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय एवं जिला मुख्यालय स्तर पर एक प्रारम्भिक जांच पंजिका भौतिक अथवा डिजिटल मोड में पुलिस महानिदेशक द्वारा विहित प्रारूप में अनुरक्षित की जायेगी, जो सदैव अद्यतन रहेगी।

(7) प्रारम्भिक जांच के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जो जांच अधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

(8) अपराधों की प्रारम्भिक जांच के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से मार्गदर्शक सिद्धांत निर्गत कर सकती है।

(9) जिला पुलिस प्रमुख द्वारा प्रत्येक मासिक अपराध समीक्षा बैठक में सम्पूर्ण जिले में प्रचलित समस्त प्रारम्भिक जॉचों की स्वयं सघन समीक्षा की जायेगी।

विवेचना का आरम्भ

16– यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को, सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका विवेचना करने के लिए संहिता की धारा 175 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विवेचना करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी के प्रकटीकरण और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को तैनात करेगा जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अभिरक्षा

17–इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की शुचिता एवं अभिरक्षा की श्रृंखला सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट एवं प्रबन्धित क्लाउड आधारित साक्ष्य लॉकर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी अन्य अधिसूचित लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परिरक्षित एवं संहिता की धारा 193 तथा अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम न्यायालय एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों को पारेषित किये जायेंगे।

ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण की रिकॉर्डिंग

18–(1) किसी व्यक्ति या स्थान की तलाशी लेने और किसी संपत्ति, वस्तु या सामग्री को कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसमें तलाशी और अभिग्रहण के दौरान अभिग्रहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना सम्मिलित है, अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ई–साक्ष्य ऐप अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जायेगी, जिसके लिए पुलिस थाना या ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी के मोबाइल फोन या अन्य ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार की गई वीडियो–रिकॉर्डिंग केस डायरी का हिस्सा होगी। जहां तक संभव हो, वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग का अक्षांश–देशांतर और समय भी रिकॉर्ड किया जाना होगा।

(2) पुलिस अधिकारी अविलम्ब, किन्तु 48 घंटे के बाद नहीं, साक्षियों के हस्ताक्षर और तलाशी और अभिग्रहण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अभिग्रहीत की गई वस्तुओं की सूची की एक प्रति मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(3) राज्य के प्रत्येक जिले का एक अंतर–संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई0सी0जे0एस0) नोडल अधिकारी गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित किया जायेगा तथा आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर 'ई–साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन' तक पहुंचने के लिए पुलिस थानावार प्राधिकृत उपयोगकर्ता उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवायें, मुख्यालय द्वारा बनाये जायेंगे।

(4) उपरोक्तानुसार पुलिस थाना के प्राधिकृत उपयोगकर्ता एमसेवा (mSeva) मोबाइल ऐप स्टोर से ई–साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकेंगे तथा स्वयं को आवंटित मोबाइल फोन पर ई–साक्ष्य मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे।

(5) ई–साक्ष्य पोर्टल पर लाईव होने तथा इस पर संग्रहीत साक्ष्यों की अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग की मानक संचालन प्रक्रिया एन0सी0आर0बी0 के समन्वय से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित की जायेगी।

वादी या पीड़ित को विवेचना की प्रगति की सूचना देना

19–(1) विवेचना अधिकारी, विवेचना के पूर्ण होने के 90 दिनों की अवधि के भीतर, वादी या पीड़ित को विवेचना की प्रगति के बारे में एसएमएस, ईमेल या ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो समुचित हो या डाक द्वारा सूचित करेगा।

(2) विवेचना की प्रगति की सूचना में विवेचना अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा अपराध स्थल के निरीक्षण की तारीख, फोरेंसिक जांच के लिए प्रेषित साक्ष्य, साक्षियों के कथन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की स्थिति या अन्यथा आरोपी इत्यादि का विवरण आदि सम्मिलित होंगे।

(3) विवेचना अधिकारी वादी या पीड़ित को दी गई सूचना को पुलिस थाना की सामान्य डायरी में दर्ज करेगा। यह साबित करने का उत्तरदायित्व विवेचना अधिकारी को होगा कि सूचना संबंधित को दी गई थी।

ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बयान की रिकॉर्डिंग

20–(1) विवेचना अधिकारी ऐसे साक्षियों के बयान ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन माध्यम यथा ई–साक्ष्य से भी दर्ज कर सकता है, जैसा वह विवेचना के हित में उचित समझे। तत्सम्बन्धी ऑडियो–वीडियो क्लिप केस डायरी का हिस्सा होंगे।

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 से 71, धारा 74 से 79 और धारा 124 के अधीन दंडनीय समस्त मामलों में, विवेचना अधिकारी पीड़ित का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अधीन प्राधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज करवाएंगे।

(3) संहिता की धारा 183 के अधीन आवेदन सम्बन्धित अभियोजक द्वारा सिफारिश सहित अग्रसारित किया जायेगा। ऐसी सिफारिश से पूर्व सम्बन्धित अभियोजक द्वारा उक्त साक्षी का साक्षात्कार भी किया जा सकेगा। जहां तक संभव हो, ऐसा बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में, पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

(4) दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय समस्त अपराधों में, विवेचना अधिकारी प्राधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान अभिरक्षित करवाएंगे।

(5) जहां बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक रूप से निःशक्त है, वहां मजिस्ट्रेट बयान अभिलिखित करने में दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा।

(6) बयान को ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन माध्यम यथा ई–साक्ष्य, से भी अभिलिखित किया जायेगा। अभिलिखित बयानों को विवेचना अधिकारी द्वारा केस डायरी में दर्ज किया जाएगा।

सात वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों की दशा में फोरेंसिक टीम द्वारा कार्रवाई

21—(1) जब तक प्रत्येक जिले में अतिरिक्त फोरेंसिक सुसज्जित वैन और जनशक्ति उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक जिले में उपलब्ध फोरेंसिक क्षेत्र इकाई, सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के स्थल पर विहित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करेगी जैसा कि पूर्वोक्त है और तदनुसार ही भेजेगी। वह मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग युक्ति पर फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित करेगा।

(2) जिला पुलिस प्रमुख जिले के भूगोल और अपराध पैटर्न के आधार पर उक्त फोरेंसिक सुसज्जित वैन और जनशक्ति को जिला मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर अभिनियोजित करने का विनिश्चय करेगा।

(3) जघन्य अपराधों, विशेष रूप से हत्या और यौन अपराधों के लिए, जिला मोबाइल वैन प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध स्थल का दौरा करेगी और समस्त फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करेगी।

(4) अन्य अपराधों के लिए, पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम सभी फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थल का दौरा करेगी।

(5) जिला मोबाइल वैन की किसी भी कमी के मामले में, जिला पुलिस प्रमुख रेंज के प्रभारी अधिकारी से प्रतिक्रिया देने के लिए पड़ोसी जिले से एक मोबाइल वैन नियुक्त करने का अनुरोध करेगा।

सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ

22—उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में मान्यता होगी, अर्थातः—

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक;

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक;

(ग) अंगुली—छाप कार्यालय निदेशक;

(घ) निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बईः

(ङ) किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान—प्रयोगशाला का निदेशक उप—निदेशक या सहायक निदेशक;

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी;

(छ) सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रुप में उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक, वैज्ञानिक अधिकारी एवं ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक।

अन्वेषण के दौरान साक्षियों की समन पंजिका एवं व्यय

23—(1) प्रत्येक पुलिस थाना पर समन किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमे निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेंगीः—

(एक) समन किये गये व्यक्ति का पूर्ण नाम, आयु एवं लिंग,

(दो) समन किये गये व्यक्ति के पिता/पति—पत्नी का नाम,

(तीन) समन किये गये व्यक्ति का वर्तमान पता एवं स्थायी पता यदि हो तो,

(चार) समन किये गये व्यक्ति का मोबाईल नम्बर, व्हाट्सएप नंबर,

(पांच) समन किये गये व्यक्ति का ईमेल एड्रेस,

(छः) जिला का नाम,

(सात) पुलिस थाना का नाम,

(आठ) अपराध संख्या,

(नौ) धारा,

(दस) न्यायालय का नाम,

(ग्यारह) न्यायालय का वाद संख्या।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित व्ययों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त विभिन्न हितग्राही विभागों से परामर्श कर सुसंगत नीति जारी करेगी।

कतिपय व्यक्तियों को बुलाने पर निर्बंधन

24—संहिता की धारा 194 के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ, 15 वर्ष से कम आयु या 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा। जब तक कि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाना या ऐसे पुलिस थाना की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने और देने के लिए इच्छुक न हो।

अध्याय–7

गिरफ्तारी

25–(1) प्रत्येक जिला पुलिस नियन्त्रण कक्ष एवं प्रत्येक पुलिस थाना में एक–एक पुलिस उप निरीक्षक को पदाभिहित किया जाता है कि वह गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में सदैव स्वयं को अद्यतन रखेगा तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में सम्पूर्ण सूचना ग्रहण करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा। गिरफ्तारी सूचना पुस्तिका

(2) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाले रजिस्टर तथा सी०सी०टी०एन०एस० सॉफ्टवेयर में ऐसी सूचनाओं के साथ जो भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, में की जायेगी।

(3) प्रत्येक थाने और जिला मुख्यालय पर सामान्य नोटिस बोर्ड तथा डिजीटल मोड पर भी गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

26–(1) पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के समय आम तौर पर वर्दी पहननी होगी, जब तक कि वे गैर–वर्दी इकाईयों से संबंधित न हों। वर्दी पर उसका नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से अभिलिखित होगा। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करते समय अपनी पहचान स्पष्ट रूप से प्रकट करनी होगी

(2) प्रत्येक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सरकार द्वारा जारी अपना पहचान पत्र रखना होगा।

(3) उन्हें अभियुक्त और परिवार के सदस्यों को अपना नाम, पदनाम, पुलिस थाना/यूनिट स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।

अध्याय–8

रिपोर्ट का प्रेषण

27–संहिता की धारा 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, क्षेत्राधिकारी की रैंक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा भेजी जायेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्वेषण न किये जाने की रिपोर्ट का न्यायालय को भेजना

28–(1) जैसे ही अन्वेषण पूर्ण होता है, वैसे ही पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट अभियुक्त का नाम, पता एवं उसके पत्राचार का पता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करते हुये उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को इस नियमावली के परिशिष्ट–क में विहित एन0सी0आर0बी0 द्वारा विहित प्रारूप संख्या–3 (IIF–V) में एक रिपोर्ट भेजेगा, पुलिस रिपोर्ट का न्यायालय को पारेषण

(2) थाना का प्रभारी अधिकारी अथवा विवेचना अधिकारी, अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम सूचना दी अथवा पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक मोड अथवा भौतिक (manually) रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) संहिता की धारा 193 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण समाप्त हो जाने पर तैयार की गयी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, यथास्थिति, क्षेत्राधिकारी की पंक्ति से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा न्यायालय को पारेषित की जायेगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह अग्रेतर अन्वेषण करे।

(4) किसी अपराध के सम्बन्ध में संहिता की धारा 193 की उपधारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात आगे किसी भी अन्वेषण को वर्जित नहीं समझा जायेगा तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को इस नियमावली के परिशिष्ट–क में विहित एन0सी0आर0बी0 द्वारा विहित प्रारूप संख्या–3 (IIF–V) में एक भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से रिपोर्ट भेज सकेगा।

अध्याय–9

न्यायिक प्रक्रिया

29–उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अंक एवं चिन्ह होंगे। न्यायालय की भाषा

30–जहां अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे अभिलेख को अभिलेखों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा, जो इस नियमावली के परिशिष्ट–क के प्रपत्र संख्या–13 में होगी। दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का प्रारूप

समन तामील की रीति

31—(1) समन की तामील भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नवत् की जा सकेगी:—

(क) यथास्थिति पुलिस, लोक सेवक अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा साक्षी या अभियुक्त को प्रत्यक्षतः

(ख) ई—मेल द्वारा, यदि ई—मेल पता उपलब्ध हो;

(ग) समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से;

(घ) सम्बन्धित जिला के विभिन्न लोक स्थानों के नैसर्गिक रूप से दृश्य भाग पर रखकर।

(2) उक्त के अतिरिक्त समन की तामील इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से की जा सकेगी।

(3) समन तामीला के संबंध में यथा स्थिति भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजीटल एप्लीकेशन आधारित प्रणाली यथा आई०सी० जे०एस०, नेशनल सर्विस एण्ड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस (एन—स्टेप) अथवा किसी अन्य समरूप प्रणाली के माध्यम से की जा सकेगी।

(4) समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक अथवा व्यक्ति द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो, द्वारा की जायेगी।

(5) समन तामील के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भी पालन किया जायेगा:—

(क) प्रत्येक पुलिस थाना पर एक समन रजिस्टर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे प्रारूप में रखा जायेगा, जैसा समय—समय पर पुलिस महानिदेशक अथवा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, जिसमें प्रधान लिपिक द्वारा दिनांक पेशी वार समन/वारन्ट की सूचना प्रविष्ट की जायेगी ताकि पुलिस थाना पर प्राप्त होने वाले समन/वारन्ट दिनांक पेशी से पूर्व अदम/बाद तामील न्यायालय में प्रेषित किए जाने में कोई लापरवाही ना हो। उक्त समन रजिस्टर में आदेशिका जारी होने का दिनांक, न्यायालय से आदेशिका प्राप्त होने का दिनांक, प्राप्तकर्ता के विवरण सहित आदेशिका तामील किये जाने का दिनांक, आदेशिका बिना तामील हुये वापस आने का कारण तथा तामीलशुदा तथा बिना तामील हुई आदेशिकाओं को न्यायालय प्रेषित किये जाने का दिनांक अभिलिखित किया जायेगा।

(ख) यदि तामीलकर्ता समन/वारन्ट को अदम तामील लौटाता है तो वह यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित करेगा कि वांछित व्यक्ति अस्थाई रूप से निवास स्थान से बाहर गया हुआ है अथवा स्थाई रूप से यदि कुछ समय के लिए बाहर गया है तो वह वापस कब तक लौटेगा तथा बाहर जाने वाले स्थान का पूर्ण पता भी ज्ञात कर उल्लिखित करेगा।

(ग) यदि वारन्ट तामील नहीं हो सका है तो अभियुक्त का फरार होना मानते हुये सुसंगत कार्रवाई आवश्यक रूप से करायी जायेगी एवं अभियुक्त की सम्पत्ति की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी ताकि संहिता की धारा 84 एवं 85 की कार्रवाई पूर्ण करते हुए सम्पत्ति की कुर्की हो सके।

(घ) जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस थानों के भ्रमण/निरीक्षण के समय समन/वारन्ट के तामील के स्तर की समीक्षा आवश्यक रूप से करेंगे व कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) जहाँ लोक अभियोजक द्वारा किसी साक्षी स्थानांतरित पुलिसकर्मी का वर्तमान पता ज्ञात न किया जा पा रहा हो वहाँ ऐसे पुलिसकर्मी का समन स्थानीय पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त पुलिस के स्थापना शाखा के अधिकारी के पास पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजकर उन्हें तामील कराया जायेगा।

(च) सेवानिवृत्त पुलिस अथवा अन्य शासकीय सेवाओं के समन/वारन्ट प्राप्त होने पर यदि उनके निवास स्थान का पूर्ण पता ज्ञात नहीं हो तो पेंशन विभाग से मालूम किया जायेगा। यदि पेंशन विभाग द्वारा दिया गया पता गलत हो तो बैंक अकाउंट का नंबर प्राप्त कर बैंक के माध्यम से पता ज्ञात किया जायेगा।

(छ) जब न्यायालय से किसी राजपत्रित अधिकारी को साक्षी के तौर पर आहूत किये जाने का अनुरोध किया जाय तो उसकी उपस्थिति हेतु दिनांक नियत कराते समय यह बात विचार में रखी जायेगी कि उसे उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके दायित्वों के निर्वहन का समुचित प्रबन्ध करने का अवसर उपलब्ध रहे।

(ज) शीर्ष पुलिस अधिकारीगण तथा समस्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त सत्र विचारणों में आहूत किये गये पुलिस साक्षी एवं अन्य लोक सेवक प्रत्येक दशा में नियत दिनांक व समय पर न्यायालय में भौतिक अथवा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें। यदि कोई पुलिसकर्मी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

(झ) स्थानीय रूप से तैनात सरकारी कर्मचारियों को पुलिस के माध्यम से ही नहीं अन्य स्थानीय माध्यमों से उनके कार्यालयाध्यक्षों को समन भेजा जायेगा तथा अवहेलना के मामलों में विभागाध्यक्ष को समन भेजा जाये ताकि समयबद्ध तामीला सुनिश्चित हो सके।

(ञ) जबकि किसी पुलिस अथवा चिकित्सक साक्षी को साक्षी की उपस्थिति हेतु तैनाती अथवा निवास की स्थिति किसी भी भाँति ज्ञात न हो रही हो तो ऐसी दशा में समन यथास्थिति पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये जायेंगे।

(ट) जिला एवं सत्र न्यायधीश की अध्यक्षता में गठित जिला मानीटरिंग सेल की बैठक में समन तामीला की स्थिति पर आवश्यक रूप से विचार किया जायेगा।

अध्याय–10

वीडियो कान्फ्रेसिंग

वीडियो कान्फ्रेसिंग

32–वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से साक्ष्य अभिलेखन की प्रसुविधा प्रदान करने तथा उक्त के संचालन हेतु अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश उत्तरदायी होगा।

वीडियो कान्फ्रेसिंग के प्रतिभागकर्ता

33–वीडियो कान्फ्रेंसिग के निम्नलिखित प्रतिभागकर्ता होंगेः–

(1) साक्षी

(2) सुदूर स्थल का समन्वयकर्ता

(3) न्यायालय स्थल का समन्वयकर्ता

(4) अभियोजक

(5) न्यायालय के सम्बन्धित अधिकारी

वीडियों कॉफ्रेसिंग स्थल

34–संहिता की धारा 265 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जिला न्यायालयों पर साक्षियों की परीक्षा के लिए स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिग कक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित होने वाले वीडियो कान्फ्रेंसिग कक्ष को अभिहित स्थान माना जायेगाः–

(1) कारागार।

(2) अभियोजन कार्यालय।

(3) कलेक्ट्रेट परिसर ।

(4) जिला पुलिस लाइन ।

(5) ऐसा कोई स्थान जो राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्मय से विनिर्दिष्ट किया जाय।

(6) अन्य कोई स्थान जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

अभियोजक का दायित्व

35–(1) अभियोजक का यह दायित्व होगा कि वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तुत साक्षी को उसके साक्ष्य के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है और वह पूरी तरह से न्यायालय की प्रक्रिया से भिज्ञ है।

(2) अभियोजक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि साक्ष्य की प्रक्रिया के दौरान जिन प्रपत्रों पर प्रदर्श डलवाये जाने हैं, वह साक्षी को समुचित रूप से दृश्य है और वह उन्हें देख और समझ कर प्रदर्श अभिलिखित करा रहा है।

(3) अभियोजक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि साक्षी पूछे जा रहे प्रश्नों को समझ पा रहा है अथवा नहीं। साक्षी से यह अपेक्षित है कि वह साक्ष्य का अभिकथन पूर्ण होने के पश्चात अभिलिखित कथन को पूर्ण रूप से पढ़कर तथा यह समझकर कि उसके द्वारा जो उत्तर दिए गए है वही अभिलिखित किया गया है वह अभिकथन पर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर बनाएगा।

(4) अभियोजक का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि साक्षी से अनावश्यक प्रश्न न पूछे जाए और विहित समय के अंदर साक्षी का साक्ष्य पूर्ण हो सके।

(5) न्यायालय में उपस्थित अभियोजक को यह सुनिश्चित करना होगा कि साक्ष्य पूर्ण होने पर अभिलिखित किए गए साक्ष्य की स्कैन्ड प्रति पर साक्षी के हस्ताक्षर प्राप्त हो गये है और वह पत्रावली में दाखिल किया जा चुका है।

(6) अभियोजक का यह दायित्व होगा कि वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान न्यायालय की शिष्टता को बनाए रखना सुनिश्चित करे।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रक्रिया

36–वीडियो कांफ्रेंसिंग की प्रक्रिया जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग नियमावली, 2020 के अध्याय–3 में उपबन्धित है, के अनुसार होगी।

सामान्य

37–(1) विशेष परिस्थितियों में विवेचना के दौरान, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संहिता की धारा 183 के अधीन किसी साक्षी अथवा पीड़ित का कथन भी अभिलिखित किया जा सकता है जिसमें पुलिस अधिकारी एवं अभियोजक द्वारा पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग समस्त चरणों की न्यायिक कार्यवाहियों और न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों में किया जा सकता है।

(3) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की गयी समस्त कार्यवाहियाँ, न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी और किसी न्यायालय के लिये लागू समस्त शालीनतायें और प्रोटोकाल इन कार्यवाहियों में लागू होंगे।

अध्याय–11

पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधी

रिहा किए गए दोषियों द्वारा निवास की सूचना

38–(1) जहां संहिता की धारा 394 के अधीन आदेश पारित किया गया हो कि एक दोषी व्यक्ति अपनी रिहाई के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अपने निवास तथा निवास परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को देगा, तो ऐसा आदेश पारित करने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे दोषी के संबंध में संहिता की धारा 458 के अधीन जारी किए गए अभ्यर्पण वारंट में उसका अभिलेख दर्ज करेगा।

(2) विनिर्दिष्ट आदेश की एक प्रति दोषी को जेल से रिहा होने से पहले तामील की जाएगी। इन नियमों की एक प्रति उसे दी जाएगी, और उसका सार उसे उस भाषा में पूरी तरह से समझाया जाएगा जिसे वह समझता है। उसे यह भी बताया जाएगा कि वह कितने समय तक इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, और उनका पालन करने में कोई भी उपेक्षा या विफलता उसे दंड के लिए उत्तरदायी बनाएगी जैसे कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 211 (ग) के अधीन कोई अपराध किया हो।

दोषी द्वारा अपने आशयित निवास का ब्योरा दिया जाना

39–जिस दोषी के संबंध में ऐसा आदेश पारित किया गया हो, उसे, उस जेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा आहूत किये जाने पर, जिसमें वह निरूद्ध है, रिहाई से पूर्व उस स्थान का नाम तथा पूरा पता बताना होगा, जहां वह रिहाई के पश्चात निवास करना चाहता है।

निकटतम पुलिस थाने को सूचित करना

40–रिहाई के पश्चात तथा अपने निवास पर पहुंचने पर वह 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस थाने को सूचित करेगा कि वह उल्लिखित पते पर निवास कर रहा है।

निवास बदलने का आशय सूचित किया जाना

41–जब कभी रिहा किया गया दोषी अपना निवास बदलने का आशय रखता है, तो उसे ऐसा परिवर्तन करने से न्यूनतम दो दिवस पूर्व, निकटतम पुलिस थाने में अपने उक्त आशय की सूचना देनी होगी, तथा नये आशयित निवास स्थान का पता तथा वह तिथि सूचित करनी होगी जिस तिथि से वह उक्त स्थान पर निवास करना चाहता है।

पूर्वोक्त परिवर्तित निवास स्थान पर पहुंचने पर, वह 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस थाने को सूचित करेगा कि उसने तदनुसार अपना निवास प्रारम्भ कर दिया है।

सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच अनुपस्थिति की सूचना

42–जब भी कोई रिहा किया गया अपराधी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच अपने निवास से अनुपस्थित रहने का आशय रखता है, तो उसे अपनी अनुपस्थिति का समय और उद्देश्य बताते हुए निकटतम पुलिस थाने में अपने उक्त आशय की सूचना देनी होगी और उस अवधि के दौरान उसे जिस पते पर पाया जा सकता है, उसका सही पता बताना होगा।

परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए

43–पूर्वगामी नियमों द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सूचना रिहा किए गए अपराधी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, जब तक कि बीमारी या अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने से निवारित न किया गया हो, जिस स्थिति में अपेक्षित सूचना या तो उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पत्र द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत संदेशवाहक अथवा अन्य दूरसंचार एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा दे सकेगा।

सूचना की प्राप्ति प्रमाणित करना

44–जब भी रिहा किया गया अपराधी पूर्वगामी नियमों द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देता है, तो उसे उस अधिकारी द्वारा जिसे यह सूचना दी गयी है इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

45–यदि कोई दोषी जिसके संबंध में संहिता की धारा 394 के अधीन आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश की प्रति प्राप्त किए बिना जेल से रिहा हो गया है, तो जब तक आदेश प्रभावी है, उसे किसी भी समय सम्बन्धित पुलिस थाने द्वारा बुलाया जा सकता है कि वह किसी निश्चित दिन उस स्थान के निकट स्थित पुलिस थाने में उपस्थित हो, जहां वह पाया गया है, तथा उसके उपस्थित होने पर, आदेश की प्रति उसे तामील की जाएगी, तथा पूर्वोक्त नियमों द्वारा विहित अन्य औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

दोषी को बुलाना तथा नोटिस तामील करना

स्पष्टीकरणः–उपरोक्त नियमों को ऐसे घुमन्तू व्यक्ति के मामले में लागू करते समय, जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, उनका युक्तियुक्त निर्वचन इस प्रकार की जा सकती है कि वह उस स्थान पर निवास करता है जहां वह सोता है, भले ही वह वहां केवल एक रात ही क्यों न रहे। अतः उसकी रिहाई पर उससे पूछा जा सकता है कि वह कहां रहने जा रहा है, और उसे बताया जा सकता है कि यदि वह उक्त स्थान से बाहर जाता है, तो उसे अस्थायी निवास स्थान की सूचना सदैव पुलिस थाने को देनी होगी।

46–इस अध्याय में उल्लिखित नियमों के भंग किए जाने अथवा उल्लंघन की दशा में वह उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 211 (ग) के अधीन उपबंधित है।

नियम के भंग किए जाने के लिए शास्ति

अध्याय–12

संपत्ति की अभिरक्षा और निपटारा

47–(1) जहाँ कोई सम्पत्ति किसी न्यायालय के समक्ष किसी अन्वेषण, जाँच या विचारण के दौरान प्रस्तुत की जाय, तो विवेचना अधिकारी ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश देगा।

संपत्ति के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

(2) यदि संपत्ति त्वरित और प्रकृत्या क्षयशील है, तो विवेचना अधिकारी संपत्ति का विवरण तैयार करने के लिए न्यायालय या मजिस्ट्रेट को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा और क्षय शुरू होने से पहले इसके निपटारे का अनुरोध करेगा। न्यायालय या मजिस्ट्रेट, संपत्ति के साक्ष्य अभिलेखन के बाद, संपत्ति को बेचने या अन्यथा निपटारे के लिए उचित आदेश जारी करेगा।

(3) अन्य प्रकार की संपत्ति के लिए, विवेचना अधिकारी, अविलम्ब, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा कि ऐसी संपत्ति के संबंध में सभी विवेचनात्मक प्रक्रियाएं जैसे फोरेंसिक जांच और पहचान आदि पूरी कर ली गई हैं तथा अब अन्वेषण की और आवश्यकता नहीं है। थाने का प्रभारी अधिकारी आवेदन की विषयवस्तु का सत्यापन करेगा तथा संस्तुष्ट होने पर विवेचना अधिकारी को तत्सम्बन्धी आवेदन सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति प्रदान करेगा।

(4) तत्पश्चात विवेचना अधिकारी अभिग्रहीत की गई संपत्ति के अभिग्रहण मेमो जो इस नियमावली के परिशिष्ट–क में विहित एन०सी०आर०बी० द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप संख्या–4 (IIF–IV) में होगा, के साथ न्यायालय या मजिस्ट्रेट को संपत्ति का विवरण तैयार करने के लिए उसकी संपत्ति के प्रकार और पूर्ण ब्यौरे के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(5) न्यायालय उक्त सम्पत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने से चौदह दिन की अवधि के भीतर ऐसी संपत्ति के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण इस नियमावली के परिशिष्ट–क में विहित एन०सी०आर०बी० द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप संख्या–4 (IIF–IV) में उल्लिखित विनिर्देश के अनुरूप तैयार करेगा।

(6) न्यायालय विवेचना अधिकारी को उक्त सम्पत्ति की फोटोग्राफ लेने और यदि आवश्यक हो तो वीडियोग्राफी का भी निर्देश दे सकेगा। विवेचना अधिकारी उक्त संपत्ति का विवरण और फोटोग्राफ और/या वीडियो को यथा स्थिति केस डायरी या अन्वेषण का भाग बनाएगा, जिसे संहिता के अधीन अन्वेषण, विचारण या किसी भी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(7) न्यायालय, संपत्ति का विवरण और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी तैयार करने के 30 दिनों के भीतर, संपत्ति के निपटारे, विनाश, अधिहरण (जब्ती) या परिदान के लिए आदेश जारी करेगा, जिसके अनुपालन में विवेचना अधिकारी संपत्ति का तदनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी सुसंगत निदेशों एवं सुसंगत नीतियों एवं संहिता के उपबंधों के अनुपालन में निपटारा करेगा।

स्पष्टीकरणः–इस पैरा के प्रयोजन के लिए ''संपत्ति'' का अर्थ है और इसमें सम्मिलित हैंः

(क) किसी भी प्रकार की संपत्ति या अभिलेख जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो या जो उसकी अभिरक्षा में हो;

(ख) कोई भी संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया प्रतीत होता है, यथा–पशुधन, आग्नेयास्त्र, चोरी की संपत्ति, वाहन, मादक दवाएं, आभूषण, मूल्यवान अभिलेख, शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील कोई संपत्ति या कोई अन्य चल संपत्ति।

(8) मालों का निपटारा इस संबंध में गृह विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों तथा विभिन्न संबंधित विभागों यथा परिवहन, आबकारी, खाद्य एवं रसद, औषधि प्रशासन, राज्य कर विभाग आदि द्वारा इस संबंध में विरचित नियमों के माध्यम से किया जा सकेगा।

विक्रय के आगमों के संबंध में कार्रवाई

48–यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में कार्रवाई इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों के अनुसार की जायेगी।

अध्याय–13

शिकायतकर्ताओं और साक्षियों के व्यय का संदाय

साक्षियों का वर्गीकरण आदि

49–यात्रा भत्ता एवं आहार राशि के संदाय हेतु न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए अधिकृत हैं, जो कानूनी रूप से ऐसे न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं, निम्नलिखित रूप में;

प्रवर्ग एक–वर्ग एक राजपत्रित अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी, प्राक्षेपिकी और न्यायालयिक विज्ञान आदि के विशेषज्ञ और वर्ग दो अन्य सभी व्यक्ति।

संदाय के लिए दर

50–उपरोक्त दो वर्गों के व्यक्तियों को संदेय यात्रा भत्ता और आहार राशि की दरें इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शायी गयी होंगी।

दिनों की संख्या और विशेष उपबंध

51–(1) यात्रा भत्ता का संदाय वास्तविक उपस्थिति की तारीखों के साथ–साथ न्यायालय में आने–जाने में बिताए गए समय के लिए किया जाएगा। प्रत्येक मामले में संदाय का आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा न्यायालय तक आने–जाने के लिए अनुमति दिए जाने वाले दिनों की संख्या विहित की जाएगी। (2) यदि साक्ष्य की तारीख पर जिसके लिए साक्षी को आपराधिक न्यायालय द्वारा बुलाया गया है और गवाह अपने साक्ष्य के अभिलेखन के लिए न्यायालय में उपस्थित होता है और साक्ष्य के अभिलेखन के स्थगन के लिए एक आवेदन एक पक्ष द्वारा दिया जाता है, तो यात्रा खर्च और भोजन का खर्च उस पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा जिसने स्थगन के लिए आवेदन दायर किया है। यदि दूसरा पक्ष स्थगन पर आपत्ति नहीं करता है तो इसका खर्च दोनों पक्षों को समान रूप से वहन करना होगा।

अग्रिम संदाय

52–जब दूरी के कारण या अन्य कारणों से समन जारी करने वाले न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि समन किए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने में काफी व्यय करना पड़ेगा, तो वह समन जारी करते समय, इन दरों पर अनुमेय यात्रा और भोजन व्यय का पूरा या आंशिक भाग संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में विहित रीति से भेज सकता है।

कुछ मामलों में विशेष भत्ता

53–चिकित्सा या कानून जैसे किसी भी वृत्ति को अपनाने वाले व्यक्तियों को परिस्थितियों और रूढि के अनुसार विशेष भत्ता मिलेगा।

नोटः इस नियम के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य चिकित्सा अधिकारियों को कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

सार्वजनिक निधि से कोई संदाय नहीं, जहां व्यय जमा किया गया हो

54–किसी व्यक्ति को यात्रा भत्ता या आहार राशि के रूप में कोई संदाय सार्वजनिक निधि से नहीं किया जाएगा, उन मामलों में जहां किसी भी प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति के उचित खर्च को उसके हाजिर होने के लिए आदेशिका जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में न्यायालय में आदेश द्वारा जमा किया गया है।

राज्य सेवा में साक्षी

55–(1) पूर्वोक्त नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति को, जो अपनी आधिकारिक हैसियत में साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है, न्यायालय द्वारा कोई व्यय नहीं दिया जाएगा तथा इसके बदले उसे उपस्थिति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति वित्तीय पुस्तिका, खंड–तीन के नियम 59 में उपबंधित रीति से अपना यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा।

(2) राज्य की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति, जो अपनी आधिकारिक हैसियत के अलावा अन्य तरीके से साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है, पूर्वोक्त नियमों में उपबंधित व्यय के संदाय का हकदार होगा।

(3) राज्य के किसी सेवक के मामले में, जिसे अपनी आधिकारिक हैसियत में साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है, ''उचित व्यय'' का अर्थ वित्तीय पुस्तिका, खंड–तीन के अधीन उसे स्वीकार्य यात्रा भत्ता होगा।

अध्याय—14

प्रकीर्ण

एनसीआरबी प्रारूपों का कार्यान्वयन

56—(1) एनसीआरबी, भारत सरकार द्वारा तैयार एकीकृत अन्वेषण प्रारूपों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये प्रारूप सीसीटीएनएस प्रणाली पर उपलब्ध रहेंगे, जिसमें अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाएं फीड की जाएंगी। ऐसे विषयों के लिए, जिनके संबंध में एनसीआरबी द्वारा कोई प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया गया है, वर्तमान में प्रयोग में आने वाले प्रपत्रों एवं प्रारूपों को भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार संशोधित कर प्रयोग में लाया जाएगा।

(2) एनसीआरबी द्वारा तैयार निम्नलिखित एकीकृत अन्वेषण प्रपत्र इन नियमों के परिशिष्ट—क में विनिर्दिष्ट हैः—

(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या आई.आई.एफ.—एक;
(दो) प्रथम सूचना रिपोर्ट जीरो एफआईआर;
(तीन) असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट;
(चार) अपराध ब्यौरा प्रपत्र—आई.आई.एफ.—दो;
(पांच) गिरफ्तारी एवं अभ्यर्पण ज्ञापन आई.आई.एफ.—तीन;
(छह) सम्पत्ति तलाशी एवं अभिग्रहण ज्ञापन, आई.आई.एफ.—चार;
(सात) केस डायरी ब्यौरा;
(आठ) अंतिम रिपोर्ट प्रपत्र— आई.आई.एफ.—पांच;
(नौ) अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण आई.आई.एफ.—नौ;
(दस) गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण— आई.आई.एफ.—आठ;
(ग्यारह) न्यायालय निपटान प्रपत्र;
(बारह) अपील परिणाम प्रपत्र;

(3) वर्तमान गतिविधियों से संबंधित प्रपत्र पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा एवं सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। नोटिसों के रूपविधान उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा समय—समय पर अवधारित किए जा सकते हैं।

साक्षियों की सुरक्षा

57—शिकायतकर्ताओं और साक्षियों की सुरक्षा के संबंध में, इस नियमावली के परिशिष्ट—ख में उपबंधित उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 का पालन किया जाएगा।

अपदूषण हटाने से संबंधित आदेश

58—(1) जिला मजिस्ट्रेट या उप—जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपदूषण को हटाने के लिए दिया गया आदेश, इन नियमों के अधीन समन की तामील से संबंधित उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्ति पर तामील किया जा सकेगा।

(2) उक्त आदेश, राज्य सरकार के निर्देश पर उद्घोषणा द्वारा और ऐसी रीति से भी तामील किए जा सकेंगे, जैसा राज्य सरकार अवधारित करे।

प्रशिक्षण

59—संहिता एवं इन नियमों के अधीन दिए गए कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने, अपराधों का उत्कृष्ट अन्वेषण करने तथा अच्छा अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए संहिता के अधीन कार्यरत विवेचकों एवं अभियोजकों को प्रशिक्षण किसी ऐसे संस्थान में दिया जाएगा, जिसे निदेशक अभियोजन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश समय—समय पर अपर मुख्य सचिव, गृह के निर्देशन में उचित समझें।

व्यावृत्ति

60—संहिता के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रभावी सभी प्रकाशित अधिसूचनाएं, जारी की गई सभी उदघोषणाएं, प्रदत्त सभी शक्तियां, विहित प्रपत्रों में परिभाषित सभी स्थानीय अधिकार क्षेत्र, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किए गए सभी आदेश, नियम और नियुक्तियां, इस संहिता के संगत उपबंधों के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, जारी की गई सभी उदघोषणाएं, प्रदत्त सभी शक्तियां, विहित प्रपत्रों में परिभाषित स्थानीय अधिकार क्षेत्र, आदेश, नियम और नियुक्तियां मानी जाएंगी।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

223 RPH 2024 [Grih (Police) Anu-9] data-7 e

अनुसूची

(नियम 50 देखें)

दोनों श्रेणियों के गवाहों के लिए यात्रा भत्ता और आहार भत्ते की दरें नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई हैं:–

गवाह की श्रेणी	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	प्रति भोजन आहार राशि
1	2	3	4
I	प्रथम श्रेणी/द्वितीय ए0सी0 रेलवे किराया हर तरफ	वित्तीय हैंडबुक, खंड III के तहत स्वीकार्य पात्रता के अनुसार यात्रा भत्ता।	रु0 100.00 प्रति दिन
II	प्रत्येक दिशा में द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी का रेलवे किराया	सड़क मार्ग से यात्रा का किराया सबसे छोटे मार्ग के रेल किराये से अधिक नहीं होना चाहिए।	रु0 50.00 प्रति दिन

बशर्ते कि श्रेणी–I या श्रेणी–II के शिकायतकर्ता/गवाह को अधिकृत श्रेणी का रेल किराया तभी संदाय किया जाएगा, जब उसने वास्तव में अधिकृत श्रेणी में यात्रा की हो। यदि शिकायतकर्ता/गवाह निचली श्रेणी में यात्रा करता है, तो वह यात्रा श्रेणी के अधिकृत किराए का हकदार होगा। सड़क किराये के दावों के मामलों में, प्रथम श्रेणी का शिकायतकर्ता/गवाह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित ए0सी0 बस/डीलक्स बस के किराये का हकदार होगा, यदि उसने वास्तव में बस की अधिकृत श्रेणी में यात्रा की हो। यदि शिकायतकर्ता/गवाह निम्न श्रेणी की बस में यात्रा करता है, तो वह वास्तविक किराया पाने का हकदार होगा। श्रेणी–II शिकायतकर्ता/गवाह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण बस से प्रति दिशा एक किराया पाने का हकदार होगा। इसके अलावा, अभियोजन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि अदालतों में प्रथम श्रेणी के गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकतम उपयोग किया जाए। उसी जिले के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच किए जाने वाले गवाहों के लिए यात्रा भत्ता की दर रु0 यदि वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष उनके निवास से 02 किलोमीटर से अधिक दूर है तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर।

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–1 (IIF–I)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

1– District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
FIR No. (प्र0सू0रि0 सं0):
Date and Time of FIR (प्र0सू0रि0 की दिनांक और समय): घंटे

2.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (ऍ))

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं0) Date and Time (दिनांक और समय):
4. Type of Information (सूचना का प्रकार):
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
6. Complainant/Informant (परिवादी / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम):
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता):
(e) UID No. (यूआईडी सं0):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं0):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं0, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

Sl.No. (क्र0सं0)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address (पता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(j) Phone number (दूरभाष सं0): Mobile (मोबाइल सं0):
7–Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)

8–Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9–Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type सम्पत्ति के प्रकार	Description (विवरण)	Value (In Rs/–) (मूल्य (रु0 में)):

10–Total value of property (In Rs/–) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु0 में)):
11–Inquest Report/U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू0डी0 प्रकरण सं0, यदि कोई हो):

Sl.No. (क्र0सं0)	UIDB Number (यू0डी0 प्रकरण सं0)

12–First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
13–Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्रवाई चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं0 2 में उल्लेख धारा के अन्तर्गत है.):
(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): /वित/(या)
(2) Directed (Name of I.0.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): नाम):
No. (सं0): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)/ or (या)
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).
F.I.R. *read* over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant] free of cost. (परिवादी/सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क परिवादी को दी गयी)
R.O.A.C. (आर0ओ0ए0सी.)
Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर) Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):
14– Signature/Thumb impression of the complainant/informant
(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
15–Date and time of dispatch to the court (न्यायालय में प्रेषण की दिनांक और समय):

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–2
प्रथम सूचना रिपोर्ट (ZERO FIR)
FIRST INFORMATION REPORT (ZERO FIR)
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

1– District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
ZERO FIR No. (जीरो प्र0सू0रि0सं0):
Date and Time of ZERO FIR (जीरो प्र0सू0रि0. की दिनांक और समय): घंटे

2.

Sl.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.) Date and Time (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम):
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता):
(e) UID No. (यूआईडी सं0):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं0):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं0, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

Sl.No. (क्र0सं0)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address (पता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं0):

7–Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)

8–Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9–Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Property Category (सम्पत्ति श्रीणी)	Property Type सम्पत्ति के प्रकार	Description (विवरण)	Value (In Rs/–) (मूल्य (रु में)):

10–Total value of property (In Rs/–) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):
11–Inquest Report/U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू0डी0 प्रकरण सं0, यदि कोई हो):

Sl.No. (क्र0सं0)	UIDB Number (यू0डी0 प्रकरण सं.)

12–First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
13–Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्रवाई चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं0 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):
(1) Registered the case and took up the investigation
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): /or (या)
(2) Directed (Name of I.0.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): नाम):
No. (सं0): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. *read* over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.
(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क परिवादी को दी गयी)
R.O.A.C. (आर0ओ0ए0सी0)

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

14– Signature/Thumb impression of the complainant/informant(परिवादी/ सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
15–Date and time of dispatch to the court (न्यायालय में प्रेषण की दिनांक और समय):

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–3

अपराध विवरण प्रपत्र (IIF&II)

CRIME DETAILS FORM (अपराध विवरण प्रपत्र)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
FIR No. (प्र0सू0रि0सं0): Date (दिनांक)

2.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))

3. Place of occurrence shown by (के द्वारा दिखाया गया घटना स्थल):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम):	Relative Type (संबंध प्रकार)	Relative Name (संबंध का नाम)	Address (पता)

4. Type of crime (अपराध का प्रकार):

(i)

Sl.No. (क्र0सं0)	Major Head (मुख्य शीर्ष)

(ii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Minor Head (लघु शीर्ष)

(iii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Modus Operandi (तरीका वारदात)

(iv)

Sl.No. (क्र0सं0)	Conveyance(s) Used (वाहन प्रयोग किया गया)

(v)

Sl.No. (क्र0सं0)	Character Assumed (चरित्र धारण (वेशभूषा))

(vi)

Sl.No. (क्र0सं0)	Language/Dialect Used (भाषा/बोली का प्रयोग)

(vii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Special Feature (विशेष लक्षण)

(viii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Type of place of occurrence (घटनास्थल का प्रकार)

(ix)

Sl.No. (क्र0सं0)	Type of property stolen (चोरी की गयी सम्पत्ति का प्रकार)

5- Particulars of the victim (s) (पीड़ित (ओं) का विवरण):

6-Motive of crime (अपराध का उद्देश्य):

Sl.No. (क्र0सं0)	Motive of crime (अपराध का उद्देश्य)

7–Details of properties stolen /involved (चोरी गयी/संलिप्त सम्पत्ति का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Property Name (सम्पत्ति का नाम)

8– Date and time of the place of occurrence (घटना स्थल पर दौरे की तिथि और समय):

Sl.No. (क्र0सं0)	Date (दिनांक)	Time (समय):

9– Description of the place of occurrence (घटना स्थल का वर्णन):

Sl.No. (क्र0सं0)	Description of the place of occurrence (घटना स्थल का वर्णन):

10– Description of physical evidence from the scene of crime for the property recovered/seized for the purpose of investigation (जांच के उद्देश्य से अपराध स्थल से बरामद/अभिग्रहीत सम्पत्ति के भौतिक सबूत का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Details of Physical Evidence (भौतिक सबूत का विवरण)

Sl.No. (क्र0सं0)	Witness Name (साक्षी का नाम)	Address (पता)

11- Sketch/Map of the place of occurrence (Attach sketch/map with legends separately, if needed. If to scale, indicate so. May be certified and signed by witnesses, if required) (घटनास्थल का खाका/नक्शा (यदि आवश्यक हो तो अलग से खाका/नक्शा किंवदंतियों के साथ संलग्न करें। यदि पैमाने पर करने के लिए है, तो संकेत दें। साक्षियों द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षर करवाये जाये, यदि अपेक्षित हो)):

Whether the Sketch/Map prepared by draftsman\ Yes/No
(क्या खाका/नक्शा प्रारूपकार द्वारा तैयार किया गया? हाँ / नहीं)

12. Gist (सारांश):

Sl. No. (क्र0सं0)	Gist (सारांश)

Place (स्थान): Signature of Investigating Officer
(जांच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Date (दिनांक): Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–4

प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary Details

प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं0): Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं0):

FIR No.(प्र0सू0रि0 सं0): Date (दिनांक):

P.S. (थाना): District/Unit (जिला/इकाई):

1–General Information (सामान्य जानकारी):

(a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक):

(b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय):

(c) End time of Investigation (जांच अंत समय):

(d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):

(e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

2–Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया):

Sl. No. (क्र0सं0): 1

a. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया):

b. Witness Name (गवाह का नाम):

c. Relative Name (संबंधी का नाम):

d. Address (पता):

e. Age (आयु):

f. Description of major task performed (प्रस्तुत मुख्य कार्य का विवरण): investigation purpose

3–Evidence Details (साक्ष्य विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4–Action Taken Details (कार्रवाई का विवरण):

(a) Action Taken (कार्रवाई):

(b) Date of Action (कार्रवाई की दिनांक):

(c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

(d) Remarks (टिप्पणियाँ):

(e) Description (विवरण):

(f) Status of investigation (जांच की स्थिति): अनुसंधान के अधीन

5–Comment/Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक की टिप्पणी/निर्देश):

Sl.No. (क्र0सं0)	Comment Date (टिप्पणी दिनांक)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी की)	Office Type & Office Name (कार्यालय प्रकार और कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक):
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–5

(I.I.F-–IX)

अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण

Unidentified Person Registration

अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण

1. State (राज्य): District (जिला): P.S. (थाना):
   Year (वर्ष): Date/Time (दिनांक/समय):
2. (a) Unidentified Person Registration No. (अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण सं0):
   (b) G.D. No. (रोजनामचा सं.):
   (c) G.D. Date and Time (रोजनामचा दिनांक और समय):
   (d) Date and Time of Information (दिनांक और समय सूचना):
   (e) Source of information (सूचना का स्रोत):
   (f) Details of information (सूचना का विवरण):
   (g) Mode of information (सूचना का माध्यम):

Photo/चित्र

3. Reasons for not being identified (पहचान न कर पाने का कारण):
4. Unidentified Person Details (अज्ञात व्यक्ति का विवरण):
   (a) Gender (लिंग): (b) Age Range (आयु सीमा):From (से). To (तक):
   (c) Found Date & Time (मिलने का दिनांक और समय):
   (d) Place where found (जगह जहाँ मिला):
   (c) Condition in which found (स्थिति जिसमें मिला):
   (f) Religious attire and symbols found\ (Yes/No) (धार्मिक पहनावा तथा प्राप्त चिन्ह हाँ/नहीं)):

Provide relevant details (If available) (यदि हाँ तो विवरण दें):

(g) Whether apparel/Other articles Found including Jewellery *etc*.\ (Yes/No)
(यदि पहनावा/अन्य वस्तु जेवरात जो शरीर पर मिले हो आदि ? (हाँ नहीं)):

Provide relevant details (If available) (यदि हो तो विवरण दें):

(h) Whether Finger Print Taken?(Yes/No) (यदि अंगुलि चिन्ह लिये हो? (हाँ/नहीं)):
Provide relevant detail (If available) (यदि हाँ तो विवरण दें):

5. Physical Features, Deformities and Other Details of the Unidentified Person
   (अज्ञात व्यक्ति की शारिरिक बनावट, विकृतियों व अन्य जानकारियों):

Complexion (रंग)	Build (बनावट)	Height Range (कद सीमा)		Face Type (चेहरे का प्रकार)	Type of Eyes (आँखों का प्रकार)	Colour of Eyes (आँखों का रंग)
		From (से)	To (तक)			
1	2	3	4	5	6	7

Nose (नाक)	Moustache (मूंछ)	Beard Type (दाढ़ी का प्रकार)	Languages/Dialect (भाषा/बोली)	Type of Hair (बालों का प्रकार)	Colour of Hair (बालों का रंग)	Teeth (दांत)
8	9	10	11	12	13	14

Deformities (विकृतियाँ)	Place of (स्थान का)

	Burn Mark (जलने का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (तिल)	Scar (दाग)	Tattoo (गुदना)	Type of Tattoo (गुदना का प्रकार)
15	16	17	18	19	20	21

Dress Upper (ऊपरी कपड़े)	Dress Upper Colour (ऊपरी कपड़े का रंग)	Dress Lower (नीचे के कपड़े)	Dress Lower Colour (नीचे के कपडे का रंग)	Other Identification Marks (अन्य पहचान चिन्ह)	Other Identification Marks at (अन्य पहचान चिन्ह जहां है)	Blood group (रक्त समूह)
22	23	24	25	26	27	28

6. Informant Details (सूचनाकर्ता का विवरण):

(a) Name (नाम):

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Address of the Informant (सूचनाकर्ता का पता):

S. No.(क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(d) Mobile Number: (मोबाइल सं0):

(e) Landline Number (लैंडलाईन सं0):

(1) Email Id (ई–मेल आईडी):

(g) Nationality (राष्ट्रीयता):

(h) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License)
(पहचान पत्र का विवरण (राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं0, ड्रायविंग लायसेंस)):

S. No.(क्र0सं0)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

7. Other Information/Remarks (अन्य जानकारी/टीप):

8. Name of EO/10 (नाम जांचकर्ता/विवेचक): Rank (पद): No- (सं0):

Signature/Thumb impression of the Informant
(सूचनाकर्ता के हस्ता0/अंगूठे के निशान)

Signature of Officer Incharge, Police Station
(पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद):
No0 (सं0):

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–6

I.I.F.–III

गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन

ARREST/COURT SURRENDER MEMO

(Separate form for each accused)

(प्रत्येक अभियुक्त के लिए अलग फार्म)

Photo

(Paste Photo of accused if Test Identification Parade (TIP) is not to be done or after it is over)

1. District/Unit (जिला इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
   FIR/G.D. No. (प्र.सू.रि./ रोजनामचा सं.): Date (दिनांक):
2. Date, Time and Place of arrest/surrender (गिरफ्तारी आत्म समर्पण की तिथि एवं समय):
   Date (दिनॉक): Time (समय): बजे
   G.D. No. (रोजनामचा सं0):
   Place of arrest (गिरफ्तारी का स्थान):
   P.S. (थाना): District (जिला):
3. Name of the court (if surrendered) (न्यायालय का नाम (यदि आत्म समर्पण किया हो)):
4.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

5. Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/ Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/ Surrendered in court and remanded to police custody.

   गिरफ्तार कर प्रेषित किया/गिरफ्तार किया और जमानत या मुचलके पर रिहा किया/गिरफ्तार किया परन्तु अग्रिम जमानत पर रिहा किया/ गिरफ्तार किया और पुलिस हिरासत में भेजा/न्यायालय में आत्म समर्पण और जमानत पर रिहा/न्यायालय में आत्म समर्पण और न्यायिक हिरासत में भेजा/न्यायालय में आत्म समर्पण और पुलिस हिरासत में भेजा।
6. Particulars of the arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण):
   (i) Name (नाम):
   (ii) Father's Husband's Name (पिता/पति का नाम):
   (iii) First Alias (प्रथम उपनाम): (iv) Second Alias (द्वितीय उपनाम):
   (v) Nationality (राष्ट्रीयता):
   (vi) (a)(क) Voter Id. card No. (मतदाता पहचान पत्र सं0):
   (b)(ख) Passport No. (पासपोर्ट सं0): (c)(ग) Date of issue (जारी करने की तिथि):
   (d)(घ) Place of issue (जारी करने का स्थान):
   (vii) Religion (धर्म);
   (viii) Caste/Tribe (जाति/जनजाति):
   (ix)SC/ST/OBC (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):
   (x)Occupation (व्यवसाय):
   (xi)

Address (पता)	P.S. (थाना)

   (xii)

Address (पता)	P.S. (थाना)

   (xiii)Mobile Number (मोबाइल नंबर): (xiv) Phone Number (फोन नंबर):
   (xvi)UID Number (उपयोगकर्ता पहचान संख्या): (xv)PAN Number (स्थायी खाता संख्या):
7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the arrested person (Indicate if medically examined): (गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक दशा/यदि कोई चोट लगी हो तो चोट तथा उसके कारण/कारणों का विवरण (यदि डाक्टरी जाँच की गई हो तो उल्लेख करें)):

8. The arrested person, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody. The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the arrested person and was/were taken into possession, for which a receipt was given to the arrested person. If no article found, `NIL' may be indicated.

(गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण और उसके विधिक अधिकारों को बताते हुए दिनाँक समय बजे स्थान पर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर निम्नलिखित सामान पाया गया जिसे कब्जे में लेकर रसीद दी गई। यदि कुछ भी सामान नहीं पाया गया हो तो 'कुछ नहीं' लिखा जाए।)

Sl.No. (क्र0सं0)	Article found (सामान पाया गया)	Quantity (मात्रा)
1		

Necessary wearing apparels were left on the arrested person for the sake of human dignity and body protection. मानवीय गरिमा तथा शारीरिक बचाव हेतु आवश्यक कपड़े गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर रहने दिए गए। The arrested person was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification. शिनाख्त हेतु अपने आपको ढ़ककर रखने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को सचेत किया गया।

Intimation given to Shri/Smt (relation) on (date) at (hrs.)

(श्री/श्रीमती/कुमारी (संबंध) को (दिनांक), (समय) पर सूचना दी गई।

9. Physical features, deformities and other details of the arrested person: गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक बनावट, विकृतियाँ एवं अन्य विवरण:

Sex (लिंग)	Date/ Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)	Build (शारीरिक बनावट)	Height (cms.) (कद (से0 मी0)	Complexion (रंग)	Identification Marks(s) (पहचान के चिन्ह)
1	2	3	4	5	6

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टियाँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँख)	Habit (s) (आदतें)	DressHabit(s) (पहनावा)
7	8	9	10	11	12

	Place of (शरीर के किस हिस्से पर, निम्नलिखित चिन्ह मौजूद हैं?)				
Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Burn mark (जले हुए का निशान)	Leuco–derma (लुकोदेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का निशान)
13	14	15	16	17	18

Other features, if any (अन्य लक्षण, यदि कोई हो तो):

10. Whether finger–prints taken (अँगुलियों के निशान लिए गए):

11. Socio-economic profile of the arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति):

(a) (क) Living Status (जीवन स्तर):

(b) (ख) Educational qualification(s) (शैक्षिक योग्यता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Educational qualification (s) (शैक्षिक योग्यता)

(c) (ग) Occupation (व्यवसाय):

(d) (घ) Income Group (आय वर्ग):

12. Whether the arrested person, as per observation and known police records: (जाँच पड़ताल एवं ज्ञात पुलिस रिकार्ड के आधार पर, क्या गिरफ्तार व्यक्ति):

(a) Is dangerous:

(क) (खतरनाक है?):

(b) Previously jumped any bail:

(ख) (पूर्व में जमानत से भाग चुका है?):

(c) Is generally armed:

(ग) (आमतौर पर शस्त्र/हथियार रखता है?):

(d) Operates with accomplices:

(घ) (साथियों के साथ क्रियाशील है?):

(e) Is known/listed criminal:

(ङ) (ज्ञात/सूचीबद्ध अपराधी है?):

(f) Is recidivist:

(च) (पूर्व में मुजरिम है?):

(g)Is likely to jump bail:

(छ)(जमानत से भाग जाने की संभावना है?):

(h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses:

(ज) जमानत पर रिहा होने के बाद अपराध करने या पीडितों/गवाहों को धमकाने की संभावना है(यदि जमानत पर रिहा किया जाता है)?):

(i) Is wanted in any other case

(झ) (किसी अन्य अपराध में वांछित है?):

(j) Permission to arrest is taken from senior officer (not below the rand of Dy. SP u/s 35 BNSS if applicable)

(ञ) गिरफ्तारी की अनुमति वरिष्ठ अधिकारी से ली गयी है (यदि लागू हो तो धारा 35 बीएनएसएस के अन्तर्गत डिप्टी एसपी के पद से नीचे नहीं)

(If yes against item (b), (e) or (i), give case reference/Sections, Attach separate sheet, if required):

(यदि (ङ) अथवा झ का उत्तर हाँ है, तो मामला संदर्भ/धाराओं का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

(13). Name and address of the witnesses (At least two witnesses are necessary) गवाहों का नाम और पता (कम से कम दो गवाह आवश्यक हैं):

S.No. (क्रम सं0)	Name (नाम)	Address (पता)	Signature(हस्ताक्षर)

14. Signature or LTI of arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर या बाँये अंगूठे का निशान):

15. Apprehension Details of JCL (जेसीएल की हिरासत का विवरण)

(a) Reason of apprehension/Arrest (हिरासत/गिरफ्तारी का कारण):

(b) Custody of JCL till production before JJB (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उपस्थित से पूर्व जेसीएल की हिरासत):

(c) Name of Parent/Guardian/Fit Person/Observation Home/Police person/JCWO (माता–पिता का नाम/अभिभावक/फिट व्यक्ति/प्रेक्षण गृह/सिपाही/बाल कल्याण के अधिकारी):

(d) Copy of FIR given to (दर्ज प्राथमिकी की प्रतिलिपि किसे दी):

(e) Name of JCWO (बाल कल्याण अधिकारी का नाम):

Signature of Investigating Officer
(जांच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Place (स्थान):

Name (नाम):
Rank (पद)

Date (दिनाँक):

No. (सं0):

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–7

I.I.F.–IV

PROPERTY SEARCH & SEIZURE MEMO

(Search/Production/Recovery u/s 49/106/185 B.N.S.S........ etc.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 49/106/185 बी एन एस एस........ इत्यादि के अन्तर्गत तलाशी/पेशी/बरामदगी)

1. District/Unit (जिला इकाई): PS (थाना): Year (वर्ष):
FIR/GD No(प्र0सू0रि0 रोजनामचा सं0): Date (दिनांक):

2.

S.No. (क्र0सं0)	Act (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

3. Property Seized/Recovered (सम्पत्ति अभिग्रहीत / बरामद करने की):
(a) (क) Date (दिनोंक):
(b) (ख) Time (समय): बजे (c)(ग) Place (स्थान):
(d) (घ) Description of the place (स्थान का विवरण):

4. Nature of property Seized (जब्त सम्पत्ति का प्रकार):

S.No. (क्र0स0)	Nature of property seized (अभिग्रहीत सम्पत्ति का प्रकार	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)

5. Person from whom recovered (व्यक्ति जिससे अभिग्रहीत बरामद की गई):
Details of Properties Recovered (अभिग्रहीत/बरामद की गई सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र0स0)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Property Belongs to (सम्पत्ति के अधीन आता है)	Value (In Rs/–) (मूल्य (रु0 में))

6. Witnesses (गवाह):

7. Action taken/recommended for disposal of Perishable Property
(शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के निस्तारण हेतु की गई कार्रवाई/सिफारिश):

S.No. (क्र0सं0)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Action Taken (कार्रवाई की गई)

8. Action taken/recommended for keeping of Valuable Property
(मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु की गई कार्रवाई/सिफारिश):

S.No. (क्र0स0)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Action Taken (कार्रवाई की गई)

9. Identification required (क्या शिनाख्त की आवश्यकता है?):

10. Circumstances/Grounds for Seizure (अभिग्रहीत करने की परिस्थितियाँ/आधार):

11. The above mentioned properties were seized in accordance with the provisions of law in the presence of the above said witnesses/and a copy of the seizure form was given to the person/ the occupant of the place from whom seized. उपर्युक्त सम्पत्ति, ऊपर दर्शाए गए गवाहों की उपस्थिति में विधिक प्रावधानों के अनुसार अभिग्रहीत की गई तथा अभिग्रहण फार्म की एक प्रति उस व्यक्ति/स्थान के निवासी को दी गई जिससे सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई है।

12. The following properties were packed and/or sealed and the signature of the above said witnesses obtained thereon or on the body of the property. निम्नलिखित वस्तुओं को गवाहों की उपस्थिति में पैक एवं/अथवा सील किया गया तथा पैकटों पर अथवा सम्पत्ति पर उपर्युक्त गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए।

S.No. (क्र0स0)	Property (सम्पति)	Indicate whether signature obtained on the packet or on the body of the property (उल्लेख करें कि हस्ताक्षर पैकेट पर अथवा सम्पत्ति पर प्राप्त किए गए।)
1	2	3

Signature of the person from whom seized (if present)
जिस व्यक्ति से सम्पति अभिग्रहीत की गई, उसके हस्ताक्षर (यदि उपस्थित हो)

Specimen of the seal is given below
सील का नमूना नीचे दिया है।

• In case the property is seized from such a place that no receipt is required to be given to anybody, this portion of the sentence should be struck off.

• यदि सम्पत्ति ऐसे स्थान से अभिग्रहीत की गई हो जहाँ रसीद देने की आवश्यकता न हो, वहाँ इस भाग को काट दें।

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–8

Missing Person Registration
गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण
Missing Person Registration No.

(गुमशुदा व्यक्ति पंजीयन सं0):

1. State (राज्य): उत्तर प्रदेश District (जिला):
P.S. (थाना): Year (वर्ष):
Date & Time (दिनांक और समय): घंटे
2.

S.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Section (धारा (एं))

3. a. G.D. No. (रोजनामचा सं0):
   b. G.D. Date & Time (रोजनामचा दिनांक और समय): घंटे
4. a. Date & Time of Missing (गुमने का दिनांक और समय): घंटे
   b. Place of Missing (गुमने का स्थान):
   c. Brief Incident (संक्षिप्त घटना):
5. Particulars of the Missing Person (गुमशुदा व्यक्ति का ब्यौरा):
   a. Name (नाम):
   b. Alias (उपनाम)
   c. Guardian's Name (अभिभावक का नाम)
   d. Gender (लिंग): पुरुष
   e. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)):
   f. Major/Minor (वयस्क/अवयस्क):

g. Age Range (आयु सीमा): From (से): To (तक):
h. Details apparel worn/Ornaments adorn/Other articles taken (पहने हुए कपड़े, कोई गहने पहने, अन्य सामान जो साथ ले गये हो):
Provide relevant details (If available) (संबंधित जानकारी दें (यदि हो)):
i. Address of the Missing Person (गुमशुदा व्यक्ति का पता):

S.No. (क्र0सं0)	Address Type (पत्ता का प्रकार)	Address (पता)

   j. Mobile Number (मोबाइल सं0):
   k. Landline Number (लैंडलाईन सं0):
   l. Email Id (ई–मेल आईडी):
   m. Religion (धर्म): n. Whether SC/ST ?(क्या अनु जाति/ अनु. जन जाति?);
   o. Nationality (राष्ट्रीयता):
   p. Income Group (आय–समूह):
   q. Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं0. ड्रायविग लायसेंस, पैन)):

S.No. (क्र0सं0)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

6. Physical Features, Deformities and Other Details of the Missing Person (गुमशुदा की शारीरिक बनावट, विकृतियों तथा अन्य विवरण):

Complexion (रंग)	Build (बनावट)	Height Range: (कद सीमा)		Face Type (चेहरे का प्रकार)	Type of Eyes (आँखों का प्रकार)	Colour of Eyes (आँखों का रंग)
		From (से)	To (तक)			
1	2	3	4	5	6	7

Nose (नाक)	Moustach (मूंछ)	Beard Type (दाढ़ी का प्रकार)	Languages/Dialect (भाषाएँ / बोली)	Type of Hair (बालों का प्रकार)	Colour of Hair (बालों का रंग)	Teeth (दांत)
8	9	10	11	12	13	14

Deformities (विकृतियाँ)	Place of (स्थान का)					
	Burn Mark (जलने का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (तिल)	Scar (दाग)	Tattoo (गुदना)	Type of Tattoo (गुदना का प्रकार)
15	16	17	18	19	20	21

Dress Upper (ऊपरी कपड़े)	Dress Upper Colour (ऊपरी कपड़े का रंग)	Dress Lower (नीचे के कपड़े)	Dress Lower Colour (नीचे के कपडे का रंग)	Other Identification Marks (अन्य पहचान चिन्ह)	Other Identification Marks at (अन्य पहचान चिन्ह जहां है)	Mental status- (sound or unsound) मानसिक स्थिति (स्वस्थ / अस्वस्थ)	Blood group (रक्त समूह)
22	23	24	25	26	27	28	29

7. Complainant/Informant Details (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता का विवरण):

a. Name (नाम) b. Gender (लिंग):

c. Guardian's Name (अभिभावक का नाम):

d. Relationship with the Missing Person (If Any) (गुमशुदा व्यक्ति के साथ संबंध (यदि कोई हो)):

e. Address of the Complainant (शिकायतकर्ता का पता):

S.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पत्ता)

f. Mobile Number (मोबाइल सं0):

g. Landline Number (लैंडलाइन सं0):

h. Email Id (ई–मेल आईडी):

i. Nationality (राष्ट्रीयता):

j. Id details (Add atleat two ID numbers for verfication) (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License)

(पहचान विवरण (सत्यापन के लिये कम से कम दो पहचान क्रमांक सम्मिलित करें) (राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पारपत्र, आधार सं0 ड्रायविंग लायसेंस)):

S.No. (क्र0सं0)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

8. Name of EO/IO (नाम जांचकर्ता/विवेचक): Rank (पद): No. (सं0):

9. Missing Person Registration read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/ informant, free of cost (गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण को शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाया गया सही होना बताया, एक प्रति निशुल्क शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को दी गई):

Signature/Thumb impression of the complainant/ informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)

Signature of Officer in Charge, Police Station (पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

परिशिष्ट—क

प्रपत्र संख्या—9

N.C.R.

NON CONGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT

In respect of Nos Cognizable Offence

(Under Section 174 B.N.S.S.)

एनसीआर

असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट

असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में

(अधीन धारा 155 द0 प्र0 सं0)

P.S. (थाना) District (जिला) NCR.No.(असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन सं0) Date (दिनांक)

1. Acts & Sections of Law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))

2. Place of Occurrence (घटना का स्थान):

(a) Information Received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना): Date (दिनांक): Time (समय):

(b) General Diary Reference (संदर्भित रोजनामचा): G.D. No. (रोजनामचा सं0) G.D. Time (रोजनामचा समय)

(c) Occurrence Date (घटना दिनांक): Time (समय)

3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता):

Name (नाम):

S.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

4. Name, Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(b) Name (नाम):

(b) Father's Name (पिता का नाम):

(c) Age (आयु): (d) From (से): (e) To (तक):

(f) Residence (निवास):

S.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

5. NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण):

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)):

S.No. (क्र0सं0)	Property Type (संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)

7. Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (साक्षी का नाम एवं पूर्ण पता, अगर साक्षी को असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन के सार में वर्णित किया गया हो):

S.No. (क्र0सं0)	Name (नाम)	Address (पता)

8. R.O.A.C (पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है):

9. Informant is advised to seek help in concerned court (सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।):

Signature/Thumb Impression of the complainant/Informant (शिकायतकर्ता/ सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)

Signature of Officer (अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद): No.(सं0)

परिशिष्ट–क

प्रपत्र संख्या–10

I.I.F.–V

FINAL FORM/REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट (धारा 193 बी0 एन0 एस0 एस0 के अन्तर्गत)

(Under Section 193 B.N.S.S.)

IN THE COURT OF (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
   FIR No. (प्र0सू0रि0सं0): Date (दिनांक):
2. Final Report/Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या):
3. Date (दिनांक):
4.

S.No. (क्र0सं0)	Act (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

5. Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):
6. If FR Un–occurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):
8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):
   Rank (पद): No.(सं0):
9. (a) (क) Name of complainant/informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
   (b) (ख) Father's Name (पिता का नाम):
   (c) (ग)

S.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon (जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S.No. (क्र0सं0)	Property description सम्पत्ति का विवरण	Estimate value (in Rs.). अनुमानित मूल्य (रु0में)	P.S. Property Register No. थाना सम्पति रजिस्टर सं0	From whom/where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई।	Disposal निराकरण

11. Particulars of accused persons charge–sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):
    One or more parameters were not specified for the sub report, 'Subreport 1', located at: Accused Person'
12. Particulars of accused persons- not charge sheeted (suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):
13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S.No. (क्र0सं0)	Name/Mob No. नाम मो०नं०	Father's/ Husband's Name पिता/पति का नाम	Date/Year of birth जन्मतिथि/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पता	Type of evidence to be tendered प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का प्रकार

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 217/248 B.N.S (यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो बी०एन०एस० की धारा 217/248 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):
15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):
16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):
17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस): Date(दिनांक):
    (Acknowledgement to be placed) (पावती नत्थी करें):
18. Despatched on (प्रेषण की तिथि):
19. No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या):
20. List of enclosures, As annexed (संलग्नकों की सूची)
21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not/नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं, चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों:

(a) Suspected accused name, address and age/
   (क) संदिग्ध अभियुक्त नाम, पता और उम्रः

(b) The absconding accused name, address and age
   (ख) फरार अभियुक्त नाम, पता और उम्रः

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned/
अभियुक्तों के नाम व पते, जिनका चालान किया गया हो:

(a)Name, address and age of the accused on bail/

(क) जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त नाम, पता और उम्र:

(b) Mafarur accused name, address and age /

(ख) मफरुर अभियुक्त नाम, पता और उम्र :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not./

माल (हथियार सहित) जो पाए गयें हो इस विवरण के साथ कि कहां और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया

24. Result of trial / मुकदमा का परिणाम :

25. Complete Punishment / पूर्ण सजाएँ :

(a) (क) Date (दिनाँक):

(b) (ख) Place/ स्थान :

(c) (ग) Punishment / सजा:

Forwarded by Officer in charge प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित	Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर
Name (नाम): Rank (पद): No.(सं0):	Name (नाम): Rank (पद): No. (सं0):

परिशिष्ट—क

प्रपत्र संख्या—11

न्यायालय निपटान जानकारी

एफआईआर/पैटी केस से..

एफआईआर/पैटी प्रकरण तिथि...

निर्धारण की तिथि...

वर्ष..

न्यायालय प्रकार..

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश...

कोर्ट केस नं0..

जिला..

न्यायालय नाम...

पुलिस स्टेशन..

आरोप पत्र सं0..

आरोप पत्र तिथि....................................

निपटान विवरण (कृपया पहले अभियुक्त विवरण भरें)

कृपया अभियुक्त के नाम का चयन करें

क्र0सं0	चयन करें	अभियुक्त का नाम	रिश्तेदार के प्रकार	रिश्तेदार का नाम

न्यायाधीश का नाम......................................

न्यायालय संरचना...

सरकारी वकील का नाम............................जोड़े

निर्णय की तारीख (DD/MM/YYYY) मामले का प्रकार

न्यायालय निपटान जानकारी

क्र0सं0	चयन करें	अभियुक्त का नाम	रिश्तेदार के प्रकार	रिश्तेदार का नाम

न्यायाधीश का नाम...

न्यायालय संरचना..

सरकारी वकील का नाम..जोड़े

निर्णय की तारीख..

मामले का प्रकार...चयन करें

प्रकरण के लिए निराकरण की प्रकृति.............................चयन करें

रिहाई का कारण..

न्यायालय की टिप्पणी..

अपील प्राथमिकता...

अपील अवधि..

द्वारा अपील..चयन करें

संबंधित दस्तावेज..दस्तावेज अपलोड करें

परिशिष्ट—क

प्रपत्र संख्या—12

अपील विवरण

याचना विवरण का नतीजा खोजें और देखें

आरोप पत्र सं0...............................

कोर्ट केस सं0...............................

आरोप पत्र सं0...............................

अपील विवरण

न्यायालय प्रकार.................................

निर्णय की तारीख...............................

न्यायालय का नाम..............................

न्यायाधीश का नाम.............................

अपील करने वाली पार्टी......................

अपील सं0...

अपील तिथि.....................................

अपील के प्रकार...................................

उल्लेखनीय टिप्पणी.............................

न्यायालय संरचना.................................

टिप्पणी (आगे की अपील के संबंध में यदि कोई हो)

दस्तावेज अपलोड करें

क्र0सं0	फाइल का नाम	फाइन प्रकार	फाइल उप प्रकार	फाइल विवरण

अपील विवरण के नतीजेः—

क्र०सं०	चयन करें	अभियुक्त का नाम	संबंध का प्रकार	रिश्तेदार का नाम	वर्तमान पता	स्थायी पता

याचना विवरण का नतीजा खोलें और देखें

एफआईआर/पैटी केस में...

निपटान दिनांक...

निपटान प्रकार...

आरोप पत्र सं0...

कोर्ट केस सं0...

आरोप पत्र तिथि....................................

अपील विवरण

न्यायालय प्रकार..

निर्णय की तारीख......................................

न्यायालय का नाम.....................................

न्यायाधीश का नाम....................................

अपील करने वाली पार्टी..........................

अपील सं0...

अपील तिथि...

अपील के प्रकार..

न्यायालय संरचना.....................................

उल्लेखनीय टिप्पणी..................................

टिप्पणी (आगे की अपील के संबंध में यदि कोई हो)

दस्तावेज अपलोड करें

क्र0सं0	फाइल का नाम	फाइन प्रकार	फाइल उप प्रकार	फाइल विवरण

अपील विवरण के नतीजेः—

क्र०सं०	चयन करें	अभियुक्त का नाम	संबंध का प्रकार	रिश्तेदार का नाम	वर्तमान पता	स्थायी पता

परिशिष्ट– क

प्रपत्र संख्या–13

"अभिलेखों की सूची का प्रारूप'

समक्ष न्यायालय (न्यायालय का नाम)..

जनपद..................................

वाद संख्या/विशेष विचारण संख्या/सत्र विचारण संख्या......................वर्ष 20...................

सी०एन०आर० संख्या.........................ई०प्रोजि० आई०डी०...

अपराध संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.................................वर्ष 20......................

अन्तर्गत धारा............................थाना..................................बनाम...............................(अभियुक्त का नाम)

दिनांक.................20..................को....................... की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों की सूची

क्रम संख्या	अभिलेख का विवरण	अभिलेख के निष्पादन का दिनांक, यदि कोई हो	अभिलेख के न्यायालय में प्रस्तुत करने की तिथि	अभिलेख प्रस्तुत करने वाला पक्ष यथा अभियोजन/बचाव पक्ष	अभिलेख के माध्यम से दिया जा रहा साक्ष्य अथवा अभिलेख द्वारा साबित किये जाने हेतु आशयित सुसंगत या विवाद्यक तथ्य	टिप्पणी यदि यह मामले के निर्णय के पश्चात् पत्रावली में रहता है और लिफाफे में बंद कर दिया जाता है, तो लिफाफे में संलग्न करने की तिथि।
1	2	3	4	5	6	7

सूची प्रस्तुत करने वाले अभियोजक, पक्ष या अधिवक्ता के हस्ताक्षर।"

परिशिष्ट–ख
उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 398 तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त सभी शासनादेशों और अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी हैं या जिसके किये जाने का लोप किया गया है, राज्यपाल, आपराधिक विधि प्रवर्तन और अभियोजन अभिकरणों को सहायता प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों की सुरक्षा को सुगम बनाकर विधि प्रवर्तन को बढ़ावा देने तथा अपराध के साक्षियों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने और पक्षद्रोहिता की समस्या के निवारण के उद्देश्य से निम्नलिखित योजना बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024

अध्याय–1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1 (1) यह योजना उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में,–

(क) **''सक्षम प्राधिकरण''** का तात्पर्य प्रत्येक जिले में ऐसे स्थायी समिति से है जिसके अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट, सदस्य तथा संयुक्त निदेशक, अभियोजन इसके सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

(ख) **''साक्षी की पहचान छिपाना''** का तात्पर्य है और इसमें ऐसी कोई शर्त सम्मिलित है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम, पता और अन्य विवरणों को प्रकाशित करने या प्रकट करने पर रोक लगाती है, जिससे संहिता के अधीन प्रारंभिक जांच, विवेचना, विचारण और विचारण के पश्चातवर्ती चरण के दौरान साक्षी की पहचान हो सकती है;

(ग) **''परिवार के सदस्य''** में साक्षी के माता–पिता/अभिभावक, पति/पत्नी, भाई–बहन, बच्चे, पोते–पोतियाँ सम्मिलित हैं;

(घ) **''प्रपत्र''** का तात्पर्य है इस योजना के साथ संलग्न ''साक्षी संरक्षण आवेदन प्रपत्र'' से है;

(ङ) **''बंद कमरे में कार्यवाही''** का तात्पर्य ऐसी कार्यवाही से है, जहां सक्षम प्राधिकरण/न्यायालय केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति देता है जिनका साक्षी संरक्षण आवेदन पर सुनवाई और निर्णय करते समय या न्यायालय में साक्ष्य देते समय उपस्थित होना आवश्यक है और इसमें ऑडियो–वीडियो माध्यम भी सम्मिलित हैं;

(च) **''लाइव लिंक''** का तात्पर्य लाइव वीडियो लिंक या अन्य ऐसी व्यवस्था से है, जिससे कोई साक्षी, मामले में साक्ष्य देने या सक्षम प्राधिकरण से बातचीत करने के लिए न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित न होते हुए भी लिंक के माध्यम से उपस्थित रहे;

(छ) **''अपराध''** का तात्पर्य उन अपराधों से है, जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय हैं और साथ ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78 और 79 के अधीन दंडनीय अपराध भी हैं;

(ज) **''संहिता''** का तात्पर्य है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, 2023);

(झ) **''गंभीर अपराध''** का तात्पर्य बलात्कार के साथ हत्या, बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अवैध धर्म परिवर्तन के अपराध, आतंकवाद के अपराध, संगठित अपराध, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध और एमपी/एमएलए मामले आदि;

(ञ) **''धमकी विश्लेषण रिपोर्ट''** का तात्पर्य साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों को खतरे की आशंका की गंभीरता और विश्वसनीयता के संबंध में मामले की विवेचना करने वाले जिले के पुलिस प्रमुख द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट से है, इसमें साक्षी या उसके परिवार द्वारा उनके जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को दी गई धमकियों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण अंतर्विष्ट होंगे, साथ ही यह विश्लेषण भी किया जाएगा कि धमकी देने वाले व्यक्ति के पास धमकियों को कार्यान्वित करने के लिए किस सीमा तक, आशय, उद्देश्य और संसाधन हैं।

यह इस मामले में किये जाने वाले विशिष्ट साक्षी सुरक्षा उपायों के विषय में सुझाव देने के अतिरिक्त सम्भावित खतरे की आशंका को भी वर्गीकृत करेगी;

(ट) **''साक्षी''** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास किसी अपराध के बारे में जानकारी या अभिलेख है और इसमें पीड़ित भी सम्मिलित हैं;

(ठ) **''साक्षी संरक्षण आवेदन''** का तात्पर्य साक्षी द्वारा साक्षी संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया आवेदन से है, जिसे साक्षी, उसके परिवार के सदस्य, उसके सम्यक् रूप से नियुक्त अधिवक्ता या संबंधित विवेचना अधिकारी/पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक/जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे अधिमानतः संबंधित अभियोजक के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा;

(ड) **''साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ''** का तात्पर्य पुलिस या केंद्रीय पुलिस अभिकरणों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों (मनोवैज्ञानिक) के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों का एक समर्पित प्रकोष्ठ जिसे साक्षी संरक्षण आदेश को क्रियान्वित करने का कर्तव्य समनुदेशित किया गया हो।

(ढ) **''साक्षी संरक्षण निधि''** का तात्पर्य इस योजना के अधीन सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के कार्यान्वियन के दौरान उपगत होने वाले व्यय को वहन करने के लिए बनाई गई निधि से है;

(ण) **''साक्षी संरक्षण उपाय''** का तात्पर्य इस योजना के अधीन साक्षियों की सुरक्षा हेतु उपबंधित उपाय से है;

(त) **''साक्षी संरक्षण आदेश''** का तात्पर्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश जिसमें साक्षी संरक्षण उपायों का विवरण दिया गया हो, से है;

सम्भावित खतरे के अनुसार साक्षियों की श्रेणियाँ:

3–**श्रेणी 'क':** जहां संहिता की धारा 173 (3) के अधीन प्रारंभिक जांच, विचारण के दौरान या उसके बाद, साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा हो,

श्रेणी 'ख': जहां संहिता की धारा 173 (3) के अधीन प्रारंभिक विवेचना, जांच/विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति के खतरा हो।

श्रेणी 'ग': जहां खतरा युक्तियुक्त है और संहिता की धारा 173(3) के अधीन प्रारंभिक विवेचना, जांच, विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा धूमिल या संपत्ति को नुकसान हुआ हो,

योजना में सम्मिलित करने के लिए साक्षियों का मूल्यांकन

4–(1) साक्षी को योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा–

(क) अपराध की गंभीरता और अभियुक्त की सामान्य ख्याति जिससे कोई सुसंगत साक्ष्य या कथन संबंधित है;

(ख) किसी सुसंगत साक्ष्य या कथन की प्रकृति और महत्व;

(ग) साक्षी को सम्भावित खतरे की प्रकृतिः

(घ) क्या साक्षी के संरक्षण के व्यवहार्य वैकल्पिक तरीके हैं;

(ङ) मामले के अभियोजन में जनहित;

(च) व्यक्ति की योजना और उसके उपायों के प्रति अनुकूलन की क्षमता; और

(छ) ऐसे अन्य विषय जिन्हें सक्षम प्राधिकरण सुसंगत समझता हो।

(2) सक्षम प्राधिकरण किसी साक्षी को योजना में सम्मिलित नहीं करेगा यदि सक्षम प्राधिकरण के पास, उसकी राय में, साक्षी के संबंध में इस धारा में विनिर्दिष्ट मामलों का आंकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं हो।

राज्य साक्षी संरक्षण निधि

5–(क) साक्षी संरक्षण निधि के रूप में ज्ञात एक निधि होगी, जिसमें से सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान उपगत व्यय तथा अन्य तत्सम्बन्धी व्यय की पूर्ति की जाएगी।

(ख) साक्षी संरक्षण निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :–

(एक) राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजटीय आवंटन;

(दो) न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा साक्षी संरक्षण निधि में जमा किए जाने के आदेशित/अधिरोपित व्ययों की राशि की प्राप्ति;

(तीन) केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा यथा अनुज्ञा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पूर्त संस्थाओं/संगठनों तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान/अंशदान;

(चार) संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन योगदान की गई निधि।

(ग) उक्त निधि का संचालन गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट जिले में साक्षी संरक्षण निधि के लिए योजना बनाने, बजट की मांग करने तथा उसके वितरण के लिए उत्तरदायी होगा।

सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करना

6–(1) किसी व्यक्ति को योजना में तभी सम्मिलित किया जा सकता है, यदि–

(क) सक्षम प्राधिकरण ने निर्णय लिया हो कि साक्षी को इसमें सम्मिलित किया जाए;

(ख) व्यक्ति सम्मिलित होने के लिए सहमत हो; और

(ग) समझौता ज्ञापन पर साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, या

(एक) यदि व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है तो उसके माता–पिता या अभिभावक द्वारा; या

(दो) यदि व्यक्ति में अन्यथा हस्ताक्षर करने की विधिक क्षमता नहीं है, तो ऐसे अभिभावक या विधिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, जो साधारण व्यक्ति की देखभाल और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हों।

2–कोई भी व्यक्ति जो अपराध का पीड़ित हो या ऐसे पीड़ित का माता–पिता, अभिभावक या विधिक प्रतिनिधि हैं, वह इस योजना के अधीन संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए या तो संबंधित जिले जहां अपराध हुआ है, के सक्षम प्राधिकरण के समक्ष इसके सदस्य सचिव के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हो, सीधे आवेदन कर सकता है या इस प्रयोजन के लिए डिजाइन किये गये पोर्टल/ऐप या वेबसाइट पर लिखित/टाइप किये गये शपथ पत्र पर स्व–हस्ताक्षरित अभ्यावेदन के रूप में अपना आवेदन रजिस्टर कर सकता है।

3–अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के संरक्षण के लिए आवेदन, राज्य सरकार द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन व्यक्ति के माता–पिता या अभिभावक की सहमति के बिना किया जा सकता है।

4–किसी साक्षी को इस योजना के अधीन संरक्षण प्रदान किया जायेगा, बशर्ते कि उसे योजना में सम्मिलित करने के लिए लिखित अनुरोध सक्षम प्राधिकरण को किया जाए–

(क) क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट;

(ख) राज्य सरकार; या

(ग) पुलिस महानिदेशक;

(घ) लोक अभियोजक।

5–सक्षम प्राधिकरण समुचित मामलों में स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

6–संबंधित सक्षम प्राधिकरण ऐसी प्रत्येक शिकायत को भविष्य के संव्यवहारों के लिए एक आवेदन संख्या आवंटित करते हुये अपने अभिलेखों में अभिलिखित करेगा।

7–किसी भी स्तर पर प्राप्त इस योजना से संबंधित सभी आवेदन अनिवार्य रूप से उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे।

8–आवेदन केवल इस योजना के प्रपत्र संख्या–1 में प्रस्तुत किया जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया के ढंग

7–(1) जब भी सक्षम प्राधिकरण के सदस्य सचिव को विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होता है, तो वह संबंधित पुलिस क्षेत्र के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक से खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगने के लिए तत्काल आदेश पारित करेगा।

(2) आसन्न खतरे के मामले की तात्कालिकता के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण आवेदन के लंबित रहने के दौरान साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की अंतरिम संरक्षण के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।

(3) पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए खतरा विश्लेषण रिपोर्ट शीघ्रता से तैयार की जाएगी तथा यह आदेश प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकरण के पास अग्रेषित की जाएगी:

परन्तु यह कि, यदि खतरा विश्लेषण रिपोर्ट को अग्रेषित करने वाला अधिकारी को लगता है कि साक्षी संरक्षण के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है, तो सुसंगत दस्तावेजों के साथ एक ऐसा तर्कपूर्ण और स्पष्ट रिपोर्ट सक्षम प्राधिकरण को उचित निर्णय के लिए अग्रेषित की जाएगी, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

(4) खतरा विश्लेषण रिपोर्ट में खतरे की आशंका को वर्गीकृत किया जाएगा तथा साक्षी या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुझावात्मक सुरक्षा उपाय भी अंतर्विष्ट होगा।

(5) साक्षी संरक्षण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय, सक्षम प्राधिकरण साक्षी और/या उसके परिवार के सदस्यों/नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाए, के साथ व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव न हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्षी की साक्षी संरक्षण आवश्यकताओं को पता लगाने के लिए बातचीत करेगा।

(6) साक्षी संरक्षण आवेदन पर सभी सुनवाई सक्षम प्राधिकरण द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए, बंद कमरे में या दूरस्थ केंद्रों से ऑडियो–वीडियो के माध्यम से की जाएगी।

(7) पुलिस अधिकारियों से खतरा विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में यदि मामले के उचित और न्यायसंगत निर्णय के लिए और समय की आवश्यकता होती है, तो अनिवार्य रूप से कारण का उल्लेख किया जाएगा और किसी भी मामले में यह समय सीमा कुल मिलाकर 10 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।

(8) सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश को राज्य के यथास्थिति, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ या विचारण न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण योजना के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पर होगी।

तथापि, पहचान बदलने और/या स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश को गृह विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।

(9) साक्षी संरक्षण आदेश पारित होने पर, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकरण के समक्ष मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(10) यदि सक्षम प्राधिकरण को लगता है कि साक्षी संरक्षण आदेश को उपान्तरित करने की आवश्यकता है या इस संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और संहिता की धारा 173 (3) के अधीन प्रारंभिक जांच, विवेचना या विचारण पूर्ण होने पर, संबंधित पुलिस क्षेत्र के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक से एक नई खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगी जाएगी।

(11) योजना के अधीन आच्छादित व्यक्ति को तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक उसकी सुरक्षा के लिए लगातार खतरा या जोखिम बना हो।

सुरक्षा उपायों के प्रकार

8–(1) साक्षियों की सुरक्षा हेतु आदेशित उपाय खतरे के अनुपातिक होंगे और एक नियत अवधि के लिए होंगे जो एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, और इनमें सम्मिलित हैः

(क) यह सुनिश्चित करना कि अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षी और आरोपी आमने–सामने न आएं;

(ख) मेल और टेलीफोन कॉल की निगरानी;

(ग) टेलीफोन कंपनी के साथ साक्षी का टेलीफोन नंबर बदलने या उसे कोई गैर–सूचीबद्ध टेलीफोन नंबर देने की व्यवस्था;

(घ) साक्षी के घर में सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा द्वार, सीसीटीवी, अलार्म, बाड़ इत्यादि लगाना;

(ङ) साक्षी को बदले हुए नाम या अक्षर से संबोधित करके उसकी पहचान छिपाना;

(च) साक्षी के लिए आपातकालीन संपर्क व्यक्तिः

(छ) कड़ी सुरक्षा, साक्षी के घर के आसपास नियमित गश्त;

(ज) अस्थायी रूप से किसी रिश्तेदार के घर या नजदीकी शहर में निवास स्थान बदलना;

(झ) न्यायालय तक आने–जाने के लिए अनुरक्षक (स्कार्ट) तथा सुनवाई के दिनांक हेतु कोई सरकारी वाहन या राज्य द्वारा वित्तपोषित वाहन की व्यवस्था;

(ञ) बंद कमरे में सुनवाई आयोजित करना;

(ट) कथन और बयानों को अभिलिखित किये जाने के दौरान समर्थित व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति देना;

(ठ) विशेष रूप से डिजाइन किए गए संवेदनशील साक्षी न्यायालय कक्षों का उपयोग, जिसमें विशेष व्यवस्थाएं जैसे लाइव वीडियो लिंक, वन–वे मिरर और स्क्रीन हों, साक्षियों और अभियुक्तों के लिए अलग–अलग मार्ग हों, जिसमें साक्षी के चेहरे की छवि को बदलने और साक्षी की आवाज के ऑडियो फीड को रूपान्तरित करने का विकल्प हो, ताकि उसे पहचाना न जा सके;

(ड) बिना किसी स्थगन के दिन–प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई के दौरान कथन की शीघ्र रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना;

(ढ) साक्षी को पुनर्वास, भरण–पोषण या साक्षी को सक्षम बनाने हेतु नया व्यवसाय/पेशा प्रारम्भ करने के प्रयोजनार्थ, यदि वांछित हो तो साक्षी संरक्षण निधि से समय–समय पर वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना;

(ण) कोई अन्य सुरक्षा उपायों जो आवश्यक समझे जायें।

(2) ऐसे समस्त मामलों में, जहां सक्षम प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि साक्षी को साक्षी संरक्षण या साक्षी पहचान संरक्षण की आवश्यकता है, सक्षम प्राधिकरण समुचित पुलिस संरक्षण के अधीन दूरस्थ स्थान से ऑडियो–वीडियो माध्यम से साक्षियों की परीक्षण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से संबंधित न्यायालय को अपनी संस्तुति भेजेगा।

9—एक बार संरक्षण आदेश पारित हो गया, सक्षम प्राधिकरण इसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्टों के संदर्भ में इसका पुनर्विलोकन कर सकता है, यद्यपि, सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर तिमाही आधार पर साक्षी संरक्षण आदेश का पुनर्विलोकन करेगा। पर्यवेक्षण और पुनर्विलोकन

10—(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 (3) के अधीन प्रारंभिक जांच, किसी अपराध की अन्वेषण या सुनवाई के दौरान, पहचान सुरक्षा की मांग के लिए एक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकरण के समक्ष उसके सदस्य सचिव के माध्यम से दायर किया जा सकता है। पहचान की सुरक्षा

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकरण के सदस्य सचिव खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगेंगे। सक्षम प्राधिकरण ऑडियो—वीडियो माध्यम से या बंद कमरे में साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण करेगा, जैसा कि वह यह पता लगाने के लिए उचित समझे कि पहचान सुरक्षा आदेश पारित करने की आवश्यकता है या नहीं।

(3) आवेदन की सुनवाई के दौरान, साक्षी की पहचान किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जायेगा, जिससे साक्षी की पहचान का प्रकटीकरण होने की संभावना हो। इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निपटारा कर सकता है।

(4) एक बार सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी की पहचान की सुरक्षा के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है तो साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे साक्षी/उसके परिवार के सदस्यों की पहचान जिसमें नाम माता—पिता/व्यवसाय/पता/डिजिटल फुटप्रिंट सम्मिलित हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं।

(5) जब तक किसी साक्षी की पहचान सक्षम प्राधिकरण के आदेश के अधीन सुरक्षित है, तब तक साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध कराएगा जिनसे किसी आपातकालीन की मामले में साक्षी संपर्क कर सकता है:

परन्तु यह कि साक्षी की पहचान आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग—डिकोडिंग विधियों के माध्यम से भी सुरक्षित रखी जा सकती है।

11—(1) उचित मामलों में, जहां साक्षी द्वारा पहचान के परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जाता है और खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण साक्षी को नई पहचान स्वीकृत करने का विनिश्चय कर सकता है। पहचान में परिवर्तन

(2) नई पहचान की स्वीकृति जिसमें नया नाम/वृत्ति/माता—पिता और राजकीय संस्थानों के समर्थित सहायक दस्तावेज प्रदान करना सम्मिलित होगा। नई पहचान साक्षी को उसके विद्यमान शैक्षिक वृत्तिक/संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं करेगी।

12—उचित मामलों में, जहां साक्षी द्वारा स्थानांतरण के लिए आग्रह किया जाता है और खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी के स्थानांतरण के लिए विनिश्चय किया जा सकता है। साक्षियों का स्थानांतरण

सक्षम प्राधिकरण साक्षी की सुरक्षा, कल्याण और हित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संघ के राज्य या क्षेत्र अथवा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर साक्षी के स्थानांतरण के लिए आदेश पारित कर सकता है। ऐसे स्थानान्तरण में होने वाले व्यय का वहन साक्षी संरक्षण निधि द्वारा किया जाएगा।

13—इस योजना का व्यापक प्रचार किया जायेगा। विवेचना अधिकारी, अभियोजक और न्यायालय साक्षियों को ''साक्षी संरक्षण योजना'' के अस्तित्व और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में सूचित करेंगे। साक्षियों को योजना की जानकारी दी जाएगी

14—(1) पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायालय कार्मिक, उभय पक्षों के अधिवक्ता सहित समस्त हितधारक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, इस योजना के अधीन कार्यवाही से संबंधित कोई भी अभिलेख, दस्तावेज या जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ विचारण न्यायालय/अपील न्यायालय की अनुमति के बिना और वह भी लिखित आदेश के बिना किसी भी तरीके से साझा नहीं की जाएगी। अभिलेखों की गोपनीयता और संरक्षण

(2) इस योजना के अधीन कार्यवाही से संबंधित समस्त अभिलेख तब तक संरक्षित किए जाएंगे जब तक कि संबंधित विचारण या अपील किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है। अंतिम न्यायालय कार्यवाही के निस्तारण के एक वर्ष के पश्चात, अभिलेख की हार्ड कॉपी को स्कैन की गई सॉफ्ट कॉपी को संरक्षित करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकता है।

अभियोजन के दौरान साक्षियों के अधिकार

15–(1) कोई भी न्यायालय, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या अपनी स्वयं की प्रेरणा से, साक्षी की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे या इस योजना के अधीन मामले को सक्षम प्राधिकरण को संदर्भित कर सकता है।

(2) इस योजना के अधीन आने वाले किसी साक्षी को किसी भी न्यायालय की कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना पाने का अधिकार होगा। उसे किसी अभियुक्त की जमानत, उन्मुक्ति, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या दण्डादेश या किसी संबंधित कार्यवाही या बहस के संबंध में किसी भी कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार होगा और वह दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या दण्डादेश पर लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकरण या उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी उक्त साक्षी को अपराध की अन्वेषण की प्रगति के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा, चाहे अपराधी को गिरफ्तार किया गया हो या नहीं, आरोप–पत्र दाखिल किया गया हो, जमानत दी गई हो, आरोपित किया गया हो, दोषसिद्ध किया गया हो या दण्डादेश दिया गया हो, और यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया हो तो संदिग्ध अपराधी का नाम ।

(4) उपर्युक्त साक्षी को अन्वेषण या पूछताछ के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षी के किसी भी कथन की एक प्रति, संहिता या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) के अधीन दायर समस्त कथनों और दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें न्यायालय में ऐसी पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात् पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र या समापन रिपोर्ट भी सम्मिलित है।

(5) कोई भी साक्षी संबंधित जिले में नियुक्त राज्य अभियोजन सेवा के किसी भी अधिकारी से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी पीड़ित, परिवादी या साक्षियों को प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में संबंधित न्यायालय को सूचित करेगी और संबंधित न्यायालय समय–समय पर इस उपबंध के अधीन प्रदान की जा रही सुरक्षा की समीक्षा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।

(7) विवेचक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ित, परिवादी या साक्षियों की किसी भी प्रकार की धमकी, जबरदस्ती या प्रलोभन या हिंसा या हिंसा की धमकी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करे, चाहे वह मौखिक रूप से दी गई हो या लिखित रूप में और इसकी एक प्रति संबंधित न्यायालय और इस योजना के अधीन सक्षम प्राधिकरण को अभिलिखित करने के चौबीस घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

व्यय की सुरक्षा और वसूली की समाप्ति

16–(1) किसी प्रतिभागी को कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई सुरक्षा और सहायता सक्षम प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, यदि साक्षी लिखित रूप से अनुरोध करता है कि इसे समाप्त कर दिया जाए।

(2) कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई सुरक्षा और सहायता सक्षम प्राधिकरण द्वारा समाप्त की जा सकती है, यदि–

(क) प्रतिभागी जानबूझकर समझौता ज्ञापन की शर्त या कार्यक्रम से संबंधित किसी आवश्यकता या वचनबद्धता का उल्लंघन करता है;

(ख) प्रतिभागी द्वारा किया गया या किया जाने वाला कोई भी कार्य, सक्षम प्राधिकरण की राय में, कार्यक्रम की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है या कार्यक्रम की अखंडता से समझौता कर सकता है;

(ग) प्रतिभागी के लिए सुरक्षा और सहायता हेतु आवश्यकता को जन्म देने वाली परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, और सक्षम प्राधिकरण की राय है कि मामले की परिस्थितियों में, सुरक्षा और सहायता समाप्त कर दी जानी चाहिए; या

(घ) यदि साक्षी अपने बयान से पलट जाता है।

(3) यदि साक्षी ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है तो संबंधित सरकार का गृह विभाग साक्षी संरक्षण निधि से किए गए व्यय की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है:

परन्तु यह कि साक्षी संरक्षण के बावजूद, यदि साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है तो संबंधित लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर, सक्षम प्राधिकरण भू–राजस्व के बकाया के रूप में या राज्य सरकार द्वारा विहित तरीके से व्यय की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

17–(1) जब तक राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अवसंरचना और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योजना के प्रवर्तन में सम्मिलित अधिकारियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। — अधिनियम के प्रवर्तन में सम्मिलित अधिकारियों की सुरक्षा

(2) संबंधित जिले का प्रत्येक लोक सेवक योजना के प्रवर्तन में सम्मिलित अधिकारियों को सुरक्षा और सहयोग के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

18–सक्षम प्राधिकरण किसी भी ऐसे व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी सेवाएं इस योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों। — विशेषज्ञों की सेवाएं

19–यदि साक्षी या पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकरण के विनिश्चय से असंतुष्ट हैं, तो सक्षम प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के 15 दिनों के भीतर एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया जा सकता है। — पुनर्विलोकन

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1537/VI-pu0-9–2024, dated June 30, 2024 :

No. 1537/VI-pu0-9–2024
Dated Lucknow, June 30, 2024

IN exercise of the powers under section 173, 179, 64, 350, 394, 462, 153 and various other sections of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897),and in supersession of all previous rules and orders issued on the subject except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession,the Governor is pleased to make the following rules:-

Uttar Pradesh Bharatiya Nagarik Suraksha Rules, 2024

Chapter-1

General

1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Bharatiya Nagarik Suraksha Rules, 2024. — Short title and commencement

(2) It shall come into force from the 1st day of July, 2024.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- — Definitions

(a) **"Electronic communication"** means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification, by the Central Government;

(b) **"Electronic evidence"** means any evidence, data or information or records collected, generated, stored, transmitted or otherwise processed in electronic form by mechanical or electronic processes including e-Evidence mobile application, which is relevant and admissible as evidence in a court of law to prove or disprove any relevant fact orfact in issue;

(c) **“Form”** means the forms appended to theserules;

(d) **“Sanhita”** means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023).

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Sanhita.

Chapter- 2
'Audio-Visual Electronic Aids'

"Audio-visual electronic aids"

3. (1) Audio-visual electronic means and communication devices may be used for the following purposes:-

(a) recording of evidence through video conferencing;

(b) recording of identification processes;

(c) search and seizure or collection of evidence;

(d) transmission of electronic information;

(e) information relating arrest;

(f) transmitting information relating the commission of an offence;

(g) every report to be sent to the Magistrate;

(h) information relating to recording of statements of witnesses during investigation;

(i) communication by the Investigating Officer of the action taken by him to the person, if any, who first gave information relating the commission of an offence;

(j) photography and videography of statements containing property details;

(k) all hearings on witness protection applications;

(l) making video films recording information given by a woman relating sexual offences;

(m) such other purposes as may be notified by the State Government by regulation or order issued under these rules.

(2) Audio-visual electronic aids and communication devices includes the following devices:-

a. telephone and mobile phones;

b. remotely operated memory based answering fax machines, with facilities for signed fax messages;

c. e-mail;

d. any telecommunication, electronic device or electronic form.

e. video conferencing and teleconferencing. - The following devices shall also be included under this system:-

(i) desktop, laptop, mobile devices including internet and printer;

(ii) camera;

(iii) microphone and speaker;

(iv) display units;

(v) document visualizer; and such other devices as may be notified by the State Government by order.

Chapter- 3
District and State Level Police Control Room

District Police Control Room

4. (1) A District Police Control Room shall be established in every district in the office premises of the Commissioner of Police/Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be, or in any other district police premises. The Police Control Rooms presently located at the District Headquarters shall be deemed to be the Police Control Room for the purpose of section 37 of the Sanhita.

(2) The District Police Control Room shall continuously monitor all types of operations such as law and order situation, festivals/celebrations, crime incidents, VIP movement so that any situation can be dealt with by assisting the police stations.

(3) The District Police Control Room shall be responsible for traffic, drone flights and anti-drones, shifting of sick and injured persons for medical treatment, informing and sending fire brigade/disaster management team in case of any fire incident, providing assistance/help through *UP112* helpline and maintaining liaison with other districts.

(4) The District Police Control Room shall function round the clock with experienced officers and force. The District Police Control Room shall record the information received from senior officers and the public, and the compliance of the orders given by senior officers will be ensured within time. The officers of the concerned districts will be informed for immediate disposal of the complaints received from the public. Cases of serious complaints shall be sent to the *Public Grievance Branch* for further action.

(5) E-mail section and Radio Transmission (RT) wireless section, message receipt and dispatch section shall also work under the District Police Control Room.

(6) A Gazetted officer of the district police shall be the supervisory officer of the District Police Control Room.

(7) The CUG number, telephone number of the District Police Control Room will be decided by the Director General of Police, Uttar Pradesh, which will be widely publicized among the general public by coordinating with all the communication media and public awareness camps and various departments.

(8) *Fax out / fax in* facility shall also be established in the District Police Control Room. In important and necessary cases, in those units where e.mail facility is not available, *fax out* work will be done. Fax messages received on *fax* in shall be transmitted to the concerned senior officers. Along with this, inter-departmental information shall be transmitted expeditiously.

(9) In the District Police Control Room, when information relating to crime and administrative instructions is received through *SMS/e-mail in*, it shall be entered in the register and transmitted to senior officers through SMS/e-mail. Similarly, information relating crime and administrative instructions through *e-mail out* will be transmitted to senior officers through email and it shall be entered in the concerned register prepared and approved by the Director General of Police.

(10) TV monitors shall also be installed in the district police control room, in which news channels will be running on each monitor. Information relating to crimes and accidental incidents cognized through this will be forthwith brought to the notice of senior officers after getting it verified from the concerned officer and prompt compliance of the instructions received from them shall be ensured.

(11) District Police Control Room shall also be connected with WhatsApp Group and other social media groups of the Headquarters of Director General of Police, Uttar Pradesh. Important law and order and crime related information shall be conveyed to all concerned specified officers through SMS and such social media groups.

(12) In the District Police Control Room, computer set up of information received from districts and media intelligence, which has elements of serious crime will be prepared and brought to the notice of senior officers and compliance of the instructions received will be ensured.

State Level Control Room

5. (1) The Uttar Pradesh Police Emergency Response Support System *(UP112)*which has been established under the Home Department of the Government of Uttar Pradesh to provide prompt integrated emergency response for public safety and security to all citizens at any time throughout the State. This system shall be deemed to be the State Level Control Room.

(2) The Home Department shall have the power and responsibility to take all actions for upgradation of this system, execution of contracts and entering into agreements with various establishments etc. and to determine their terms and conditions.

(3) Continuous efforts shall be made to further optimize and improve the standard of functioning of this system to serve the citizens within minimum response time in urban and rural areas.

(4) The State Level Control Room shall consist of a high tech centralized contact and dispatch centre at Lucknow, data centre and command centre at Lucknow, Operation and Maintenance Centres (OMC) at Prayagraj and Ghaziabad, 75 District Control Rooms, 8 Zones, 18 Regions, 8 Commissionerates, Fire Services and Government Railway Police, to be continuously upgraded and standardized as required by arranging dedicated lease lines to connect them. The power to change or add the said number shall be vested in the State Government of Uttar Pradesh.

(5) Trained and sensitized police personnel, as required by the State Government, shall be deployed throughout the State to serve the citizens.

(6) As many outsourced professional women officers, centralized dispatch officers, police officers, as required by the State Government shall be deployed at the state-of-the-art facility centre at UP 112 Headquarters (Centralized Contact Centre).

(7) The said centralized service shall have as many modern Police Response Vehicles (PRVs), equipped with GPS-enabled mobile data terminals, Radio-over-Internet-Protocol (ROIP) wireless sets, mobile phones, dashboard cameras and first aid kits, as the State Government deems fit and necessary. These will provide regular and uninterrupted services 24*7 and 365 days to serve the citizens of the State of Uttar Pradesh.

(8) Apart from the above, a control room shall also be set up at the Director General of Police Headquarters at such place as may be determined by the Director General of Police, in which UP-112 nodes will be installed, where the information received relating to crimes, accidents and accidents which are brought to the notice of the control room shall be verified.

(9) Besides the above, the control room situated at Police Headquarters shall coordinate information relating to the programs of the Governor, Chief Minister, Uttar Pradesh, and other senior officers through RT set.

(10) Besides this, other works assigned by senior officers from time to time in the said control room shall also be carried out as per instructions and for monitoring any sudden incident, accident, the concerned officers shall be contacted and their timely solution will be ensured.

Information relating name and address of the arrested persons

6. (1) A police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police at each district control room and each police station shall be responsible for maintaining information about the name and address of persons arrested.

(2) The information relating to the arrested person, the nature of offence with which he is charged shall be prominently displayed, including in digital mode, at each police station and at the district control room.

Chapter- 4
Information about crime

Cognizable offence information register

7. (1) Whenever information relating to a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, is received by the Officer-in-Charge of a police station, a First Information Report shall be registered in accordance with the procedure laid down in section 173 of the Sanhita at the police station in Form No. 1(IIF-I) in Appendix-A to these rules.

(2) If the information is given through electronic communication means, it shall be recorded by the Officer-in-Charge of the police station within three days after being signed by the person giving it.

(3) The gist of information relating to a cognizable offence received verbally, in writing or through electronic communication means shall be entered in the Cognizable Crime Information Register either physically or electronically on the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) system of National Crime Record Bureau (NCRB).

(4) The Cognizable Crime Information Register shall be available on CCTNS in such format as may be specified by the NCRB or the State Government from time to time.

Information provided by electronic communication

8. Whenever information relating to the commission of a cognizable offence is given electronically, the following procedure shall be followed by the Officer-in-Charge of the concerned police station:-

(i) the message so received through electronic communication means shall be downloaded and stored in the designated computer at the police station;

(ii) The Officer-in-Charge of the police station shall enter the said information in the *e-Complaint Register* prepared in the format provided by NCRB on CCTNS with reference to the message stored in the designated desktop;

(iii) the Officer-in-Charge of the police station shall inform the complainant through electronic communication means to visit the police station or any other place within three days of sending the message for signing the complaint so as to proceed in to the matter as per law.

In case the information pertains to another police station, then the Officer-in-Charge of the police station shall advise the complainant to go to that police station. If the complainant agrees to do so, the Officer-in-Charge of the police station shall forward the received electronic information so received to the concerned police station;

If the complainant finds it inconvenient to visit the police station where he has sent the information electronically, he shall be advised to visit the police station of his convenience. The Officer-in-Charge of the police station shall forward the received electronic information to the concerned police station;

(iv) a general diary entry in this respect shall be recorded accordingly;

(v) if the complainant fails to appear at the police station or any other place for signing the complaint, the Officer-in-Charge of the police station shall make an entry in the e-complaint register and the general diary and shall also inform the concerned Deputy Superintendent of Police in this regard without delay. In the above circumstances, the Officer-in-Charge of the police station may register a case *suo-moto;*

(vi) if the complainant appears after the stipulated period of three days, the Officer-in-Charge of the police station shall treat it as fresh information received by the police station and proceed accordingly. He may, however, use the earlier information received electronically for investigation and shall record the reasons for delay in the arrival of the complainant at the police station or other place;

(vii) Notwithstanding anything contained otherwise in the preceding rules, if the electronic information so received indicates commission of a serious crime, the officer in charge of the station shall either himself or direct a police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police to forthwith proceed to the scene of crime concerned and take necessary lawful action;

(viii) the messages so stored shall be retained for a period of one year. After the completion of one year, the said messages, after obtaining the permission of the Deputy Superintendent of Police having jurisdiction who shall ensure that they are not required for any lawful purpose or otherwise, shall be deleted.

Zero FIR

9. On receipt of information relating to cognizable offence committed outside the jurisdiction, the officer in charge of the police station or the police officer present on duty at that time shall lodge a Zero First Information Report (Zero F.I.R.) under relevant sections in the prescribed *Format No. 2 of Appendix-A*, the procedure for which shall be as follows:-

(1) If the information is given orally, it shall be recorded by him or on his direction and shall be read out to the informant and his signature shall also be obtained.

(2) If electronic communication is given, it shall be recorded after being signed by the person giving it within three days and its gist shall be entered in the aforesaid *Format No. 2 of Appendix-A*.

(3) A video film shall be prepared of recording the information given by a woman in relation to sexual offences.

(4) After registration of the case or during investigation or preliminary investigation, if it is determined that the crime has been committed within the jurisdiction of another police station, the FIR or preliminary investigation, as the case may be, shall be transferred to the concerned police station without any delay.

(5) If the case is to be transferred to a police station within the same district or range or zone, as the case may be, the transfer shall be processed through the Police Head of District or Range or Zonal Police.

(6) If the concerned police station is in a different police zone, the case shall be transferred through the concerned Zonal Police Head in consultation with the Zonal Police Head.

(7) If the concerned police station is in another Police Commissionerate, the case shall be transferred through the concerned Zonal Police Chief in consultation with the Commissioner of Police.

(8) Cases between two Police Commissionerates shall be transferred in consultation with the two concerned Commissioners of Police.

(9) If the concerned police station is in another State, the case shall be transferred through the Headquarters of the Director General of Police,.

(10) In cases of case transfer, the Officer-in-Charge of the police station shall make an entry in the General Diary and make relevant remarks on the concerned First Information Report.

(11) On receipt of the transferred case, the Officer-in-Charge of the concerned police station shall generate a new crime number of his police station and take action in accordance with law.

(12) On receipt of the transferred preliminary inquiry, a period of fourteen days for completion of the preliminary inquiry shall commence from the date of receipt of the information at the receiving police station.

(13) The process of transfer of the case shall be completed within five days, in no case there shall be any delay in the investigation of the case and all efforts shall be made to protect the rights of the victim or informant.

(14) In case of no consensus between the Zonal and Commissionerate officers in any of the situations mentioned in the aforesaid sub-rules, the case shall, as an exceptional matter, be referred to the Director General of Police, Uttar Pradesh.

Notice of non-cognizable offence

10. When the Officer in Charge of a police station is informed about the commission of a non-cognizable offence, he shall enter the gist of such information in the NCR Register prepared in the format provided by NCRB on CCTNS, which shall be maintained by the Officer in Charge of the police station in *Form No. 9 of Appendix-A* prescribed in these rules. The said register shall be regularly observed and examined by the concerned Area Officer.

Chapter- 5

Action on information of crime and suicide

Notice of cognizable offence

11. (1) On receiving information of a cognizable offence, the officer in charge of a police station shall himself proceed to the place of occurrence or shall send a police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police posted at the station for investigation and other necessary action.

(2) Having regard to the nature and gravity of the offence, the District Police Head may direct any Deputy Superintendent of Police to investigate the case.

Suicide notice

12. When the officer in charge of a police station, or any police officer not below the rank of a Sub-Inspector of Police posted at the station receives information that a person has committed suicide, or that a person has been killed by another person, or by animal or machine or in an accident, or that a person has died under circumstances which give rise to a reasonable suspicion that some other person has committed an offence, he shall forthwith give information thereof to the nearest Executive Magistrate not below the rank of the Tehsildar empowered to hold inquests, and shall proceed to the place where the body of such deceased person lies and shall there examine the body in the presence of two or more respectable inhabitants of the neighbourhood and draw up a report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, bruises and other marks of injury as may be found on the body and stating in what manner and by what weapon or instrument (if any) such marks appear to have been caused.The following entries shall also be made in the Panchnama to be filled in this regard:-

(i)name of the deceased;

(ii) religion of the deceased;

(iii) date and circumstances of death;

(iv) age of the deceased (approximately);

(v) name and address of Panch member/family;

(vi) other relevant details;

(vii) suggestion and signature of Panchnama Committee.

Suicide notice by married woman

13. (1) When,-

(i) the case involves suicide by a woman within seven years from the date of her marriage; or

(ii) the case relates to the death of a woman within seven years of her marriage under circumstances which give rise to a reasonable suspicion that any other person has committed any offence in respect of such woman; or

(iii) the case relates to the death of a woman within seven years of her marriage and a request in that behalf is made by any relative of such woman; or

(iv) there is any doubt as to the cause of death; or

(v) for any other reason the police officer considers it expedient so to do;

The nearest relative of the victim shall be informed forthwith.

(2) The officer shall, if the weather is such and the distance is such that the body can be sent without the risk of its putrefaction enroute rendering its examination futile, send the body for examination to the nearest medical officer or other doctor appointed by the State Government in this behalf.

Procedure in respect of dead bodies related to criminal cases and accidents

14. (1) Action will be ensured under the notifications and government orders and standard operating procedures issued by the Government of Uttar Pradesh from time to time relating to the funeral rites of the dead body related to criminal cases and accidents with respect and traditional customs.

(2) If information is received about the dead body of an unknown person or unnatural death, then the entry related to it will be entered in the heading of dead body of an unknown person or unnatural death prepared in the format made available on CCTNS by NCRB.

(3) In case of a person (deceased) who is a victim of a crime, if such circumstances ever arise that some important facts / evidence have to be obtained from the dead body of the deceased, then for this purpose, efforts will be made at the time of post-mortem itself by involving the concerned forensic team. If the forensic team is unavailable or lacks the necessary resources to collect evidence, the body shall be preserved till the arrival of the expert team and collection of evidence or for a maximum of 03 days (whichever is earlier). The mortuary staff shall have to follow the standard and the bodies shall have to be stored in deep freezers or cold chambers stable at about 4 degrees celsius as required to prevent any kind of decay or damage.

(4) If a family member of the deceased demands a second post-mortem of the body, a written request will be obtained from them for this. In such a situation, the body shall be disposed of under the standard operating procedures prescribed by the State Government or shall be kept safe in the mortuary until the family members obtain and submit the necessary permission for a second post-mortem from the concerned investigating officer or Court.

Chapter- 6

Investigation

Close supervision of preliminary investigations

15. (1) On receipt of information relating to the commission of a cognizable offence which is made punishable with imprisonment for a term of three year or more but not exceeding seven years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission of an officer of the rank not below the rank of Deputy Superintendent of Police, considering the nature and gravity of such offence,-

(i) proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain/determine whether there is a *prima facie* case, for proceeding in the matter within a period of fourteen days; or

(ii) proceed with an investigation, when thereexists a *prima facie* case.

(2) When information relating to an incident or complaint or allegation is received by the Officer-in-Charge of the police station, he shall record a brief description of the information in the general diary without changing the material facts and obtain permission for preliminary investigation from the supervisory officer.

(3) Within 24 hours of receipt of the request for preliminary investigation by the Officer-in-Charge of the police station, permission shall be granted or refused in writing by the concerned Deputy Superintendent of Police or Police Officer of the rank of above. If permission is not granted or permission is not conveyed within the prescribed time limit, a First Information Report shall be registered by the Officer-in-Charge of the police station.

(4) Daily report of preliminary investigation shall be submitted to the supervising officer and police officer of the rank of at least Additional Superintendent of Police.

(5) Every preliminary investigation shall have to be completed within fourteen days and in case of failure to do so, a show cause notice shall be issued to the concerned investigating officer and in case of non-receipt of a satisfactory reply, departmental action shall be initiated against him.

(6) A preliminary investigation register shall be maintained in respect of preliminary investigation in physical or digital mode at each police station, concerned Deputy Superintendent of Police office and district headquarters level in the format prescribed by the Director General of Police, which shall always remain updated.

(7) Standard operating procedure in respect of preliminary investigation shall be determined by the Director General of Police, Uttar Pradesh, which shall be binding on the investigating officer.

(8) The State Government may, from time to time, issue guidelines relating preliminary investigation of crimes through general or special orders.

(9) The District Head of Police shall himself conduct a thorough review of all preliminary investigations underway in the entire district in every monthly crime review meeting.

Start of Investigation

16. If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police station, has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered to investigate under section 175 of the Sanhita, he shall forthwith send a report of the same to a Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person, or shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers, not being below the rank of Sub-Inspector, to the place to investigate the facts and circumstances of the case and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender.

Custody of electronic evidence

17. In order to ensure sanctity and chain of custody of electronic evidence, the electronic evidence shall be preserved in cloud based evidence locker designated and managed by Government of India or any other notified locker by State Government in this behalf and transmitted to the competent court and concerned authorities under section 193 of the Sanhita and other relevant provisions.

Recording of search and seizure by audio-video electronic means

18. (1) The process of searching any person or place and taking possession of any property, article or material, including preparation of a list of all articles seized during the search and seizure and signature of witnesses on such list, shall mandatorily be done through E-Sakshya App specified by the Government of India or any other audio-video electronic means specified by the State Government, for which mobile phone or other audio-video electronic device of the police station or police officer on duty shall be used. The video-recording so made shall form part of the case diary. As far as possible, the latitude-longitude and time of recording shall also be recorded along with the video.

(2) The police officer shall, without delay, but not later than 48 hours, send a copy of the list of articles seized along with signatures of witnesses and video-recording of the search and seizure process to the Magistrate.

(3) An Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) Nodal Officer for each district of the State shall be nominated by the Home Department, Government of Uttar Pradesh and authorized users for accessing the 'e-Sakshya Mobile Application' on the ICJS platform shall be created by Uttar Pradesh Technical Services, Headquarters, Police Station wise.

(4) The authorized users of the Police Station as above shall be able to download the e-Sakshya Mobile Application from the mSeva Mobile App Store and install the e-Sakshya Mobile App on the mobile phone allotted to them.

(5) The standard operating procedure for going live on the e-Sakshya Portal and uploading and downloading of evidence collected on it shall be determined by the Director General of Police, Uttar Pradesh in coordination with NCRB.

Informing the plaintiff or victim about the progress of the investigation

19. (1) The Investigating Officer shall, within a period of 90 days of the completion of the investigation, inform the plaintiff or the victim about the progress of the investigation through SMS, email or such other electronic means as appropriate or by post.

(2) The information relating to the progress of the investigation shall include the date of inspection of the scene of crime by the Investigating Officer and forensic experts, evidence sent for forensic examination, statements of witnesses, status of arrest or otherwise of the accused, etc.

(3) The Investigating Officer shall record the information given to the plaintiff or the victim in the general diary of the police station. The responsibility of proving that the information was given to the concerned person shall lie with the Investigating Officer.

Recording of statement through audio-video electronic means

20. (1) The investigating officer may also record the statements of such witnesses through audio-video electronic communication medium and electronic evidence collection medium such as e-Sakshya, as he deems fit in the interest of investigation. The audio-video clips relating thereto shall form part of the case diary.

(2) In all cases punishable under Sections 64 to 71, 74 to 79 and section 124 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, the Investigating Officer shall get the statement of the victim recorded by a Magistrate authorised under section 183 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

(3) The application under section 183 of the Sanhita shall be forwarded by the concerned prosecutor with a recommendation. Before such recommendation, the said witness may also be interviewed by the concerned prosecutor. As far as possible, such statement shall be recorded by a woman Magistrate and in her absence, by a male Magistrate in the presence of a woman.

(4) In all offences punishable with imprisonment for ten years or more or imprisonment for life or death sentence, the Investigating Officer shall get the statements of relevant and important witnesses recorded by an authorised Magistrate.

(5) Where the person making the statement is temporarily or permanently mentally disabled, the Magistrate shall take the assistance of an interpreter or special educator in recording the statement.

(6) The statement shall also be recorded through audio-video electronic communication medium and electronic evidence collection medium such as *e-Sakshya*. The statements recorded shall be entered in the case diary by the Investigating Officer.

Action by forensic team in case of crimes punishable with more than seven years imprisonment

21. (1) Till additional forensic equipped vans and manpower are made available in each district, the forensic field unit available in each district for now, shall collect forensic evidence as per the standard operating procedure prescribed at the scene of offence punishable for seven years or more as aforesaid and dispatch the same accordingly. He shall also ensure videography of the process of collection of forensic evidence on mobile phone or any other electronic recording device.

(2) The District Head of Police shall decide to deploy the said forensic equipped van and manpower at the District Headquarters or any other place depending on the geography and crime pattern of the district.

(3) For heinous crimes, particularly murder and sexual offences, the district mobile van along with trained scientists and police officers shall visit the scene of crime and collect all forensic evidence.

(4) For other crimes, the team of forensic experts at the police station shall visit the scene of crime to collect all forensic evidence.

(5) In case of any shortage of district mobile vans, the district police chief shall request the officer-in-charge of the range to depute a mobile van from the neighbouring district to respond.

Government Scientific Expert

22. In the State of Uttar Pradesh, the following shall be recognised as Government Scientific Experts, namely:-

(a) Any Chemical Examiner or Assistant Chemical Examiner of the Government;

(b) Chief Controller of Explosives;

(c) Director, Finger-Print Office;

(d) Director, Haffkine Institute, Mumbai;

(e) Director, Deputy Director or Assistant Director of any Central Forensic Science Laboratory or any State Forensic Science Laboratory;

(f) Government Serologist;

(g) Joint Director, Scientific Officer and Senior Scientific Assistant of Uttar Pradesh Forensic Science Laboratory as Government Scientific Experts.

Summons register of witnesses and expenses during investigation

23. (1) A register shall be maintained at every police station in respect of summoned persons, in which the following entries shall be made:-

(i) full name, age and sex of the person summoned;
(ii) name of father/spouse of the person summoned;
(iii) current address and permanent address of the person summoned, if any;
(iv) mobile number, WhatsApp number of the person summoned;
(v) email address of the person summoned;
(vi) name of the district;
(vii) name of the police station;
(viii) crime number;
(ix) section;
(x) name of the Court;
(xi) case number of the Court;

(2) To provide for payment by a police officer of the reasonable expenses of every person attending at a place other than his place of residence, the State Government shall, in consultation with the various beneficiary departments, issue a relevant policy in this behalf.

Restrictions on calling certain persons

24. For the purposes of investigation under section 194 of the Sanhita, no man or woman below 15 years of age or above 60 years of age or a mentally or physically disabled person or a seriously ill person shall be required to appear at any place other than the place of his residence, unless such person is willing to appear and answer at a police station or at any other place within the limits of such police station.

Chapter-7

Arrest

Arrest information booklet

25. (1) One Sub-Inspector of Police is designated in each District Police Control Room and each Police Station to keep himself updated with the names and addresses of the persons arrested and to collect and maintain complete information relating the names and addresses of the arrested persons.

(2) An entry of the fact as to who has been informed about the arrest of such person shall be made in a register to be maintained at the Police Station and in the CCTNS software along with such information as may be specified by the Government of India.

(3) The details of the arrested persons shall be prominently displayed on the general notice board at each Police Station and District Headquarters and also in digital mode.

The police officer must clearly reveal his identity while making an arrest

26. (1) Police officers shall ordinarily wear uniforms at the time of arrest, unless they belong to non-uniform units. The uniform shall clearly bear their name and designation.

(2) Every police officer shall carry his Government issued identity card at the time of arrest.

(3) They shall clearly inform the accused and family members of their name, designation, police station/unit.

Chapter- 8

Dispatch of Report

Sending of First Information Report and report of non-investigation to the Court

27. Every report to the Magistrate under section 176 of the Sanhita shall be sent by an officer not below the rank of the Area Officer.

Transmission of police report to Court

28. (1) As soon as the investigation is completed, the officer in charge of the police station shall send a report in Format No. 3 (IIF-V) prescribed by the NCRB in Appendix-A to these rules to the Magistrate empowered to take cognizance of the offence, mandatorily certifying the name, address and correspondence address of the accused in the police report.

(2) The officer in charge of the police station or the investigating officer shall communicate the action taken by him to the person, if any, who first gave information relating the commission of the offence or to the victim either in digital mode or physically (manually).

(3) The report of the police officer prepared on completion of investigation under sub-section (4) of section 193 of the Sanhita shall be transmitted to the Court by an officer not below the rank of Circle Officer, as the case may be, and he may, pending the order of the Magistrate, direct the officer in charge of the police station to conduct further investigation.

(4) After a report has been sent to the Magistrate under sub-section (3) of section 193 of the Sanhita in respect of any offence, no further investigation shall be deemed to be barred and where on such investigation the officer in charge of the police station finds any additional oral or documentary evidence, he may send an additional report or a report in respect of such evidence physically or by electronic communication means to the Magistrate in Format No. 3 (IIF-V) prescribed by NCRB in Appendix-A to these rules.

Chapter- 9

Judicial Process

Language of the Court

29. The language of every Court in the State of Uttar Pradesh, other than the High Court, shall be Hindi and the script shall be Devanagari and the corresponding international numerals and symbols.

30. Where any record is produced before any Court by the prosecution, such record shall be included in the list of records which shall be in Form No. 13 of Appendix-A of these rules. Format for Submission of Documents

31. (1) The service of summons may be done physically, physically or by electronic means as follows:- Manner of service of summons

(a) directly on the witness or accused by the police, public servant or a person nominated by the State Government, as the case may be;

(b) through e-mail, if the e-mail address is available;

(c) through publication in newspapers;

(d) by placing it at naturally visible parts of various public places in the concerned district.

(2) Apart from the above, the service of summons may also be done by way of electronic communication.

(3) The service of summons may be done through any electronic or digital application based system such as ICJS, National Service and Tracking of Electronic Processes (N-STEP) or any other similar system as decided by the Government of India or the State Government, as the case may be.

(4) The service of summons shall be done by a police officer or by any other public servant or person as may be specified by the State Government.

(5) The following guidelines shall also be followed in respect of service of summons:-

(a) a summons register shall be maintained at every police station in such format, either physically or electronically, as may be specified by the Director General of Police or the State Government by general or special order from time to time, in which the Head Clerk shall enter the information relating date wise summons/warrant so that there is no laxity in sending the summons/warrant received at the police station to the Court for non/post serving of the summons before/after the date of appearance. In the said summons register, the date of issuance of the process, the date of receipt of the process from the Court, the date of service of the process along with the details of the recipient, the reason for the process being returned without being served and the date of sending the served and unserved processes to the Court shall be recorded.

(b) If the process server returns the summons/warrant without serving it, he shall clearly mention that the wanted person has gone out of his residence temporarily or if he has gone out permanently for some time, then by when will he return and also find out the full address of the place from where he went and shall also mention it.

(c) If the warrant could not be served, then considering the accused to be absconding, relevant action shall be taken and the list of the accused's property shall be presented to the Court so that the property can be confiscated by completing the proceedings under sections 84 and 85 of the Sanhita.

(d) Zonal Additional Director General of Police/ Regional Inspector General of Police/ Police Commissioner, Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police level officers will necessarily review the level of service of summons/warrants during their visit/inspection of police stations and ensure necessary administrative departmental action against the concerned if the work is not found satisfactory.

(e) Where the current address of a witness transferred policeman is not known by the Public Prosecutor, the summons of such policeman will be sent to the Establishment Branch officer of Police at Police Headquarters Lucknow and served to him, in addition to the local Superintendent of Police.

(f) On receiving summons/warrants of retired police or other government services, if their complete address of residence is not known, it will be ascertained from the Pension Department. If the address given by the Pension Department is wrong, the address will be ascertained through the bank by obtaining the bank account number.

(g) When a request is made to the Court to summon a Gazetted officer as a witness, while fixing the date for his appearance, it will be kept in mind that he should have the opportunity to make proper arrangements for discharging his duties during his absence.

(h) Senior police officers and all District Magistrates will ensure that police witnesses and other public servants summoned in all session trials are present in the Court on the appointed date and time in every case either physically or through video conferencing. If a policeman disobeys the order of the Court, departmental action will be taken against him.

(i) Summons shall be sent to the heads of their offices of locally posted Government employees not only through the police but also through other local means and in case of disobedience, summons should be sent to the head of the department so that timely service can be ensured.

(j) When the deployment or residence status of a police or medical witness is not known in any way for the presence of the witness, then in such a situation the summons shall be sent to the Director General of Police, Uttar Pradesh and Director General, Medical and Health, Uttar Pradesh, as the case may be.

(k) The status of service of summons shall necessarily be considered in the meeting of the District Monitoring Cell constituted under the chairmanship of the District and Sessions Judge.

Chapter-10

Video Conferencing

Video Conferencing

32. The Directorate of Prosecution, Uttar Pradesh shall be responsible to provide the facility of recording of evidence through video conferencing and to conduct the same.

Video conferencing participants

33. The following shall be video conferencing participants:-

(1) Witness
(2) Remote Site Coordinator
(3) Court Site Coordinator
(4) Prosecutor
(5) Concerned Court Official

Video conferencing site

34. Under the second proviso to sub-section (3) of section 265 of the Sanhita, in addition to the video conferencing rooms established by the High Court at Allahabad for examination of witnesses at District Courts, the following video conferencing rooms shall be deemed to be designated places:-

(1) Prison.

(2) Prosecution Office.

(3) Collectorate Premises.

(4) District Police Line.

(5) Any place as may be specified by the State Medical and Health Department by general or special order.

(6) Any other place specified by the State Government by general or special order.

Liability of the prosecutor

35. (1) It shall be the responsibility of the prosecutor to ensure during the process of video conferencing that the witness present has been provided with the necessary information relating to his evidence and he is fully aware of the court procedure.

(2) The prosecutor shall also have to ensure that the forms on which the exhibits are to be recorded during the process of evidence are properly visible to the witness and he is getting the exhibits recorded after seeing and understanding them.

(3) The prosecutor shall also have to ensure whether the witness is able to understand the questions being asked or not. It is expected from the witness that after the completion of the statement of evidence, he shall read the recorded statement completely and understand that the answers given by him have been recorded and he will sign the statement as proof.

(4) It shall also be the responsibility of the prosecutor to ensure that unnecessary questions are not asked to the witness and the witness's evidence is completed within the stipulated time.

(5) The Prosecutor present in the Court shall ensure that the scanned copy of the evidence recorded after completion of evidence is signed by the witness and filed in the record.

(6) It shall be the responsibility of the Prosecutor to ensure that the decorum of the Court is maintained during video conferencing.

Video conferencing process

36. The procedure for video conferencing shall be such as provided in Chapter-3 of the Uttar Pradesh State Courts Video Conferencing Rules, 2020.

General

37. (1) Under special circumstances, the statement of a witness or victim under section 183 of the Sanhita may also be recorded through video conferencing during investigation in which full cooperation will be provided by the police officer and the prosecutor.

(2) Video conferencing facilities can be used in judicial proceedings at all stages and in court proceedings.

(3) All proceedings conducted through video conferencing shall be judicial proceedings and all the decorum and protocols applicable to a court shall apply in these proceedings.

Chapter- 11
Previously Convicted Offenders

Residence information by released convicts

38. (1) Where an order has been passed under section 394 of the Sanhita that a convict shall, after his release, give notice of his change of residence and residence for a specified period to the police officer, the Court or Magistrate passing such order shall record the same in a surrender warrant issued under section 458 of the Sanhita in respect of such convict.

(2) A copy of the specified order shall be served on the convict before he is released from prison. A copy of these rules shall be given to him, and the substance thereof shall be fully explained to him in a language which he understands. He shall also be informed for how long he is bound to observe these rules, and that any neglect or failure to observe them shall render him liable to punishment as if he had committed an offence under section 211(c) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

The accused to give details of his intended residence

39. A convict in respect of whom such an order has been passed shall, on being summoned by the officer in charge of the jail in which he is confined, state, before his release, the name and full address of the place where he wishes to reside after his release.

Informing the nearest police station

40. After release and on reaching his residence, the released convict shall inform the nearest police station within 24 hours that he is residing at the mentioned address.

Intimation of intention to change residence

41. Whenever released convict intends to change his residence, he shall, at least two days before making such change, give notice of his said intention to the nearest police station, and shall also intimate the address of the new intended place of residence and the date from which he proposes to reside at the said place.

On reaching the place of residence changed as aforesaid, he shall, within twenty hours, inform the nearest police station that he has commenced his residence accordingly.

Notice of absence between sunset and sunrise

42. Whenever a released convict intends to be absent from his residence between sunset and sunrise, he shall give notice of his intention to the nearest police station, stating the time and purpose of his absence and the true address at which he may be found during that period.

Changes must be reported

43. Every notice required to be given by the foregoing rules shall be given by the released offender in person, unless prevented by illness or other sufficient cause from doing so, in which case the required notice may be given either by a letter duly signed by him or by a messenger authorized on his behalf or by other telecommunication and other electronic means.

Certify receipt of information

44. Whenever a released convict gives any information required by the foregoing rules, a certificate to that effect shall be issued to him by the officer to whom the information is given.

Summoning the accused and serving notice

45. If a convict in respect of whom an order has been passed under section 394 of the Sanhita is released from prison without receiving a copy of the said order, he may, at any time so long as the order is in force, be summoned by the police station concerned to attend on a certain day at the Police Station nearest to the place where he is found, and on his attendance a copy of the order shall be served on him, and the other formalities prescribed by the aforesaid rules shall be observed.

Explanation:- The above rules, when applied to the case of a vagrant who has no fixed place of abode, may be reasonably interpreted to mean that he resides at the place where he sleeps, even if he stays there for only one night. He may, therefore, be asked on his release where he is going to stay, and be told that if he goes out of the said place he must always give notice of his temporary place of residence to the police station.

Penalty for breach of rule

46. In case of breach or violation of the rules mentioned in this Chapter, he shall be punishable with the same punishment as provided under section 211 (c) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act no. 45 of 2023).

Chapter- 12

Custody and Disposal of Property

Statement containing details of property

47. (1) Where any property is produced before a Court during any investigation, inquiry or trial, the Investigating Officer shall make such order for the proper custody of such property.

(2) If the property is subject to rapid and natural decay, the Investigating Officer shall submit an application to the Court or Magistrate for preparing a statement of the property and request for its disposal before decay sets in. The Court or Magistrate shall, after recording evidence of the property, pass appropriate order for selling or otherwise disposing of the property.

(3) For other types of property, the Investigating Officer shall, without delay, submit an application to the Officer-in-Charge of the Police Station stating that all investigative processes such as forensic examination and identification etc. have been completed in respect of such property and it is no longer required for investigation. The Officer-in-Charge of the Police Station shall verify the contents of the application and on being satisfied shall give his recommendation to the Investigating Officer for presenting the application before the competent Court.

(4) Thereafter, the Investigating Officer shall submit an application to the Court or Magistrate along with the seizure memo of the seized property in Form No. 4 (IIF-IV) prescribed by NCRB as specified in Appendix-A of these rules along with the type and full details of the property for preparing the statement of the property.

(5) The Court shall prepare a statement containing the details of such property within a period of fourteen days from the presentation of the said property before it in accordance with the specifications mentioned in the Form No. 4 (IIF-IV) prescribed by NCRB as specified in Appendix-A of these rules.

(6) The Court may direct the Investigating Officer to take photographs of the property and also to make videography, if necessary. The Investigating Officer shall make the description of the property and the photographs and/or videography a part of the case diary or investigation, as the case may be, which shall be used as evidence in the investigation, trial or any proceedings under the Sanhita.

(7) The Court shall, within 30 days of preparation of the description of the property and the photographs or videography, pass an order for disposal, destruction, confiscation or delivery of the property, in compliance of which the Investigating Officer shall dispose of the property in accordance with the relevant directions issued by the State Government and relevant policies and the provisions of the Sanhita.

Explanation: For the purpose of this paragraph "property" means and includes,-

(a) any property or record produced before the Court or in its custody;

(b) any property in respect of which an offence appears to have been committed or which appears to have been used for committing an offence, such as livestock, firearms, stolen property, vehicles, narcotic drugs, jewellery, valuable records, any property subject to rapid and natural decay or any other movable property.

(8) The goods may be disposed of in accordance with the Government Orders and rules issued by the Home Department from time to time in this regard and the rules framed in this regard by various concerned departments such as Transport, Excise, Food and Logistics, Drug Administration, State Tax Department etc.

Action in respect of sale proceeds

48. If within such period no person establishes his claim to the property and the person in whose possession such property was found is unable to show that the same was legally acquired by him, the Magistrate may, by order, direct that such property shall be at the disposal of the State Government and may be sold by that Government and the proceeds of such sale shall be dealt with in accordance with the rules and orders issued by the State Government from time to time in this behalf.

Chapter-13

Payment of Expenses of Complainants and Witnesses;

Classification of witnesses, etc.

49. For the purpose of Payment of travelling allowance and diet money. Courts are authorised to classify person, who are legally bound to attend such Courts, as follows:

Category I – Class I Gazetted Officers/Medical Practitioners, Experts in Ballistics and Forensic Science etc.; and Category II – All other persons.

Rates for payment

50. The rates of travelling allowance and diet money payable to the above two classes of persons shall be, as shown in the Schedule appended to these rules.

Number of days and special provisions

51. (1) The travel allowance shall be paid for the dates of actual appearance as well as for the time spent in travelling to and from the Court. The number of days to be allowed for travelling to and from the Court shall be determined in each case by the officer ordering the payment.

(2) If on the date of evidence for which the witness has been summoned by the Criminal Court and the witness appears in the Court for recording his evidence and an application for adjournment of the recording of evidence is moved by a party, then the travelling expenses and food expenses shall be borne by the party who has moved the application for adjournment. If the other party does not object to the adjournment then the cost shall be borne equally by both the parties.

Advanced payment

52. When owing to distance or for other reasons it appears to a Court issuing a summons that the person summoned will be put to considerable expense in attending the Court, it may at the time of issuing the summons, send the whole or a portion of the travelling and diet expenses allowable at these rates by prescribed manner in the bank account of the person concerned.

Special allowance in certain cases

53. Persons following any profession, such as medicine or law, shall receive a special allowance according to the circumstances and custom.

Note: No allowance shall be admissible to the Chief Medical Officers and other Medical Officers under this rule.

No payment from public funds where expenses deposited

54. No payment on account of travelling allowance or diet money shall be made from public funds to any person in cases where under the provisions of any law in force the reasonable expenses of such person have by order been deposited in court as a condition precedent to the issue of process to compel his attendance.

Witnesses in State service

55. (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing rules a person in the service of the State summoned to give evidence in his official capacity shall not be paid any expenses by the Court and instead, shall be granted a certificate of attendance. Such person shall draw his travelling allowance in the manner, provided in Rule 59 of the Financial Handbook, Volume-III.

(2) A person in the service of the State summoned to give evidence otherwise than in his official capacity, shall be entitled to the payment of expenses provided in the aforesaid rules.

(3) In the case of a servant of the State who is summoned to give evidence in his official capacity, the expression "reasonable expenses" shall mean the travelling allowance admissible to him under the Financial Book, Volume III.

Chapter-14

Miscellaneous

Implementation of NCRB formats

56. (1) Integrated Investigation formats prepared by NCRB, Government of India will be implemented in Uttar Pradesh. These formats will be available on the CCTNS system, in which information related to crimes and criminals will be fed. For such subjects in respect of which no format has been provided by NCRB, the forms and formats

currently in use will be used, modified in accordance with the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

(2) The following Integrated Investigation Forms prepared by NCRB are specified in Appendix-A of these rules:-

(i) First Information Report Form No. IIF-I;
(ii) First Information Report Zero FIR;
(iii) Information Report of Non-Cognizable Offence;
(iv) Crime Details Form- IIF-II;
(v) Arrest and Surrender Memo IIF-III;
(vi) Property Search and Seizure Memo, IIF-IV;
(vii) Case Diary Details;
(viii) Final Form Report- IIF-V;
(ix) Unknown Person Registration- IIF-IX;
(x) Missing Person Registration- IIF-VIII;
(xi) Court Disposal Form;
(xii) Appeal Result Form;

(3) Forms relating to current activities shall be made available by the Director General of Police, Uttar Pradesh and to the Government. The formats of the notices may be determined from time to time by the Home Department of the Uttar Pradesh Government.

Protection of witnesses

57. Regarding the protection, of complainants and witnesses, the Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024 provided in Appendix-B of these rules will be followed.

Order relating removal of nuisance

58. (1) An order by the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or any Executive Magistrate specially empowered by the State Government to remove a nuisance may be served on the person concerned in accordance with the provisions relating to service of summons under these rules.

(2) The said orders may also be served by proclamation at the direction of the State Government and in such manner as the State Government may determine.

Training

59. In order to effectively perform the duties provided under the Code and these Rules, to ensure excellent investigation of crimes and to ensure good prosecution, training of investigators and prosecutors working under the Code shall be given in any such institution as the Director, Prosecution and Director General of Police, Uttar Pradesh may deem fit, from time to time under the direction of the Additional Chief Secretary, Home.

Saving

60. All notifications published, all proclamations issued, all powers conferred, all local jurisdictions defined in the forms prescribed, all orders, rules and appointments made under the Code of Criminal Procedure, 1973 which are in force immediately before the commencement of the Sanhita, shall be deemed to be notifications published, proclamations issued, all powers conferred, local jurisdictions defined in the forms prescribed, orders, rules and appointments made under the corresponding provisions of this Sanhita.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

223 RPH 2024 [Grih (Police) Anu-9] data-7 e

Schedule

(See rule 50)

The rates of travelling allowance and diet allowance for both the categories of witnesses are shown in the table below:-

Category of witness	By Rail	By Road	Diet Amount Per Meal
1	2	3	4
I	First Class/Second AC Railway Fare Each Way	Travelling Allowance as per entitlement admissible to him under Financial Handbook, Volume III. The fare for journey by road should not exceed the rail fare by the shortest route.	Rs. 100.00 per day
II	Second Class/Sleeper Class Railway Fare in each direction	According to the latest circular of the Labour Department, the fare for travel by road should not exceed the rail fare by the shortest route.	Rs. 50.00 Per day

Provided that a Category-I or Category-II complainant/witness shall be paid the railway fare of the authorised class only if he has actually travelled in the authorised class. If the complainant/witness travels in a lower class, he shall be entitled to the authorised fare of the travelling class. In cases of road fare claims, a Class I complainant/witness shall be entitled to the fare of an A.C. bus/deluxe bus operated by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation if he has actually travelled in the authorised class of bus. If the complainant/witness travels in a lower class bus, he shall be entitled to the actual fare. A Category-II complainant/witness shall be entitled to one fare per direction of an ordinary bus operated by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation. Further, the prosecution agencies shall ensure that maximum use of video conferencing is made for the recording of evidence of Class I witnesses in the courts. The rate of travelling allowance for witnesses being examined through video conferencing in case of the same district shall be Rs. 10 per kilometre, if the video conference room is more than 02 kilometres away from their residence.

Appendix A
परिशिष्ट—क
प्रारूप संख्या—1 (IIF–1)
प्रथम सूचना रिपोर्ट

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी0 एन0 एस0 एस0 के अन्तर्गत)

1– District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
FIR No. (प्र0सू0रि0 सं0):
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): घंटे

2.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections [धारा (एँ)]

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): Date and Time (दिनांक और समय):
4. Type of Information (सूचना का प्रकार):
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
6. Complainant/Informant (परिवादी / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम):
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता):
(e) UID No. (यूआईडी सं0):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं0):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
[पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं0, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड)]

Sl.No. (क्र0सं0)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address (पता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं0):
7–Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)

8–Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9–Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type सम्पत्ति के प्रकार	Description (विवरण)	Value (In Rs./–) [(मूल्य (रु0 में)]:

10–Total value of property (In Rs/–) [(सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु0 में)]:
11–Inquest Report/U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट/यू0डी0 प्रकरण सं0, यदि कोई हो):

Sl.No. (क्र0सं0)	UIDB Number (यू0डी0 प्रकरण सं0)

12–First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
13–Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्रवाई चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के अन्तर्गत है.):
(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): नाम):
No. (सं0): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित):
F.I.R. *read* over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost. (परिवादी/सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क परिवादी को दी गयी)
R.O.A.C. (आर0ओ0ए0सी0)
Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

14– Signature/Thumb impression of the complainant/informant
(परिवादी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
15–Date and time of dispatch to the court (न्यायालय में प्रेषण की दिनांक और समय):

Form no. 2
प्रारूप संख्या–2
प्रथम सूचना रिपोर्ट (ZERO FIR)
FIRST INFORMATION REPORT (ZERO FIR)
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी0 एन0 एस0 एस0 के अन्तर्गत)

1– District/Unit (जिला इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
FIR No. (प्र0सू0रि0 सं0):
Date and Time of ZERO FIR (प्र0सू0रि0 की दिनांक और समय): घंटे

2.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं0) Date and Time (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
6. Complainant/Informant (परिवादी/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम):
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता):
(e) UID No. (यूआईडी सं0):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं0):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
(पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं0, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

Sl.No. (क्र0सं0)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address (पता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(j) Phone number (दूरभाष सं0): Mobile (मोबाइल सं0):

7–Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)

8–Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9–Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type सम्पत्ति के प्रकार	Description (विवरण)	Value (In Rs/–) (मूल्य (रु0 में)):

10–Total value of property (In Rs/–) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु0 में)):
11–Inquest Report/U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट/यू0डी0 प्रकरण सं0, यदि कोई हो):

Sl.No. (क्र0सं0)	UIDB Number (यू0डी0 प्रकरण सं0)

12–First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
13–Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्रवाई चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं0 2 में उल्लेख धारा के अन्तर्गत है.):
(1) Registered the case and took up the investigation
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): नाम):
No. (सं0): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).
F.I.R. *read* over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.
(परिवादी/सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क परिवादी को दी गयी)

R.O.A.C. (आर0ओ0ए0सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14– Signature/Thumb impression of the complainant/informant(परिवादी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

15–Date and time of dispatch to the court (न्यायालय में प्रेषण की दिनांक और समय):

Form no. 3

प्रारूप संख्या–3

अपराध विवरण प्रपत्र

CRIME DETAILS FORM (अपराध विवरण प्रपत्र)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):

FIR No. (प्र0सू0रि0सं0):

2.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))

3. Place of occurrence shown by (के द्वारा दिखाया गया घटना स्थल):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम):	Relative Type (संबंध प्रकार)	Relative Name (संबंध का नाम)	Address (पता)

4. Type of crime (अपराध का प्रकार):

(i)

Sl.No. (क्र0सं0)	Major Head (मुख्य शीर्ष)

(ii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Minor Head (लघु शीर्ष)

(iii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Modus Operandi (तरीका वारदात)

(iv)

Sl.No. (क्र0सं0)	Conveyance(s) Used (वाहन प्रयोग किया गया)

(v)

Sl.No. (क्र0सं0)	Character Assumed (चरित्र धारण (वेशभूषा))

(vi)

Sl.No. (क्र0सं0)	Language/Dialect Used (भाषा/बोली का प्रयोग)

(vii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Special Feature (विशेष लक्षण)

(viii)

Sl.No. (क्र0सं0)	Type of place of occurrence (घटनास्थल का प्रकार)

(ix)

Sl.No. (क्र0सं0)	Type of property stolen (चोरी की गयी सम्पत्ति का प्रकार)

5- Particulars of the victim (s) (पीड़ित (ओं) का विवरण):

6-Motive of crime (अपराध का उद्देश्य):

Sl.No. (क्र0सं0)	Motive of crime (अपराध का उद्देश्य)

7–Details of properties stolen /involved (चोरी गयी। संलिप्त सम्पत्ति का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Property Name (सम्पत्ति का नाम)

8– Date and time of the place of occurrence (घटना स्थल पर दौरे की तिथि और समय):

Sl.No. (क्र0सं0)	Date (दिनांक)	Time (समय):

9– Description of the place of occurrence (घटना स्थल का वर्णन):

Sl.No. (क्र0सं0)	Description of the place of occurrence (घटना स्थल का वर्णन):

10– Description of physical evidence from the scene of crime for the property recovered/seized for the purpose of investigation (जांच के उद्देश्य से अपराध स्थल से बरामद/जब्त सम्पत्ति के भौतिक सबूत का विवरण):

Sl.No. (क्र0सं0)	Details of Physical Evidence (भौतिक सबूत का विवरण)

Sl.No. (क्र0सं0)	Witness Name (साक्षी का नाम)	Address (पता)

11- Sketch/Map of the place of occurrence (Attach sketch/map with legends separately, if needed. If to scale, indicate so. May be certified and signed by witnesses, if required) (घटनास्थल का खाका/नक्शा (यदि आवश्यक हो तो अलग से खाका नक्शा किंवदंतियों के साथ संलग्न करें। यदि पैमाने पर करने के लिए है, तो संकेत दें। साक्षियों द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षर करवाये जाये, यदि अपेक्षित हो)):

Whether the Sketch/Map prepared by draftsman\ Yes/No

(क्या खाका / नक्शा प्रारूपकार द्वारा तैयार किया गया? हाँ / नहीं)

12. Gist (सारांश):

Sl.No. (क्र0सं0)	Gist (सारांश)

Place (स्थान): Signature of Investigating Officer

(जांच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Date (दिनांक): Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं0):

Form no. 4

प्रारूप संख्या–4

प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary Details

प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं०): Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं०):

FIR No.(प्र०सू०रि० सं०): Date (दिनांक):

P.S. (थाना): District/Unit (जिला/इकाई):

1–General Information (सामान्य जानकारी):?

(a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक):

(b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय):

(c) End time of Investigation (जांच अंत समय):

(d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):

(e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

2–Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया):

Sl. No. (क्र०सं०):

a. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया):

b. Witness Name (गवाह का नाम):

c. Relative Name (संबंधी का नाम):

d. Address (पता):

e. Age (आयु):

f. Description of major task performed (प्रस्तुत मुख्य कार्य का विवरण): investigation purpose

3–Evidence Details (साक्ष्य विवरण):

Sl.No. (क्र०सं०)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4–Action Taken Details (कार्रवाई का विवरण):

(a) Action Taken (कार्रवाई):

(b) Date of Action (कार्रवाई की दिनांक):

(c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

(d) Remarks (टिप्पणियाँ):

(e) Description (विवरण):

(f) Status of investigation (जांच की स्थिति): अनुसंधान के अधीन

5–Comment/Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक की टिप्पणी/निर्देश):

Sl.No. (क्र०सं०)	Comment Date (टिप्पणी दिनांक)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी की)	Office Type & Office Name (कार्यालय प्रकार और कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक):

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं०):

Form no. 5
प्रारूप संख्या–5
(I.I.F-–IX)
अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण
Unidentified Person Registration
अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण

1. State (राज्य): District (जिला): P.S. (थाना):
Year (वर्ष): Date/Time (दिनांक / समय):
2. (a) Unidentified Person Registration No. (अज्ञात व्यक्ति पंजीकरण सं0):
(b) G.D. No- (रोजनामचा सं0):
(c) G.D. Date and Time (रोजनामचा दिनांक और समय):
(d) Date and Time of Information (दिनांक और समय सूचना):
(e) Source of information (सूचना का स्रोत):
(f) Details of information (सूचना का विवरण):
(g) Mode of information (सूचना का माध्यम):

Photo/चित्र

3. Reasons for not being identified (पहचान न कर पाने का कारण):
4. Unidentified Person Details (अज्ञात व्यक्ति का विवरण):
(a) Gender (लिंग): (b) Age Range (आयु सीमा):From (से). To (तक):
(c) Found Date and Time (मिलने का दिनांक और समय):
(d) Place where found (जगह जहाँ मिला):
(c) Condition in which found (स्थिति जिसमें मिला):
(f) Religious attire and symbols found ?\ (Yes/No) (धार्मिक पहनावा तथा प्राप्त चिन्ह ? (हाँ/नहीं)):
Provide relevant details (If available) (यदि हाँ तो विवरण दें):
(g) Whether apparel/Other articles Found including Jewellery etc.\ (Yes/No)
(यदि पहनावा/अन्य वस्तु जेवरात जो शरीर पर मिले हो आदि ? (हाँ नहीं)):
Provide relevant details (If available) (यदि हो तो विवरण दें):
(h) Whether Finger Print Taken?(Yes/No) (यदि अंगुलि चिन्ह लिये हो? (हाँ/नहीं)):
Provide relevant detail (If available) (यदि हाँ तो विवरण दें):
5. Physical Features, Deformities and Other Details of the Unidentified Person
(अज्ञात व्यक्ति की शारीरिक बनावट, विकृतियों व अन्य जानकारियाँ):

Complexion (रंग)	Build (बनावट)	Height Range (कद सीमा)		Face Type (चेहरे का प्रकार)	Type of Eyes (आँखों का प्रकार)	Colour of Eyes (आँखों का रंग)
		From (से)	To (तक)			
1	2	3	4	5	6	7

Nose (नाक)	Moustache (मूंछ)	Beard Type (दाढ़ी का प्रकार)	Languages/Dialect (भाषा/बोली)	Type of Hair (बालों का प्रकार)	Colour of Hair (बालों का रंग)	Teeth (दांत)
8	9	10	11	12	13	14

Deformities (विकृतियाँ)	Place of (स्थान का)

	Burn Mark (जलने का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (तिल)	Scar (दाग)	Tattoo (गुदना)	Type of Tattoo (गुदना का प्रकार)
15	16	17	18	19	20	21

Dress Upper (ऊपरी कपड़े)	Dress Upper Colour (ऊपरी कपड़े का रंग)	Dress Lower (नीचे के कपड़े)	Dress Lower Colour (नीचे के कपडे का रंग)	Other Identification Marks (अन्य पहचान चिन्ह)	Other Identification Marks at (अन्य पहचान चिन्ह जहां है)	Blood group (रक्त समूह)
22	23	24	25	26	27	28

6. Informant Details (सूचनाकर्ता का विवरण):

(a) Name (नाम):

(b) Father/s/Husband/s Name (पिता/पति का नाम):

(c) Address of the Informant (सूचनाकर्ता का पता):

S. No.(क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(d) Mobile Number: (मोबाइल सं0):

(e) Landline Number (लैंडलाईन सं0):

(1) Email id (ई–मेल आईडी):

(g) Nationality (राष्ट्रीयता):

(h) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License)
(पहचान पत्र का विवरण (राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं0. ड्रायविगं लायसेंस)):

S. No.(क्र0सं0)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

7. Other Information/Remarks (अन्य जानकारी/टीप):
Id Number/Remarks (अन्य जानकारी/टीप):

8. Name of EO/10 (नाम जांचकर्ता/विवेचक): Rank (पद): No- (सं0):

Signature/Thumb impression of the Informant
(सूचनाकर्ता के हस्ता0/अंगूठें के निशान)

Signature of Officer Incharge, Police Station
(पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

Form no. 6
प्रारूप संख्या–6
I.I.F.–III
गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन
ARREST COURT SURRENDER MEMO
(Separate form for each accused)
(प्रत्येक अभियुक्त के लिए अलग फार्म)

Photo

(Paste Photo of accused if Test Identification Parade (TIP) is not to be done or after it is over)

1. District/Unit (जिला इकाई): P-S- (थाना): Year (वर्ष):
   FIR/G-D No- (प्र0सू0रि0/ रोजनामचा सं0): Date (दिनांक):
2. Date, Time and Place of arrest/surrender (गिरफ्तारी आत्मसमर्पण की तिथि एवं समय):

Date (दिनाँक): Time (समय): बजे
G.D. No. (रोजनामचा सं0):
Place of arrest (गिरफ्तारी का स्थान):
P.S. (थाना): District (जिला):

3. Name of the court (if surrendered) (न्यायालय का नाम (यदि आत्म समर्पण किया हो)):
4.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

5. Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/ Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/ Surrendered in court and remanded to police custody.
गिरफ्तार कर प्रेषित किया। गिरफ्तार किया और जमानत या मुचलके पर रिहा किया गिरफ्तार किया परन्तु अग्रिम जमानत पर रिहा किया/गिरफ्तार किया और पुलिस हिरासत में भेजा न्यायालय में आत्मसमर्पण और जमानत पर रिहा न्यायालय में आत्मसमर्पण और न्यायिक हिरासत में भेजा। न्यायालय में आत्मसमर्पण और पुलिस हिरासत में भेजा।
6. Particulars of the arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण):
   (i) Name (नाम);
   (ii) Father's/ Husband's Name (पिता/पति का नाम):
   (iii) First Alias (प्रथम उपनाम):
   (iv) Second Alias (द्वितीय उपनाम):
   (v) Nationality (राष्ट्रीयता):
   (vi) (a)(क) Voter Id. card No. (मतदाता पहचान पत्र सं0):
   (b)(ख) Passport No. (पासपोर्ट सं0):
   (c)(ग) Date of issue (जारी करने की तिथि):
   (d)(घ) Place of issue (जारी करने का स्थान):
   (vii) Religion (धर्म);
   (viii) Caste/Tribe (जाति/जनजाति):
   (ix)SC/ST/OBC (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):
   (x)Occupation (व्यवसाय):
   (xi)

Address (पता)	P.S. (थाना)

(xii)

Address (पता)	P.S. (थाना)

(xiii) Mobile Number (मोबाइल नंबर): (xiv) Phone Number (फोन नंबर):
(xvi) UID Number (उपयोगकर्ता पहचान संख्या): (xv) PAN Number (स्थायी खाता संख्या):

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the arrested person (Indicate if medically examined):
(गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक दशा/यदि कोई चोट लगी हो तो चोट तथा उसके कारण/कारणों का विवरण (यदि डाक्टरी जाँच की गई हो तो उल्लेख करें)):

8. The arrested person, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody. The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the arrested person and was/were taken into possession, for which a receipt was given to the arrested person. If no article found, `NIL' may be indicated.
(गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण और उसके विधिक अधिकारों को बताते हुए दिनाँक समय बजे स्थान पर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर निम्नलिखित सामान पाया गया जिसे कब्जे में लेकर रसीद दी गई। यदि कुछ भी सामान नहीं पाया गया हो तो 'कुछ नहीं' लिखा जाए।)

Sl.No. (क्र.सं0)	Article found (सामान पाया गया)	Quantity (मात्रा)
1		

Necessary wearing apparels were left on the arrested person for the sake of human dignity and body protection. मानवीय गरिमा तथा शारीरिक बचाव हेतु आवश्यक कपड़े गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर रहने दिए गए। The arrested person was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification. शिनाख्त हेतु अपने आपको ढ़ककर रखने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को सचेत किया गया।
Intimation given to Shri/Smt (relation) on (date) at (hrs.)
(श्री/श्रीमती/कुमारी (संबंध) को (दिनोंक), (समय) पर सूचना दी गई।

9. Physical features, deformities and other details of the arrested person: गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक बनावट, विकृतियाँ एवं अन्य विवरणः

Sex(लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)	Build (शारीरिक बनावट)	Height (cms.) कद (से. मी.)	Complexion (रंग)	Identification Marks(s) (पहचान के चिन्ह)
1	2	3	4	5	6

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टियाँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँख)	Habit (s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
7	8	9	10	11	12

	Place of (शरीर के किस हिस्से पर, निम्नलिखित चिन्ह मौजूद हैं?)				
Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Burn mark (जले हुए का निशान)	Leuco–derma लुकोदेर्मा(सफेद धब्बे)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)
13	14	15	16	17	18

Other features, if any (अन्य लक्षण, यदि कोई हो तो):
10. Whether finger&prints taken (अँगुलियों के निशान लिए गए):
11- Socio-economic profile of the arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति):
(a) (क) Living Status (जीवन स्तर):
(b) (ख) Educational qualification(s) (शैक्षिक योग्यता):
Sl. No. Educational Qualification(s) (शैक्षिक योग्यता): क्र0सं0
(c) (ग) Occupation (व्यवसाय):
(d) (घ) Income Group (आय वर्ग):
12. Whether the arrested person, as per observation and known police records: (जाँच पड़ताल एवं ज्ञात पुलिस रिकार्ड के आधार पर, क्या गिरफ्तार व्यक्ति):
(a) Is dangerous:
(क) (खतरनाक है?):
(b) Previously jumped any bail:
(ख) (पूर्व में जमानत से भाग चुका है?):
(c) Is generally armed:
(ग) (आमतौर पर शस्त्र हथियार रखता है?):
(d) Operates with accomplices:
(घ) (साथियों के साथ क्रियाशील है?):
(e) Is known/listed criminal:
(ङ) (ज्ञात/सूचीबद्ध अपराधी है?):
(f) Is recidivist:
(च) (पूर्व में मुजरिम है?):
(g) Is likely to jump
(छ)(जमानत से भाग जाने की संभावना है?):

(h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses:

(ज) जमानत पर रिहा होने के बाद अपराध करने या पीडितों/गवाहों को धमकाने की संभावना है(यदि जमानत पर रिहा किया जाता है)?):

(i) Is wanted in any other case:

(झ) (किसी अन्य अपराध में वांछित है?):

(j) Permission to arrest is taken from senior officer (not below the rank of Dy. SP u/s 35 BNSS if applicable):

(ञ) गिरफ्तारी की अनुमति वरिष्ठ अधिकारी से ली गयी है (यदि लागू हो तो धारा 35 बीएनएसएस के अन्तर्गत डिप्टी एसपी के पद से नीचे नहीं)

If yes against item (b), (e) or (i), give case reference/Sections, Attach separate sheet, if required):

(यदि ख ड0 अथवा झ का उत्तर हाँ है, तो मामला संदर्भ/धाराओं का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

(13). Name and address of the witnesses (At least two witnesses are necessary) गवाहों का नाम और पता (कम से कम दो गवाह आवश्यक हैं):

Sl.No. (क्रम सं0)	Name (नाम)	Address (पता)	Signature(हस्ताक्षर)

14. Signature or LTI of arrested person (गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर या बाँये अंगूठे का निशान):

15. Apprehension Details of JCL (जेसीएल की हिरासत का विवरण)

(a) Reason of apprehension/Arrest (हिरासत/गिरफ्तारी का कारण):

(b) Custody of JCL till production before JJB (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उपस्थित से पूर्व जेसीएल की हिरासत):

(c) Name of Parent/Guardian/Fit Person/Observation Home/Police person/JCWO (माता–पिता का नाम/अभिभावक/फिट व्यक्ति/प्रेक्षण गृह/सिपाही/बाल कल्याण के अधिकारी):

(d) Copy of FIR given to (दर्ज प्राथमिकी की प्रतिलिपि किसे दी):

(e) Name of JCWO (बाल कल्याण अधिकारी का नाम):

Signature of Investigating Officer
(जांच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Place (स्थान):

Name (नाम):
Rank (पद)

Date (दिनाँक):

No. (सं.):

Form no. 7

प्रारूप संख्या–7

I.I.F.–IV

PROPERTY SEARCH & SEIZURE MEMO

(Search/Production/Recovery u/s 49/106/185 B.N.S.S........ etc.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 49/106/185 बी0एन0एस0एस0........इत्यादि के अन्तर्गत तलाशी/पेशी/बरामदगी)

1. District/Unit (जिला इकाई): PS (थाना): Year (वर्ष):

FIR/GD No(प्र0सू0रि0 रोजनामचा सं0): Date (दिनांक):

2.

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

3. Property Seized/Recovered (सम्पत्ति जब्त / बरामद करने की):

(a) (क) Date (दिनाँक):

(b) (ख) Time (समय): बजे (c)(ग) Place (स्थान):

(d) (घ) Description of the place (स्थान का विवरण):

4. Nature of property Seized (जब्त सम्पत्ति का प्रकार):

Sl.No. (क्र0सं0)	Nature of property seized (जब्त सम्पत्ति का प्रकार)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)

5. Person from whom recovered (व्यक्ति जिससे जब्त/बरामद की गई):

Details of Properties Recovered (जब्त/बरामद की गई सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र0सं0)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Property Belongs to (सम्पत्ति के अन्तर्गत आता है)	Value (In Rs/–) (मूल्य (रु0 में))

6. Witnesses (गवाह):

7. Action taken/recommended for disposal of Perishable Property (शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के निस्तारण हेतु की गई कार्रवाई/सिफारिश):

S.No. (क्र0सं0)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Action Taken (कार्रवाई की गई)

8. Action taken/recommended for keeping of Valuable Property (मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु की गई कार्रवाई/सिफारिश):

S.No. (क्र0सं0)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Action Taken (कार्रवाई की गई)

9. Identification required (क्या शिनाख्त की आवश्यकता है?):

10. Circumstances/Grounds for Seizure (जब्त करने की परिस्थितियाँ/आधार):

11. The above mentioned properties were seized in accordance with the provisions of law in the presence of the above said witnesses/and a copy of the seizure form was given to the person/ the occupant of the place from whom seized. उपर्युक्त सम्पत्ति, ऊपर दर्शाए गए गवाहों की उपस्थिति में विधिक प्रावधानों के अनुसार जब्त की गई तथा जब्ती फार्म की एक प्रति उस व्यक्ति/स्थान के निवासी को दी गई जिससे सम्पत्ति जब्त की गई है।

12. The following properties were packed and/or sealed and the signature of the above said witnesses obtained thereon or on the body of the property. निम्नलिखित वस्तुओं को गवाहों की उपस्थिति में पैक एवं/अथवा सील किया गया तथा पैकटों पर अथवा सम्पत्ति पर उपर्युक्त गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए।

S.No. (क्र0सं0)	Property (सम्पत्ति)	Indicate whether signature obtained on the packet or on the body of the property (उल्लेख करें कि हस्ताक्षर पैकेट पर अथवा सम्पत्ति पर प्राप्त किए गए।)
1	2	3

Signature of the person from whom seized (if present)
जिस व्यक्ति से सम्पति जब्त की गई, उसके हस्ताक्षर (यदि उपस्थित हो)

Specimen of the seal is given below
सील का नमूना नीचे दिया है।

- In case the property is seized from such a place that no receipt is required to be given to anybody, this portion of the sentence should be struck off.
- यदि सम्पत्ति ऐसे स्थान से जब्त की गई हो जहाँ रसीद देने की आवश्यकता न हो, वहाँ इस भाग को काट दें।

Form no. 8

प्रारूप संख्या–8

Missing Person Registration

गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण

Missing Person Registration No.

(गुमशुदा व्यक्ति पंजीयन सं0):

Photo (फोटो)

1. State (राज्य): उत्तर प्रदेश District (जिला):
   P.S. (थाना): Year (वर्ष):
   Date & Time (दिनांक और समय): घंटे
2.

S.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एं))

3. a. G.D. No. (रोजनामचा सं0):
   b. G.D. Date & Time (रोजनामचा दिनांक और समय): घंटे
4. a. Date & Time of Missing (गुमने का दिनांक और समय): घंटे
   b. Place of Missing (गुमने का स्थान):
   c. Brief Incident (संक्षिप्त घटना):
5. Particulars of the Missing Person (गुमशुदा व्यक्ति का ब्यौरा):
   a. Name (नाम):
   b. Alias (उपनाम)
   c. Guardian's Name (अभिभावक का नाम)
   d. Gender (लिंग): पुरुष
   e. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)):
   f. Major/Minor (वयस्क/अवयस्क):
   g. Age Range (आयु सीमा): From (से): To (तक):
   h. Details apparel worn/Ornaments adorn/Other articles taken (पहने हुए कपड़े, कोई गहने पहने, अन्य सामान जो साथ ले गये हो):
   Provide relevant details (If available) (संबंधित जानकारी दें (यदि हो)):
   i. Address of the Missing Person (गुमशुदा व्यक्ति का पता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पत्ता का प्रकार)	Address (पता)

   j. Mobile Number (मोबाइल सं0):
   k. Landline Number (लैंडलाईन सं0):
   l. Email Id (ई–मेल आईडी):
   m. Religion (धर्म): n. Whether SC/ST ?(क्या अनु0 जाति/ अनु0 जन जाति?):
   o. Nationality (राष्ट्रीयता):
   p. Income Group (आय–समूह):
   q. Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं0. ड्रायविंग लायसेंस, पैन)):

Sl.No. (क्र0सं0)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

6. Physical Features, Deformities and Other Details of the Missing Person (गुमशुदा की शारीरिक बनावट, विकृतियों तथा अन्य विवरण):

Complexion (रंग)	Build (बनावट)	Height Range: (कद सीमा)		Face Type (चेहरे का प्रकार)	Type of Eyes (आँखों का प्रकार)	Colour of Eyes (आँखों का रंग)
		From (से)	To (तक)			
1	2	3	4	5	6	7

Nose (नाक)	Moustach (मूंछ)	Beard Type (दाढ़ी का प्रकार)	Languages/Dialect (भाषाएँ / बोली)	Type of Hair (बालों का प्रकार)	Colour of Hair (बालों का रंग)	Teeth (दांत)
8	9	10	11	12	13	14

Deformities (विकृतियाँ)	Place of (स्थान का)					
	Burn Mark (जलने का निशान)	Leucoderma लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (तिल)	Scar (दाग)	Tattoo (गुदना)	Type of Tattoo (गुदना का प्रकार)
15	16	17	18	19	20	21

Dress Upper (ऊपरी कपड़े)	Dress Upper Colour (ऊपरी कपड़े का रंग)	Dress Lower (नीचे के कपड़े)	Dress Lower Colour (नीचे के कपडे का रंग)	Other Identification Marks (अन्य पहचान चिन्ह)	Other Identification Marks at (अन्य पहचान चिन्ह जहां है)	Blood group (रक्त समूह)
22	23	24	25	26	27	28

7. Complainant/Informant Details (परिवादी/सूचनाकर्ता का विवरण):

a. Name (नाम) b. Gender (लिंग):

c. Guardian's Name (अभिभावक का नाम):

d. Relationship with the Missing Person (If Any) (गुमशुदा व्यक्ति के साथ संबंध (यदि कोई हो)):

e. Address of the Complainant (परिवादी का पता):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पत्ता)

f. Mobile Number (मोबाइल सं0):

g. Landline Number (लैंडलाइन सं0):

h. Email Id (ई–मेल आईडी):

i. Nationality (राष्ट्रीयता):

j. Id details (Add atleat two ID numbers for verfication) (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License)

(पहचान विवरण (सत्यापन के लिये कम से कम दो पहचान क्रमांक सम्मिलित करें) (राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पारपत्र, आधार सं0 ड्रायविंग लायसेंस)):

Sl.No. (क्र0सं0)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

8. Name of EO/IO (नाम जांचकर्ता/विवेचक): Rank (पद): No. (सं0):

9. Missing Person Registration read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/ informant, free of cost (गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण को परिवादी/सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाया गया सही होना बताया, एक प्रति निशुल्क परिवादी/सूचनाकर्ता को दी गई):

Signature/Thumb impression of the complainant/ informant (परिवादी/ सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)

Signature of Officer in Charge, Police Station (पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

Form no. 9

N.C.R.

NON CONGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT

In respect of Nos Cognizable Offence

(Under Section 174 B.N.S.S.)

एनसीआर

असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट

असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में

(अंतर्गत धारा 155 द0 प्र0 सं0)

P.S. (थाना) District (जिला) NCR.No.(असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन सं0) Date (दिनांक)

2. Acts & Sections of Law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ):

Sl.No. (क्र0सं0)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा (एँ))

2. Place of Occurrence (घटना का स्थान):

(a) Information Received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना): Date (दिनांक): Time (समय):

(b) General Diary Reference (संदर्भित रोजनामचा): G.D. No. (रोजनामचा सं0) G.D. Time (रोजनामचा समय)

(c) Occurrence Date (घटना दिनांक): Time (समय)

3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता):

Name (नाम):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

4. Name, Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(a) Name (नाम):

(b) Father's Name (पिता का नाम):

(c) Age (आयु): (d) From (से): (e) To (तक):

(f) Residence (निवास):

Sl.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

5. NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण):

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)):

Sl.No. (क्र0सं0)	Property Type (संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)

7. Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (साक्षी का नाम एवं पूर्ण पता, अगर साक्षी को असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन के सार में वर्णित किया गया हो):

Sl.No. (क्र0सं0)	Name (नाम)	Address (पता)

8. R.O.A.C (पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है):

9. Informant is advised to seek help in concerned court (सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।):

Signature/Thumb Impression of the complainant/Informant (शिकायतकर्ता/ सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)

Signature of Officer (अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):
Rank (पद): No.(सं0)

Form no. 10

I.I.F.–V

FINAL FORM/REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट (दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 193 बी0 एन0 एस0 एस0 के अन्तर्गत)

(Under Section 193 B.N.S.S.)

IN THE COURT OF (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): Year (वर्ष):
   FIR No. (प्र0सू0रि0सं0): Date (दिनांक):
2. Final Report/Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या):
3. Date (दिनांक):
4.

S.No. (क्र0सं0)	Act (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

5. Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):
6. If FR Un–occurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):
8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):
   Rank (पद): No.(सं0):
9. (a) (क) Name of complainant/informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
   (b) (ख) Father's Name (पिता का नाम):
   (c) (ग)

S.No. (क्र0सं0)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon (जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S.No. (क्र0सं0)	Property description सम्पत्ति का विवरण	Estimate value (in Rs.). अनुमानित मूल्य (रु0में)	P.S. Property Register No. थाना सम्पति रजिस्टर सं0	From whom/where recovered or seized कहाँ / किससे जब्त अथवा बरामद की गई।	Disposal निराकरण

11. Particulars of accused persons charge–sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):
   One or more parameters were not specified for the sub report, 'Subreport 1', located at: Accused Person'
12. Particulars of accused persons- not charge sheeted (suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):
13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S.No. (क्र0सं0)	Name/Mob No. नाम / मो0नं0	Father's/ Husband's Name पिता/पति का नाम	Date/Year of birth जन्मतिथि/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पता	Type of evidence to be tendered प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का प्रकार

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 217/248 B.N.S (यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो बी०एन०एस० की धारा 217/248 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):
15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):
16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):
17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस): Date(दिनांक):
(Acknowledgement to be placed) (पावती नत्थी करें):
18. Despatched on (प्रेषण की तिथि):
19. No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या):
20. List of enclosures, As annexed (संलग्नकों की सूची)
21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not/नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं, चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों:
(b) Suspected accused name, address and age/
   (क) संदिग्ध अभियुक्त नाम, पता और उम्रः
(b) The absconding accused name, address and age
   (ख) फरार अभियुक्त नाम, पता और उम्रः
22. Names and addresses of the accused, who have been challaned/

अभियुक्तों के नाम व पते, जिनका चालान किया गया हो:

(a)Name, address and age of the accused on bail/

(क) जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त नाम, पता और उम्र:

(b) Mafarur accused name, address and age /

(ख) मफरुर अभियुक्त नाम, पता और उम्र :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not./
माल (हथियार सहित) जो पाए गयें हो इस विवरण के साथ कि कहां और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया

24. Result of trial / मुकदमा का परिणाम :

25. Complete Punishment / पूर्ण सजाएँ :

(a) (क) Date (दिनाँक):

(b) (ख) Place/ स्थान :

(c) (ग) Punishment / सजा:

Forwarded by Officer in charge
प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित

Name (नाम):
Rank (पद):
No.(सं0):

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर

Name (नाम):
Rank (पद):
No. (सं0):

Form no. 11

न्यायालय निपटान जानकारी

एफआईआर/पैटी केस से...

एफआईआर/पैटी प्रकरण तिथि...

निर्धारण की तिथि...

वर्ष..

न्यायालय प्रकार..

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश..

कोर्ट केस नं0..

जिला..

न्यायालय नाम...

पुलिस स्टेशन..

आरोप पत्र सं0.......................................

आरोप पत्र तिथि....................................

निपटान विवरण (कृपया पहले अभियुक्त विवरण भरें)

कृपया अभियुक्त के नाम का चयन करें

क्र0सं0	चयन करें	अभियुक्त का नाम	रिश्तेदार के प्रकार	रिश्तेदार का नाम

न्यायाधीश का नाम......................................

न्यायालय संरचना...

सरकारी वकील का नाम............................जोड़े

निर्णय की तारीख (DD/MM/YYYY) मामले का प्रकार

न्यायालय निपटान जानकारी

क्र0सं0	चयन करें	अभियुक्त का नाम	रिश्तेदार के प्रकार	रिश्तेदार का नाम

न्यायाधीश का नाम...

न्यायालय संरचना..

सरकारी वकील का नाम..जोड़े

निर्णय की तारीख..

मामले का प्रकार..चयन करें

प्रकरण के लिए निराकरण की प्रकृति.............................चयन करें

रिहाई का कारण..

न्यायालय की टिप्पणी..

अपील प्राथमिकता..

अपील अवधि..

द्वारा अपील..चयन करें

संबंधित दस्तावेज..दस्तावेज अपलोड करें

Form no. 12

प्रारूप संख्या–12

अपील विवरण

याचना विवरण का नतीजा खोजें और देखें

आरोप पत्र सं0...............................

कोर्ट केस सं0...............................

आरोप पत्र सं0..............................

अपील विवरण

न्यायालय प्रकार................................

निर्णय की तारीख..............................

न्यायालय का नाम.............................

न्यायाधीश का नाम............................

अपील करने वाली पार्टी.....................

अपील सं0...

अपील तिथि.....................................

अपील के प्रकार...................................

उल्लेखनीय टिप्पणी............................

न्यायालय संरचना.................................

टिप्पणी (आगे की अपील के संबंध में यदि कोई हो)

<u>दस्तावेज अपलोड करें</u>

क्र0सं0	फाइल का नाम	फाइन प्रकार	फाइल उप प्रकार	फाइल विवरण

<u>अपील विवरण के नतीजेः–</u>

क्र0सं0	चयन करें	अभियुक्त का नाम	संबंध का प्रकार	रिश्तेदार का नाम	वर्तमान पता	स्थायी पता

<u>याचना विवरण का नतीजा खोलें और देखें</u>

एफआईआर/पैटी केस में...

निपटान दिनांक...

निपटान प्रकार...

आरोप पत्र सं0..

कोर्ट केस सं0..

आरोप पत्र तिथि....................................

अपील विवरण

न्यायालय प्रकार..

निर्णय की तारीख......................................

न्यायालय का नाम....................................

न्यायाधीश का नाम....................................

अपील करने वाली पार्टी..........................

अपील सं0..

अपील तिथि..

अपील के प्रकार..

न्यायालय संरचना.....................................

उल्लेखनीय टिप्पणी..................................

टिप्पणी (आगे की अपील के संबंध में यदि कोई हो)

<u>दस्तावेज अपलोड करें</u>

क्र0सं0	फाइल का नाम	फाइन प्रकार	फाइल उप प्रकार	फाइल विवरण

<u>अपील विवरण के नतीजेः–</u>

क्र0सं0	चयन करें	अभियुक्त का नाम	संबंध का प्रकार	रिश्तेदार का नाम	वर्तमान पता	स्थायी पता

Form no. 13

प्रारूप संख्या–13

"Format of List of Records"

Court in front (Court name) __________________

District _________________

Case No./Special Trial No./Session Trial No.______________ Year 20________

CNR No._________________E0Project ID_________________

Crime No./First Information Report No. _________________ Year 20________

Under Section __________ Police Station ______________ *vs* _______________ (Name of the *accused*)

List of records to be produced on behalf of ____________ on ______________ 20 _______________.

Sl. No.	Description of the record	Date of execution of the record, if any	Date of filing of record in the court	Party producing the record i.e. prosecution/defence	Evidence given by means of record or relevant or fact in issue intended to be proved by the record	Note If it remains on file after decision of the case and is sealed in an envelope, the date of attachment to the envelope.
1	2	3	4	5	6	7

Signature of the prosecutor, party or advocate presenting the list.

Appendix-B

Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024

IN exercise of the powers conferred by section 398 of the Bharatiya Nagarik Surakasha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of all Government Orders and Notifications in this behalf, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following Scheme with the objective of promoting law enforcement by facilitating protection of persons directly or indirectly involved in rendering assistance to criminal law enforcement and prosecution agencies and to create a fear-free atmosphere for witnesses of crime and to prevent the problem of defection:

Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024

Chapter-1

General

Short title and commencement

1. (1) This Scheme may be called the Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the *Gazette*.

Definitions

2. In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Competent Authority"** means a Standing Committee in each District chaired by the District and Sessions Judge, District Magistrate as its Members and the Joint Director, Prosecution as its Member Secretary;

(b) **"Concealment Of Identity Of Witness"** means and includes any condition which prohibits publication or disclosure, directly or indirectly, of the name, address and other details which may lead to identification of a witness during the preliminary inquiry, investigation, trial and subsequent stage of trial under the Sanhita;

(c) **"Family Members"** includes parents/guardians, spouse, siblings, children, grandchildren of the witness;

(d) **"Form"** means the "Witness Protection Application Form" appended to this Scheme;

(e) **"In Camera Proceedings"** means proceedings where in the Competent Authority/Court allows the presence of only those persons who are necessary to be present while hearing and deciding the witness protection application or while giving evidence in Court and includes audio-video measures;

(f) "**Live Link**" means live video link or any other arrangement by which a witness is present through link even though he is not physically present in the court to give evidence in the case or to interact with the competent authority;

(g) **"Offence"** means those offences which are punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for seven years or more and also offences punishable under Sections 74, 75, 76, 77, 78 and 79 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;

(h) **"Sanhita"** means the Bharatiya Nagarik Sukraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023);

(i) **"Serious Crime"** means rape with murder, crimes against children and women, crimes of illegal religious conversion, terrorism offences, organised crime, drug-related crimes and MP/MLA cases etc.;

(j) **"Threat Analysis Report"** means a detailed report prepared and submitted by the Head of the Police of the district investigating the case relating the gravity and credibility of the threat perception to the witness or his family members. It shall contain specific details about the nature of threats received by the witness or his family to their life, reputation or property along with an analysis of the extent, intent, purpose and resources the person making the threat has to implement the threats.

It shall also classify the perception of the potential threat besides suggesting specific witness protection measures to be taken in the case;

(k) **"Witness"** means any person who has information or document about any offence and includes the victims;

(l) **"Witness Protection Application"** means an application in the prescribed form submitted by a witness to the Competent Authority for obtaining a Witness Protection Order. It may be submitted by the witness, his family member, his duly engaged advocate or the concerned Investigating Officer/ Officer-in-Charge of the Police Station/Deputy Superintendent of Police/ Superintendent of Jail and shall preferably be got forwarded through the Prosecutor concerned;

(m) **"Witness Protection Cell"** means a dedicated cell of specially trained personnel of the Police or Central Police Agencies, Prosecution Officers and Medical Officers (Psychologist) assigned the duty of implementing the Witness Protection Order.

(n) **"Witness Protection Fund"** means the fund created to meet the expenditure incurred during the implementation of the Witness Protection Order passed by the Competent Authority under this Scheme;

(o) **"Witness Protection Measures"** means the measures provided under this Scheme for the protection of witnesses;

(p) **"Witness Protection Order"** means the order passed by the Competent Authority detailing witness protection measures to be taken;

Categories of witnesses according to potential threat

3. **Category 'A':** Where the threat extends to the life of the witness or his family members during the preliminary enquiry, trial or thereafter under section 173(3) of the Sanhita.

Category 'B': Where the threat extends to the safety, reputation or property of the witness or his family members during the preliminary investigation, inquiry/trial or thereafter under Section 173(3) of the Sanhita.

Category 'C': Where the threat is moderate and extends to harassing or intimidating the reputation or property of the witness or his family members during the preliminary investigation, inquiry/trial or thereafter under Section 173(3) of the Sanhita.

Evaluation of witnesses for inclusion in the scheme

4. (1) In deciding whether to include a witness in the scheme, the competent authority shall have regard to,-

(a) the gravity of the offence and the general reputation of the accused to whom any relevant evidence or statement relates;

(b) the nature and importance of any relevant evidence or statement;

(c) the nature of the likely threat to the witness;

(d) whether there are viable alternative ways of protecting the witness;

(e) the public interest in the prosecution of the case;

(f) the person's capacity to adapt to the scheme and its measures; and

(g) such other matters as the competent authority considers relevant.

(2) The competent authority shall not include a witness in the scheme if the competent authority, in its opinion, does not have sufficient information in respect of the witness to assess the matters specified in this section.

State Witness Protection Fund

5. (a) There shall be a fund to be known as the Witness Protection Fund from which the expenditure incurred during the implementation of the witness protection order passed by the competent authority and other related expenditure shall be met.

(b) The Witness Protection Fund shall consist of the following, namely:-

i. Budgetary allocation made in the annual budget by the State Government;

ii. Receipt of amounts towards expenses ordered/imposed by the Courts/Tribunals to be credited into the Witness Protection Fund;

iii. Donations/contributions received from international and national charitable institutions/organisations and individuals as permitted by the Central/State Governments;

iv. Funds contributed under Corporate Social Responsibility.

(c) The said Fund shall be operated by the Home Department, Government of Uttar Pradesh.

(d) The District Magistrate shall be responsible for planning, demanding budget and disbursement of the Witness Protection Fund in the district.

Filing of application before the competent authority

6. (1) A person may be admitted into a Scheme only if,-

(a) the competent authority has decided that the witness should be admitted into it;

(b) the person agrees to be admitted; and

(c) the Memorandum of Understanding is signed by the witness or-

(i) if the person is under eighteen years of age, by his or her parent or guardian; or

(ii) if the person does not otherwise have the legal capacity to sign, by a guardian or legal representative who is generally responsible for the care and control of the person.

(2) Any person who is a victim of crime or the parent, guardian or legal representative of such victim may apply for protection order under this Scheme either directly before the Competent Authority of the concerned district where the crime has taken place through its Member Secretary along with supporting documents, if any or register his application by way of a self-signed representation on a written/typewritten affidavit on a portal/app or website designed for the purpose.

(3) An application for protection of a person below the age of eighteen years may be made without the consent of the parent or guardian of the person, under circumstances specified in regulations by the State Government.

(4) A witness shall be granted protection under this Scheme provided a written request for inclusion of him in the Scheme is made to the Competent Authority-

(a) Judge or Magistrate having jurisdiction

(b) State Government; or

(c) Director General of Police;

(d) Public Prosecutor.

(5) The competent authority may also initiate *suo-moto* proceedings in appropriate cases.

(6) The competent authority concerned shall record each such complaint in its records, allocating an application number for future transactions.

(7) All applications relating to this scheme received at any level shall be mandatorily registered on the said portal.

(8) The application shall be submitted only in Form No. 1 of this scheme.

Mode of Application Process

7. (1) Whenever the Member Secretary of the Competent Authority receives the application in the prescribed form, he shall pass an immediate order calling for a threat analysis report from the Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police in charge of the concerned police circle.

(2) Depending upon the urgency of the case of imminent threat, the Competent Authority may pass an order for interim protection of the witness or his family members during the pendency of the application.

(3) The threat analysis report shall be prepared expeditiously while maintaining utmost confidentiality and shall be forwarded to the Competent Authority within five working days of the receipt of the order:

Provided that, if the officer forwarding the threat analysis report finds that it is not a fit case for witness protection, a reasoned and clear report along with relevant documents shall be forwarded to the Competent Authority for appropriate decision, as the Authority may deem fit.

(4) The threat analysis report shall classify the threat perception and shall also contain suggestive security measures to provide adequate protection to the witness or his family. (e) While processing the application for witness protection, the Competent Authority shall interact with the witness and/or his/her family members/employer or any other person as deemed fit, in person and if not possible through electronic means, to ascertain the witness protection needs of the witness.

(5) All hearings on witness protection applications shall be conducted by the Competent Authority in camera or through audio-video mode from remote centres, maintaining utmost confidentiality.

(6) The application shall be disposed of within five working days of receipt of the threat analysis report from the police authorities. In exceptional circumstances if more time is required for a fair and just decision of the case, the reasons shall be invariably stated and in no case this time limit may exceed 10 days in aggregate.

(7) The witness protection order passed by the Competent Authority shall be enforced by the Witness Protection Cell of the State or the trial court, as the case may be. The overall responsibility for implementation of the witness protection plan passed by the Competent Authority shall rest with the Director General of Police, Uttar Pradesh.

However, the witness protection order passed by the competent authority for change of identity and/or transfer shall be enforced by the Home Department.

(8) Upon passing of the witness protection order, the witness protection cell shall file a monthly follow-up report before the competent authority.

(9) If the competent authority finds that the witness protection order needs to be modified or an application is made in this regard, and on completion of the preliminary inquiry, investigation or trial under section 173(3) of the Sanhita, a fresh threat analysis report shall be called for from the Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police in-charge of the concerned police circle.

(10) The person covered under the scheme shall be protected as long as the threat or risk to his safety continues.

Types of security measures

8. (1) Measures ordered for the protection of witnesses shall be proportionate to the threat and shall be for a fixed period not exceeding three months at a time, and may include:

(a) ensuring that the witness and the accused do not come face to face during the investigation or trial;

(b) monitoring mail and telephone calls;

(c) arranging with the telephone company to change the telephone number of the witness or to give him an unlisted telephone number;

(d) installing security equipment in the home of the witness such as security gates, CCTV, alarms, fencing *etc*.;

(e) concealing the identity of the witness by addressing him by a changed name or initials;

(f) emergency contact person for the witness;

(g) tight security, regular patrolling around the home of the witness;

(h) temporary change of residence to a relative's home or to a nearby town;

(i) provision of an official vehicle or State-funded vehicle for escort to and from court and to the date of hearing;

(j) holding hearings in camera;

(k) allowing support person to be present during recording of statement and depositions;

(l) use of specially designed sensitive witness court rooms having special arrangements like live video link, one-way mirrors and screens, separate passages for witnesses and accused, with option to modify the image of the face of the witness and to modify the audio feed of the voice of the witness so that he/she is not recognizable;

(m) ensuring prompt recording of statement during hearing on day-to-day basis without any adjournment;

(n) providing financial assistance/grants from time to time from the Witness Protection Fund, if desired, for the purpose of rehabilitation, maintenance or to enable the witness to start a new business/profession;

(o) any other security measures as may be considered necessary;

(2) In all such cases where the Competent Authority decides that the witness requires witness protection or witness identity protection, the Competent Authority shall send its recommendation to the concerned Court through the Member Secretary for examining the witnesses through audio-video means from a remote location under proper police protection.

Supervision and review

9. Once the Protection Order is passed, the Competent Authority shall monitor its implementation and may review it with reference to the follow-up reports received in the case, however, the Competent Authority shall review the Witness Protection Order on a quarterly basis on the basis of the monthly follow-up reports submitted by the Witness Protection Cell.

Identity protection

10. (1) Under section 173(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, an application seeking identity protection during the preliminary inquiry, investigation or trial of an offence may be filed in the prescribed form before the Competent Authority through its Member Secretary.

(2) On receipt of the application, the Member Secretary of the Competent Authority shall call for a threat analysis report. The Competent Authority shall examine the witness or his family members or any other person through audio-video or in camera, as it may deem fit to ascertain whether there is a need to pass an identity protection order.

(3) During the hearing of the application, the identity of the witness shall not be disclosed to any other person, which may lead to disclosure of identity of the witness. The Competent Authority may thereafter dispose of the application as per the material available on record.

(4) Once an order for protection of identity of a witness is passed by the Competent Authority, it shall be the responsibility of the Witness Protection Cell to ensure that the identity of such witness/his family members including name / parents/occupation/address/digital footprint is fully protected.

(5) So long as the identity of a witness is protected under the order of the Competent Authority, the Witness Protection Cell shall provide the details of persons whom the witness can contact in case of an emergency:

Provided that the identity of the witness may also be protected through modern electronic coding-decoding methods.

Change in identity

11. (1) In deserving cases, where a request for change of identity is made by the witness and based on the threat analysis report, the competent authority may decide to grant a new identity to the witness.

(2) Grant of new identity shall include providing a new name/ profession/supporting documents acceptable to the parents and Government institutions. The new identity shall not deprive the witness of his existing educational/professional/property rights.

Transfer of witnesses

12. In deserving cases, where a request for transfer is made by the witness and based on the threat analysis report, a decision may be taken by the Competent Authority to transfer the witness.

The Competent Authority may pass an order for transfer of the witness to a safe place within the State or territory of the India or the State of Uttar Pradesh, keeping in view the safety, welfare and interest of the witness. The expenditure incurred in such transfer shall be borne by the Witness Protection Fund.

Witnesses will be informed of the plan

13. This scheme will be given wide publicity. The investigating officer, the prosecutor and the court will inform the witnesses about the existence of the "Witness Protection Scheme" and its main features.

Confidentiality and preservation of records

14. (1) All stakeholders including police, prosecution department, court personnel, advocates of both the parties shall maintain strict confidentiality and ensure that under no circumstances, any record, document or information relating to the proceedings under this Scheme shall be shared with any person in any manner whatsoever without the permission and that too without the written order of the trial court/appellate court.

(2) All records relating to the proceedings under this Scheme shall be preserved till the relevant trial or appeal is pending before any court. After one year of disposal of the final court proceedings, the hard copy of the record may be deleted by the competent authority after preserving the scanned soft copy.

Rights of witnesses during prosecution

15. (1) Any Court may, on an application made by a witness in any proceeding before it or by the prosecutor in respect of such witness or of its own motion, take such measures as it considers appropriate for the protection of the witness or refer the case to the competent authority under this Scheme.

(2) A witness covered under this Scheme shall have the right to receive proper, accurate and timely information of the proceedings of any Court. He shall have the right to be heard in any proceeding in relation to the bail, immunity, release, parole, conviction or sentence of an accused or any related proceeding or argument and may file written submissions on conviction, acquittal or sentence.

(3) The competent authority or an officer nominated by it shall inform the said witness in writing about the progress of the investigation of the offence, whether or not the offender has been arrested, charge-sheeted, granted bail, charged, convicted or sentenced, and if a person has been charged with the offence, the name of the suspected offender.

(4) The aforesaid witness shall have the right to receive a copy of any statement of the witness recorded during the investigation or interrogation, a copy of all statements and documents filed under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023), including the charge-sheet or closure report submitted by the police after filing such police report in the Court.

(5) Any witness shall be entitled to receive free legal aid from any officer of the State Prosecution Service appointed in the concerned district.

(6) The State Government shall inform the concerned Court about the protection provided to any victim, complainant or witnesses and the concerned Court shall, from time to time, review the protection being provided under this provision and pass appropriate orders.

(7) It shall be the duty of the Investigating Officer to record a complaint, whether given verbally or in writing, against any intimidation, coercion or inducement or violence or threat of violence, of the victim, complainant or witnesses and a copy of the same shall be sent to the concerned Court and to the competent authority under this Scheme within twenty-four hours of its recording.

Termination of security and recovery of expenses

16. (1) The protection and assistance provided to a participant under the Scheme shall be terminated by the Competent Authority if the witness requests in writing that it be terminated.

(2) The protection and assistance provided under the Scheme may be terminated by the Competent Authority if,-

(a) the participant wilfully violates any term of the Memorandum of Understanding or any requirement or commitment relating to the Scheme;

(b) any act done or likely to be done by the participant may, in the opinion of the Competent Authority, threaten the security of the Scheme or compromise the integrity of the Scheme;

(c) the circumstances giving rise to the need for protection and assistance for the participant have ceased, and the Competent Authority is of the opinion that in the circumstances of the case, the protection and assistance should be terminated; or

(d) if the witness turns hostile.

(3) If the witness has lodged a false complaint, the Home Department of the Government of Uttar Pradesh may initiate proceedings for recovery of expenditure incurred from the Witness Protection Fund:

Provided that despite witness protection, if the witness turns hostile, the competent authority may, on the report of the concerned Public Prosecutor, initiate proceedings for recovery of expenses as arrears of land revenue or in such manner as may be prescribed by the State Government.

Protection of officers involved in enforcement of the Act

17. (1) Unless specific infrastructure and resources are provided by the State Government for the purpose, the concerned Commissioner of Police/Senior Superintendent of Police shall be responsible for providing adequate resources to the officers involved in enforcement of the Scheme.

(2) Every public servant of the concerned district shall be bound to provide adequate assistance for security and support to the officers involved in enforcement of the Scheme.

Services of specialists

18. The Competent Authority shall be entitled to use the services of any person whose services are necessary for the proper implementation of this Scheme.

Review

19. If the witness or the police officer is dissatisfied with the decision of the competent authority, a review application can be filed within 15 days of passing the order by the competent authority.

By order,

DEEPAK KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 223 राजपत्र–2024–(600)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 32 सा0 गृह पुलिस–2024–(601)–200 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

223 RPH 2024 [Grih (Police) Anu-9] data-7 e